ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

दिसम्बर 2018 अंक 2

विषय सूची

दिसम्बर 2018
अंक-2

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-19

- सेंटिनलीज जनजातिः भारत के एकांतवासी नागरिक
- महिलाओं के खिलाफ हिंसाः कोख से कब्र तक
- भारत में व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षाः सशक्त करने की आवश्यकता
- करतारपुर गलियाराः शांति की राह
- जी-20 सम्मेलन और भारत
- भारत और वियतनामः एक सामरिक साझेदार
- सिटी गैस वितरण परियोजनाः गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 20-26

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 27-33

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 34-42

सात महत्वपूर्ण तथ्य 43

सात महत्वपूर्ण निर्णय 44-47

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 48

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. सेंटिनलीज जनजातिः भारत के एकांतवासी नागरिक

चर्चा का कारण

हाल ही में 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह' के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली सेंटिनलीज जनजाति ने अमेरिकी नागरिक 'जॉन शाऊ' की हत्या कर दी। जॉन शाऊ, एक ईसाई धर्म प्रचारक थे और स्थानीय मछुआरे की मदद से वह नार्थ सेंटिनल द्वीप पर गुपचुप तरीके से गए थे।

सेंटिनलीज जनजाति

नार्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने के कारण इस जनजाति का 'सेंटिनलीज' नाम पड़ा। ऐसा माना जाता है कि यह जनजाति लगभग 60 हजार वर्ष पहले अफ्रीका से आकर यहाँ बसी थी और इनका संबंध निग्रिटो जनजाति (Negrito Tribe) से है। इनसे संबंधित निम्नलिखित बिन्दु महत्त्वपूर्ण हैं–

1. यह जनजाति एकांतप्रिय (Reclusive) स्वभाव की है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है।
2. इस जनजाति की भाषा (Language), अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली अन्य जनजातियों से बिल्कुल भिन्न है, जिससे इनकी भाषा को अभी तक कोई भी 'मानवविज्ञानी' (Anthropologist) पूर्णतः समझ नहीं पाया है।
3. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह की अन्य जनजातियों की अपेक्षा सेंटिनलीज जनजाति काफी आक्रामक (Aggressive) है। सन् 2004 में सुनामी आने के बाद नार्थ सेंटिनल द्वीप के बारे में स्थिति को जानने के लिए भारत सरकार का एक हवाई जहाज इस द्वीप के करीब आया, तो यहाँ निवास करने वाली सेंटिनलीज जनजाति ने उस पर अपने परम्परागत हथियारों (तीर-धनुष, आदि) से आक्रमण कर दिया। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2006 में दो स्थानीय मछुआरे नार्थ सेंटिनल द्वीप के पास मृत पाये गए थे।

अण्डमान और निकोबार द्वीप

यह भारत का एक द्वीपीय 'संघ शासित प्रदेश' (Union Territory) है जो हिन्द महासागर में बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच में स्थित है। इस संघ शासित प्रदेश में मुख्यतः दो द्वीप समूह हैं–

1. अंडमान द्वीप समूह
2. निकोबार द्वीप समूह

ये दोनों द्वीप समूह '10 डिग्री चैनल' (10 Degree Channel) के द्वारा अलग होते हैं। अण्डमान द्वीप समूह में लगभग 325 द्वीप हैं और निकोबार द्वीप समूह में करीब 247 द्वीप हैं। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नांकित बिन्दु महत्वपूर्ण हैं–

- इस संघ शासित प्रदेश के मुखिया उप-राज्यपाल (Lieutenant Governor) होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करते हैं।
- यह संघ शासित प्रदेश 'कोलकाता हाईकोर्ट' के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है।
- इस प्रदेश को तीन प्रशासनिक जिलों में बाँटा गया है–
  - उत्तर एवं मध्य अण्डमान
  - दक्षिण अण्डमान (प्रदेश की राजधानी 'पोर्ट ब्लेयर' इसी जिले में पड़ती है। इसके अतिरिक्त, इस जिले में नार्थ और साउथ सेंटिनल द्वीप भी पड़ते हैं।)
  - निकोबार

  (2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पर पूरे प्रदेश की कुल आबादी की सिर्फ 10% आबादी निवास करती है अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीप की 90% आबादी अन्य दो जिलों में निवास करती है।)

उत्तर सेंटिनल द्वीप (North Sentinel Island)

यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है और यह मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 60 किमी वर्ग है। यहाँ प्रवाल भित्ति (Coral Reefs) का वृहद स्तर पर निर्माण हुआ है, जो इसे संसाधन युक्त बनाती हैं। उत्तर सेंटिनल द्वीप में बंदरगाह तो नहीं पाये जाते हैं किन्तु यहाँ खूबसूरत बीच (Beach) और अन्य प्राकृतिक सौन्दर्यता मौजूद है। प्रवाल भित्तियों के कारण यहाँ सुन्दर-सुन्दर लैगून का निर्माण हुआ है।

उल्लेखनीय है कि आधुनिक मानव अपनी जिज्ञासा से ज्यादा इस द्वीप की खूबसूरती और इसकी अपार प्राकृतिक संपदा की चाहत से यहाँ कदम रखने की कोशिश कई दशकों से करता आ रहा है।

2011 की जनगणना के अनुसार अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्न भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या (% में) हैं–

1.	बंगाली	28.49%
2.	हिन्दी	19.29%
3.	तमिल	15.20%
4.	तेलगू	13.24%
5.	निकोबारी	7.65%
6.	मलयालम	7.22%
7.	अन्य	8.91%

नोटः हिन्दी, इस प्रदेश की आधिकारिक भाषा (Official Language) है जबकि अंग्रेजी को अतिरिक्त आधिकारिक भाषा (Additional Official Language) का दर्जा प्राप्त है।

- 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पर अधिकांश लोग (69.44%) हिन्दू धर्म को मानने वाले रहते हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वालों की आबादी क्रमशः 21.7% और 8.51% है।
- 2011 की जनगणना के मुताबिक, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल आबादी 3,80,581 थी, जिसमें 53.25% पुरुष और बाकी महिलायें थीं। यहाँ का लिंगानुपात 876 है और साक्षरता दर 86.63 प्रतिशत है।
- इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, तटवर्ती और मानसूनी वन पाये जाते है।

- इस प्रदेश में सेलुलर जेल (पोर्ट ब्लेयर) और महात्मा गाँधी मरीन नेशनल पार्क स्थित है।
- भारत का एकमात्र ज्वालामुखी क्षेत्र (बैरन द्वीप) 'अण्डमान और निकोबार द्वीप' में स्थित है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की हिन्द महासागर में सामरिक स्थिति

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की स्थिति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका दक्षिणतम बिन्दु 'इंदिरा प्वाइंट' इंडोनेशिया से लगभग 150 कि.मी. दूर है और व्यापारिक व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मलक्का संधि और 'इस्थमॅस ऑफ क्रॉ' से भी कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्ञातव्य है कि पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका व पश्चिम एशिया का अधिकतर व्यापार मलक्का संधि से होकर गुजरता है। चीन मलक्का के विकल्प के रूप में 'इस्थमॅस ऑफ क्रॉ' को विकसित करने में लगा है।

कोको चैनल (Coco Channel) उत्तरी अण्डमान को म्यांमार से अलग करता है और ग्रेट निकोबार को 'ग्रेट चैनल' (Great Channel) इंडोनेशिया से अलग करता है।

- अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की अन्य प्रमुख जनजातियाँ निम्नांकित हैं-
  - **ओंज (Onge)**- निग्रीटो समुदाय से संबंधित, लिटिल अंडमान में निवास।
  - **जारवा (jarawa)**- यहाँ की सबसे प्रमुख जनजाति, दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान में निवास, निग्रिटो समुदाय से संबंधित है।
  - **शोम्पेन (Shompen)**- ग्रेट निकोबार द्वीप में निवास, मंगोल प्रजाति से संबंधित है।
  - **ग्रेट अंडमान**- यह एक सामूहिक शब्द है, जो अंडमान द्वीप में रहने वाली 10 विभिन्न जनजातियों के लिए उपयोग किया जाता है। इनकी भी संस्कृति व भाषा आदि निग्रिटो समुदाय से संबंधित है।
  - **जांगिल (Jangil)**
  - **कोरा (Kora)**
  - **कारी (Cari)**
  - **बो (Bo)**
  - **चारियार (Chariar)**
  - **चारी (Chari)**
  - **ताबो (Tabo)**
  - **येरे (Yere)**
  - **केदे (Kede)**
  - **बी (Bea)**
  - **बालवा (Balawa)**
  - **बोजीगियाद (Bojigiyad)**
  - **जुवाई (Juwai)**
  - **कोल (Kol)**
  - **निकोबारी (Nicobarese)**- यह मंगोल प्रजाति से संबंधित है।
  - **अंडमानी (Andamanese)**

नोटः उपर्युक्त वर्णित की गई जनजातियाँ भारत सरकार के 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976' में दी गयी हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अण्डमान और निकोबार द्वीप की इन पाँच जनजातियों को सुभेद्य श्रेणी (Vulnerable Category) में रखा है-

- जारवा
- सेंटिनलीज
- ग्रेट अंडमानी
- ओंज
- शोम्पेन

किस प्रकार सेंटिनलीज जनजाति के बारे में सूचनाएँ एकत्र की गईं

स्वतंत्रता के पूर्व औपनिवेशिक सरकार के प्रशासकों ने इन आदिवासियों से संपर्क करने का कई बार प्रयास किया था। तत्कालीन ब्रिटिश अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक मौरिस विडाल ने 1880 में यहाँ के लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का सुनियोजित अभियान चलाया था। 1901 से 1921 तक सेंटिनलीज जनजातियों की संख्या लगभग 117 थी (ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार), किन्तु 1931 में इनकी संख्या 50 के करीब आँकी गई, जो पहले से घटकर आधी से भी कम रह गयी थी। इसके पीछे अंग्रेजों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इन जनजातियों से कई बार सम्पर्क करने का प्रयास किया। मानव-विज्ञानी 'टी.एन. पंडित' ने 'एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' (ANSI) के अभियान से जुड़कर वर्ष 1967 से लेकर 1991 तक सेंटिनलीज के साथ सम्पर्क साधने के अनेक अभियान चलाए और इसमें वह काफी हद तक सफल भी हुए।

स्वतंत्र भारत की विभिन्न जनगणनाओं में सेंटिनलीज जनजातियों की संख्या है-

1. 1961 - लगभग 50
2. 1991 - लगभग 23
3. 2001 - लगभग 39
4. 2011 - लगभग 15

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 'एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' (ANSI) का एक स्थानीय केन्द्र है, जो इस प्रदेश में रहने वाली जनजातियों से सुरक्षित तरीके से सम्पर्क स्थापित करने का लगातार प्रयास करता रहता है।
- एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण), संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत संस्थान है, जिसका प्रमुख कार्य बायो-सांस्कृतिक (Bio-Culture) और मानव विज्ञान में अनुसंधान व विकास (आर एण्ड डी) करना है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है।

यह जनजाति इतनी आक्रामक क्यों है?

इस संदर्भ में निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण हैं-

संस्कृति संरक्षणः हर जनजाति या समुदाय अपनी संस्कृति को लेकर काफी संवेदनशील रहती है और उसे संरक्षित करने का प्रयास करती है। आदिवासी लोग विदेशियों तथा उनके कार्यों को शंका की दृष्टि से देखते हैं और उस पर हमला करते हैं।

अंग्रेजों का अत्याचारः कुछ इतिहासकारों/विद्वानों का कहना है कि ब्रिटिश शासकों ने अण्डमान-निकोबार द्वीप पर रहने वाली जनजातियों पर काफी अत्याचार किये थे। इस कारण सेंटिनलीज जनजाति बाहरी दुनिया के प्रति आक्रामक हो गयी है।

सुरक्षा का डरः जनजातियों को अपने निवास, जान-माल और अन्य संसाधन के छिनने का भय रहता है।

भाषाई बाध्यताः अभी तक सेंटिनलीज जनजाति की भाषा को समझा नहीं जा सका है, इसलिए उनसे बात-चीत स्थापित करना मुश्किल होता है।

सेंटिनलीज जनजाति द्वारा 'जॉन शाऊ' की हत्या किये जाने से उभरने वाले मुद्दे-

- भारतीय कानून के मुताबिक, 'जॉना शाऊ' की हत्या के जुर्म में सेंटिनलीज जनजातियों पर हत्या का केस दर्ज करना चाहिए और स्थापित कानूनी प्रक्रिया से उनको दण्ड मिलना चाहिए। किन्तु उपर्युक्त प्रक्रिया तो आधुनिक मानव ने निर्मित की है, सेंटिनलीज जनजाति को न ही भारतीय संविधान के बारे में पता है और न ही कानूनों के बारे में। सेंटिनलीज जनजाति की दुनिया सेंटिनल द्वीप ही है और वह अपने परम्परागत कानूनों व

रीतियों को ही मानते हैं। इस जनजाति को आधुनिक मानव द्वारा स्थापित कानूनी प्रक्रिया से दण्ड देने का मुद्दा एक नैतिक बहस का मुद्दा है।

- कुछ मानव-विज्ञानी कहते हैं कि सरकार को धीरे-धीरे जनजातियों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना चाहिए ताकि वो भी एक मानव के रूप में अपना विकास कर सकें।

दक्षिण और मध्य अण्डमान में रहने वाली जारवा जनजाति को सरकार ने विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के कई कार्यक्रम चलाये थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज यह जनजाति लुप्तप्राय की स्थिति में आ गई है। बाहरी दुनिया से जुड़ने पर इनके खान-पान में तेजी से बदलाव आया, जिससे ये कई गम्भीर बीमारियों (यथा- डायबिटीज, पेट संबंधी रोग, आँत का कैंसर, तनाव इत्यादि) के शिकार हो गए और धीरे-धीरे काल के गाल में समा गए। इससे स्पष्ट होता है कि जनजातियों को मुख्यधारा से जोड़ने के कितने घातक परिणाम हो सकते हैं।

- भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ''Foreigners Restricted Areas Order, 1963'' के तहत 'अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह' के कई क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र में रखा है। पर्यटकों को इन क्षेत्रों में जाने के लिए 'रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट' (RAP) लेना होता है किन्तु अप्रैल, 2018 में मंत्रालय द्वारा आरएपी में कई शर्तों के साथ ढील प्रदान की गयी थी। शक्तिशाली कानूनों एवं नियमों, भारतीय तटरक्षक बलों एवं स्थानीय पुलिस की उपस्थिति और अन्य सरकारी एजेंसियों/ प्राधिकारियों के नियंत्रण के बावजूद 'जॉन शाऊ' कानून एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए सेंटिनल द्वीप पर कैसे पहुँच गए यह एक गंभीर विषय है। ज्ञातव्य है कि उनकी सेंटिनल द्वीप के लिए यह पहली यात्रा नहीं थी बल्कि वह इसके पहले भी कई बार वहाँ पहुँच चुके थे। यह स्थिति भारतीय सुरक्षा एजेंसियों व अन्य सरकारी प्राधिकारियों की कमियों को उजागर करती है।

भारत द्वारा जनजातियों के संरक्षण हेतु किये गए प्रयास

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956: इसके तहत भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप और उसके आस-पास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में फोटो लेना, विडियो बनाना और बिना अनुमति के प्रवेश करना प्रतिबंधित है। फोटो लेने व वीडियो बनाने आदि पर 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। सेंटिनल द्वीप पर भारत सरकार सिर्फ 'अधिकारप्राप्त व्यक्ति' (जैसे- मानवविज्ञानी, सरकारी प्राधिकारी आदि) को जाने की 'सशर्त अनुमति' (Conditional Permit) देती है। यह काम सरकार इसलिए करती है ताकि सेंटिनल जनजाति को बाहरी खतरे से सुरक्षित किया जा सके।

आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम, 1956: इसके द्वारा भी सरकार ने जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण का प्रयास किया है।

भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017: यह अधिनियम 'भारतीय वन अधिनियम, 1927' को प्रतिस्थापित करके लाया गया। इसमें जंगलों पर आदिवासियों के अधिकारों के लिए कई प्रावधान किये गये हैं। सरकार ने माना है कि वन संरक्षण में जनजाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1929: इसके द्वारा जनजातियों के उत्पीड़न को रोकने के प्रयास किये गए हैं। यह अधिनियम 'जम्मू एवं कश्मीर' राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू है।

नोट: राष्ट्रीय जनजातीय नीति, 2006 में जनजातियों की सुरक्षा हेतु कई प्रावधान हैं। सरकार ने अपनी जनजातीय नीति में संशोधन करने हेतु सन् 2016 में ड्राफ्ट तैयार किया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST): यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख 'अनुच्छेद 388-क' में है।

भारतीय संविधान में जनजातियों के संरक्षण हेतु कई प्रावधान किये गए हैं, यथा- अनुच्छेद 13(4), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 16(4A), अनुच्छेद-46, अनुच्छेद 320(4), अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 335 इत्यादि।

नेहरू जी ने जनजातीय विकास के लिए अपने पाँच मौलिक सिद्धान्त दिये हैं-

1. सरकार को जनजातीय लोगों पर बाहरी मूल्यों को थोपने से बचना चाहिए।
2. वनों पर जनजातीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
3. जनजातीय लोगों की ही टीम को प्रशासन और विकास के काम के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना विकास का रास्ता खुद तय कर सकें।
4. जनजातीय क्षेत्र को योजनाओं की बहुतायत के साथ अतिप्रशासित नहीं किया जाना चाहिए।
5. जनजातियों के विकास के संबंध में लागू योजनाओं का व्यावहारिक मूल्यांकन समय-समय पर होते रहना चाहिए।

आगे की राह

सरकार की जनजातियों के संबंध में ''Eyes-on and Hands-off'' की नीति है अर्थात् वह उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु क्रांतिकारी प्रयास नहीं करेगी बल्कि संरक्षण और परीक्षण पर ध्यान देगी और यदि कोई जनजाति स्वयं से मुख्य धारा में शामिल होना चाहती है तो उसे उचित परिवेश मुहैया कराया जायेगा।

सरकार की जनजातियों के प्रति उपर्युक्त नीति बिल्कुल सही है, बस इसके व्यावहारिक धरातल पर उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि 'सांस्कृतिक विरासत' (Cultural Heritage) के साथ-साथ 'मानवीय विरासत' (Human Heritage) को भी परिरक्षित किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

2. महिलाओं के खिलाफ हिंसा: कोख से कब्र तक

चर्चा का कारण

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और क्राइम विभाग (UNODC) द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस' (25 नवम्बर) के मौके पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह उनका घर ही है। विभाग ने अपने अध्ययन में पाया कि वैश्विक स्तर पर पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 50,000 महिलाओं की हत्या उनके करीबी लोगों ने ही की।

संयुक्त राष्ट्र का ड्रग्स और क्राइम विभाग (United Nations Office on Drugs & Crime):

इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1997 में वियना (ऑस्ट्रिया) में की गयी थी। यह विभाग अवैध तस्करी, ड्रग्स के अपराधों, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, जेल सुधार, प्रवसन (Migration), मनी लॉड्रिंग और अन्य अपराधों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देता है। इस विभाग के सन्दर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं-

1. इस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 'विश्व ड्रग रिपोर्ट' (World Drug Report) जारी की जाती है।
2. यूएनओडीसी, संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन, संधियों (Treaties) और प्रोटोकॉल (Protocols) आदि के अन्तर्गत कार्य करता है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण सम्मेलन, संधि और प्रोटोकॉल निम्नलिखित हैं-

- **अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 2003:** इस सम्मेलन से तीन अन्य प्रोटोकॉल निकले जो निम्नांकित हैं-
  - मानव (विशेषत: महिलाओं एवं बच्चों) की तस्करी को रोकने के लिए प्रोटोकॉल, 2003
  - भूमि, जल और वायु मार्गों द्वारा प्रवासियों की तस्करी की रोकथाम हेतु प्रोटोकॉल, 2003
  - अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी की रोकथाम हेतु प्रोटोकॉल, 2003
- **भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 2003**
- **नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्स्टेंस के अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु सम्मेलन, 1988**

नोट: अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस (International Day for the Elimination of Violence against Women) को हर साल '25 नवम्बर' को मनाया जाता है। महिलाओं के साथ अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के लिए 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे स्थापित किया गया था।

यूएनओडीसी की रिपोर्ट

- यूएनओडीसी की महिलाओं पर अत्याचार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में पूरी दुनिया में लगभग 87,000 महिलाओं की हत्या विभिन्न कारणों से हुई, जिसमें से 50 हजार (अर्थात् 58 प्रतिशत) हत्याएँ उनके करीबियों (पति, प्रेमी एवं अन्य परिजन) ने की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2012 से 2017 के दौरान महिलाओं की उनके करीबियों द्वारा हत्या का प्रतिशत/अनुपात लगातार बढ़ा है।
- 2016 में प्रति एक लाख पर करीबी साथी या परिजन द्वारा महिलाओं की हत्या की दर का विवरण निम्न प्रकार है-

महाद्वीपीय विवरण

- अफ्रीका- 3.1%, अमेरिका- 1.6%, ओशनिया- 1.3%, एशिया- 0.9%, यूरोप- 0.7%

देशवार विवरण

- भारत- 2.8%, केन्या- 2.6%, तंजानिया- 2.5%, अजरबैजान- 1.8%, जॉर्डन- 0.8%, तजाकिस्तान- 0.4%

- रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में दहेज के लिए महिलाओं की हत्या का दौर अभी भी जारी है। मौजूदा दहेज विरोधी कानून नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' के हवाले से कहा गया है कि महिलाओं की हत्या के कुल मामलों में से 40 से 50 फीसदी मामलों का दहेज ही प्रमुख कारक है।

अत: स्पष्ट है कि यूएनओडीसी की रिपोर्ट में भारत में महिलाओं की स्थिति को काफी चिंताजनक दर्शाया गया है। भारत में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण राष्ट्रीय आँकड़ों के अनुसार कर सकते हैं।

भारत में महिलाओं की स्थिति

- 2011 की जनगणना के अनुसार-
  - देश की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग 58,75,84,719 है और महिला साक्षरता दर 64.63 प्रतिशत है।
  - लिंगानुपात 943 है अर्थात् प्रति एक हजार पुरुषों के अनुपात में 943 महिलायें हैं। 1901 में लिंगानुपात 972 था और तब से लेकर 2011 तक यह घटते-घटते 943 हो गया। हालाँकि सरकार के तमाम प्रयासों के कारण पिछले दो दशकों में इसमें बढ़ोतरी अवश्य हुयी है।

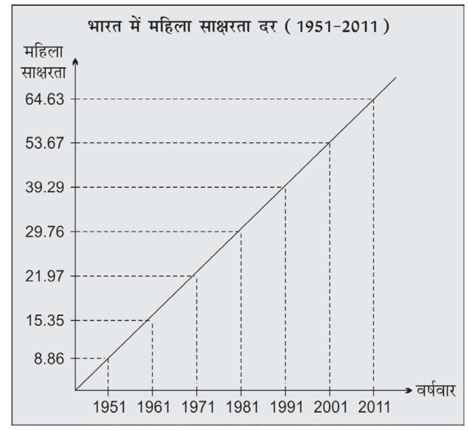

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार-
  - महिलाओं के प्रति अपराधों में पूरे देश मे दिल्ली प्रथम स्थान पर है (2016 की रिपोर्ट के मुताबिक)।
  - एनसीआरबी के मुताबिक देश में, सन् 2013 से 2017 तक अपहरण के मामलों में 280 प्रतिशत की वृद्धि, रेप के मामलों में 42 प्रतिशत और छेड़छाड़ (Molestation) में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
  - 1995 से 2013 तक के आँकड़े कहते हैं कि भारत में 15 से 49 साल की 33.5 फीसदी युवतियाँ और महिलाएँ जीवन में कम से कम एक बार शारीरिक हिंसा की शिकार हुई हैं।

महिलाओं पर अत्याचार के कारण

1. **दहेज प्रथा:** भारत सरकार द्वारा 1961 में दहेज लेने और देने के विरोध में कानून बनाने के बावजूद इसका चलन अभी खत्म नहीं हुआ है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में दहेज अभी भी सबसे बड़ी वजह बना हुआ है।

   दहेज प्रथा के कारण लड़की का जन्म समाज में अच्छा नहीं समझा जाता है और लड़की के जन्म से ही माता-पिता चिंतित होने लगते हैं तथा समय के साथ-साथ लड़कियाँ स्वयं भी हीन-भावना का शिकार होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त, लड़की के माता-पिता द्वारा शर्तों के मुताबिक दहेज न दे पाने से लड़कियों को ससुराल में अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ता है और इससे पति-पत्नी के बीच तनाव भी उत्पन्न होता है।

2. **पुरुष प्रधान समाजः** पुरुष प्रधान समाज में निर्णयन शक्ति/क्षमता और पारिवारिक उत्तरदायित्व पुरुषों के पास होता है। महिलाओं को गृह संचालन का दायित्व दिया जाता है किन्तु विडम्बना यह है कि इस कार्य को अनुत्पादक व सामान्य माना जाता है। यहाँ तक की भारत सरकार भी अपने जीडीपी के आँकड़ों में महिलाओं के घरेलू स्तर के कार्यो की गणना नहीं करती है।

3. **बाल-विवाह, बहु-विवाह तथा तलाक-प्रथा जैसी कुरीतियाँः** भारतीय समाज में अभी भी बाल-विवाह और बहु-विवाह प्रचलन में हैं जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है और तलाक जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।

4. **लैंगिक विभेदीकरणः** लैंगिक आधार पर असमानता की शुरूआत 'बेटी के जन्म' से ही हो जाती है और जीवन के अन्त तक चलती रहती है। पालन-पोषण के दौरान ही बालक और बालिकाओं की सामाजिक मान्यताओं में अन्तर दिखने लगता है। आगे चलकर यही लैंगिक असमानता महिला के प्रति अत्याचार बढ़ाने में अपना योगदान देती है।

- भारतीय समाज में नारी के प्रति एक अवधारणा 'पराये धन' की भी है और यह मनोदशा लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है क्योंकि सामाजिक मनोविज्ञान उसे ऐसा करने की प्रेरणा देता है।
- 'ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स' को हर वर्ष 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम' द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 2017 के इंडेक्स में 144 देशों में भारत की रैंक 108 है। यह इंडेक्स चार सूचकाकों पर निकाला जाता है- (1) शैक्षणिक प्राप्ति, (2) स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, (3) आर्थिक अवसर, (4) राजनैतिक सशक्तिकरण।

5. **निर्भरताः** स्त्री आर्थिक और सुरक्षात्मक आदि दृष्टियों से पुरुषों पर आश्रित रहती है। विवाह से पूर्व अपने पिता के संरक्षण में, विवाह के बाद पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्र पर निर्भर हो जाती है। इससे उसमें स्वावलम्बन और आत्मसम्मान की भावना का विकास नहीं हो पाता है।

6. जितनी भी मर्यादाएँ और अनुशासनबद्धता समाज में प्रतिष्ठित मानी जाती हैं, उनमें से अधिकांश स्त्रियों पर आरोपित हैं। भारतीय परम्परा में इसका मुख्य उदाहरण उपवास या व्रत से झलकता है, क्योंकि अधिकांश कठिन व्रत महिलाओं के लिए निर्धारित हैं और उसे पति और बेटे दोनों के लिए व्रत रखना होता है। स्त्रियाँ जब समाज द्वारा निर्धारित मर्यादा और अनुशासन पर नहीं चलती हैं तो उन्हें तरह-तरह के दण्ड दिये जाते हैं।

7. **स्त्रियों को सम्पत्ति के रूप में देखनाः** भारतीय समाज में स्त्रियों की खरीद व बिक्री सम्पत्ति के रूप में प्राचीन काल से चलती आ रही है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा अनेक प्रयासों के बावजूद इनका अनैतिक व्यापार पूरे देश में धड़ल्ले से चल रहा है। उदाहरण के लिए, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आदि।

उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि भारत में प्रचलित हर धर्म और संस्कृति ने स्त्रियों पर कमोबेश रूप से एक जैसी सीमायें आरोपित की हैं। यथा- परदा प्रथा, तीन तलाक आदि।

महिलाओं के सशक्तिकरण की राह में चुनौतियाँ

- सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद समाज की मनोदशा में महिलाओं को लेकर खास बदलाव नहीं आया है। आज भी महिलाओं को पारम्परिक कृत्यों से हटकर कुछ नया करने के लिए न केवल पुरुषों का बल्कि महिलाओं का भी प्रतिरोध झेलना पड़ता है।
- महिला सशक्तिकरण की वर्तमान दशा में एक कमी यह भी दिखाई देती है कि उपभोक्तावाद व दिखावे की संस्कृति ने नारी को वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया है, अर्थात् उसे एक 'मानवीय पहचान' (Human Entity) के रूप में नहीं बल्कि एक 'वस्तु' (Object) के रूप में पेश किया गया है, जिसके ज्वलंत उदाहरण 'विज्ञापन' हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं से संबंधित कई प्रगतिशील व आधुनिक सोच वाले निर्णय दिये यथा- तीन तलाक, सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं का प्रवेश आदि। किन्तु राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से इन पर विवाद व गतिरोध बने हुए हैं।
- सरकारी नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों आदि के प्रभावी ढंग से लागू न हो पाने से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई है। जिसे हम विभिन्न राज्यों में घटते लिंगानुपात के रूप में देख सकते हैं, यथा- हरियाणा।
- वास्तविक अर्थो में 21वीं सदी में भी महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो पाया है और आज भी महिलाएँ दोराहे पर खड़ी हैं- एक तरफ वह पढ़-लिख कर आगे बढ़ना चाहती हैं तो दूसरी तरफ उसे पारिवारिक दायित्वों का भार वहन करना होता है। इन दोनों में संतुलन स्थापित करना काफी कठिन है और यदि थोड़ी भी भूल हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी महिला पर ही डाल दी जाती है, क्योंकि हमारी आंतरिक सोच व ढाँचा अभी भी पुरुष प्रधान है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के विभिन्न उपाय

विधिक उपायः स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव मिटाने व स्त्रियों के सशक्तिकरण हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं-

- संविधान की प्रस्तावना में समानता की भावना को व्यापक रूप से उल्लिखित किया गया है।
- **अनुच्छेद 14-** विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान
- **अनुच्छेद 15-** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
- **अनुच्छेद 16-** लोक नियोजन (Public Employment) के विषय में अवसर की समानता
- **अनुच्छेद 23-** मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
- **अनुच्छेद 42-** राज्य, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता (Maternity Relief) का उपबन्ध करेगा।

नोटः अनुच्छेद 42 की भावना के तहत ही केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और प्रसूति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 आदि को लेकर आयी है।

- **अनुच्छेद 51 क (ङ)-** भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
- **अनुच्छेद 243-** इसमें पंचायतों और नगरपालिकाओं में स्त्रियों के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
- **अनुच्छेद 326-** वयस्क मताधिकार

आर्थिक उपायः सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (2015), जन-धन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि के माध्यम से महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण का प्रयास किया है, क्योंकि

महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण में आर्थिक सशक्तिकरण सबसे अहम भूमिका निभाता है।

> **महिला सशक्तिकरण का अर्थः** महिलाओं के सशक्तिकरण से आशय न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों में उनकी उचित भागीदारी से है, बल्कि उसे निर्णयन क्षमता की प्रक्रिया में शामिल करने से भी है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा महिला या महिला समूह को इस रूप में देखा जाता है कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी शक्ति को व अपनी पहचान को महसूस करें।

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिए वित्तीय समावेशन को उल्लेखनीय तौर पर बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार ने किसी गारंटी के बिना छोटे उद्यमियों को कर्ज मुहैया कराया है। ऐसे 75 फीसदी कर्ज महिलाओं को दिए गए हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने अपनी बेहद अहम भूमिका निभायी है। अतः सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत 47 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया है और इसके तहत 2,000 करोड़ से भी ज्यादा के फंड वितरित किए गए हैं।

सुरक्षात्मक उपायः सशक्तिकरण का एक अहम पहलू सुरक्षा है। अगर महिलाएँ सुरक्षित महसूस करती हैं, तभी वे अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से भागीदारी निभा पाने में सक्षम होंगी। इसके लिए सरकार ने निम्न उपाय किये हैं-

- महिला उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निदान) अधिनियम, 2013
- सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में 181 महिला हेल्पलाइनें और 206 'वन स्टॉप सेंटर' चल रहे हैं।
- महिलाओं के लिए पुलिस बल में 33 फीसदी आरक्षण।
- मुश्किल में फँसी महिलाओं को मदद मुहैया कराने की खातिर सभी मोबाइल फोन में 'पैनिक बटन' की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है।
- प्रमुख शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने और बलात्कार के मामले में फॉरेंसिक जाँच क्षमता को बेहतर करने के लिए 'निर्भया फंड' का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उपर्युक्त अधिनियमों व योजनाओं के अलावा सरकार के अन्य उपाय निम्नलिखित हैं-

- मातृत्व अवकाश से जुड़ी छुट्टियों को बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया
- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपये की सरकारी सहायता
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- हर महीने की '9 तारीख' को डॉक्टरी सलाह हेतु गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से आरक्षित
- सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता 'आशा'
- जननी शिशु सुरक्षा योजना
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में विशेष योगदान

आगे की राह

पुरुष और स्त्री मानव समाजरूपी रथ के दो पहिये हैं और इन दोनों के समान रूप से आगे बढ़ने से ही मानवता आगे बढ़ेगी। कोई भी विकास की दौड़ में तभी तेजी से आगे बढ़ सकता है जब सम्पूर्ण जनसंख्या अर्थात् पुरुष के साथ-साथ समान रूप से महिलाओं को भी सशक्त किया जाए। यह देखा भी गया है कि जिस समाज में लैंगिक असमानता कम है वहाँ समरसता व विकास अधिक है।

स्त्री को न तो देवी की नजर से देखा जाय और न ही दासी की नजर से। उसे मानव होने के नाते मानवीयता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और मानवता के मूल में है कि जाति, लिंग, धर्म और नस्ल आदि आधारों पर भेदभाव न किया जाय। अब मनु संहिता की जगह मानव संहिता को महत्व देना होगा और स्त्री को एक साथी, दोस्त व सहयोगी और जागरूक नागरिक के रूप में मानकर, उससे चर्चा करनी चाहिए।

राष्ट्रीय महिला नीति (एनपीडब्ल्यू), 2016 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी साकार करने के संकल्प को दर्शाता है। अतः सरकार को अपनी इस नीति के प्रावधानों के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए।

> **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2**
> - केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

3. भारत में व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षाः सशक्त करने की आवश्यकता

चर्चा का कारण

हाल ही में सरकार ने व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने की बात की है। सरकार का यह कहना है कि यह अधिनियम पुराना है और समय के साथ इसमें परिवर्तन आवश्यक है।

हाँलांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इस अधिनियम के माध्यम से प्रेस को दबाने की कोशिश कर रही है, जो सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है। उल्लेखनीय है कि सूचना और प्रेस की आजादी को मौलिक अधिकारों में से एक माना गया है।

2017 में पारदर्शिता इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित रैंकिंग में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को 180 देशों के समूह में 81वाँ स्थान मिला है, जो बहुत ही निम्नतर स्थिति को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

वैश्विक परिदृश्य

यद्यपि वैश्विक परिदृश्य में 'व्हिसल ब्लोअर' की अवधारणा पिछले दो-तीन दशकों में विशेष रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है किंतु व्हिसल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए ज्ञात प्रथम कानून संभवतः अमेरिका में वर्ष 1863 में बना। वर्ष 1778 में अमेरिकी नेवी के दो नौसैनिकों रिचर्ड मार्वेन और

सैमुअल सा ने अपने कमांडर-इन-चीफ हॉपकिंस के विरुद्ध 'ह्विसल-ब्लोइंग' की थी, जिसके प्रतिक्रियास्वरूप इस संबंध में कानून बनाने की माँग उठी थी।

ह्विसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करते हुए अमेरिकी कानून 'फॉल्स क्लेम एक्ट, 1863' के रूप में पारित हुआ जिसे वर्ष 1986 में पुनरीक्षित किया गया। यद्यपि अमेरिका में अभी विशेष कानून पारित नहीं हो सका है किंतु अनेक अधिनियमों में 'ह्विसल ब्लोअर्स' को सुरक्षा अवश्य प्रदान की गई है। अमेरिकी नागरिक एडवर्ड स्नोडेन 'ह्विसल ब्लोइंग' के कारण ही विश्व स्तर पर चर्चा के केंद्र में रहे हैं।

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने गारसिटी बनाम सीवेलोज (2006) के मामले में टिप्पणी की कि ह्विसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए प्रथम संविधान संशोधन में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद 'ह्विसल ब्लोअर्स इनहांसमेंट एक्ट, 2011' प्रस्तावित किया गया किंतु यह अंतिम रूप से अभी पारित नहीं हो सका है।

अमेरिका के अलावा भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमैका, जर्मनी, आयरलैंड आदि देशों ने भी या तो कानून बना लिया है अथवा कोई विधेयक पारित करके आंशिक रूप से ही सही ह्विसल ब्लोअर अथवा साक्षी को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी प्रबंध किए हैं।

भारतीय परिदृश्य

यद्यपि न्यायिक कार्यवाहियों में 'ह्विसल ब्लोअर' सुरक्षा की माँग दशकों से हो रही थी किंतु प्रशासनिक क्षेत्र में यह आधिकारिक रूप में विधि आयोग की 179वीं रिपोर्ट, 2001 से चर्चा में आया।

27 नवंबर, 2003 को सीवान (बिहार) निवासी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट निदेशक सत्येंद्र दुबे की गया में हत्या केवल इस कारण कर दी गई क्योंकि उन्होंने संबंधित संस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को सार्वजनिक कर दिया था। ऐसी घटना कर्नाटक के ए. मंजूनाथ के साथ भी घटी जिन्होंने घटतौली के आरोप में एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया था। सूचना प्रदाताओं को सुरक्षा की माँग पर मामला उच्चतम न्यायालय में पहुँचा।

वर्ष 2004 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को ह्विसल ब्लोअर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। सरकार ने जनहित प्रकरण और सूचना प्रदाता की सुरक्षा प्रस्ताव, 2004 में जारी किया किंतु यह प्रभावहीन रहा। इसके अलावा विधि आयोग ने अपनी 198वीं रिपोर्ट, 2006 में साक्षियों की पहचान व सुरक्षा संबंधी सिफारिशें कीं।

पहली बार जनहित प्रकटीकरण और सूचना प्रकट करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा विधेयक, 2010 तैयार करके 26 अगस्त, 2010 को लोक सभा में पेश किया गया किंतु इसे और अधिक अध्ययन और सुझाव के लिए संसद की स्थायी समिति को सौंप दिया गया।

इस विधेयक को ह्विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2011 के तौर पर दिसम्बर 2011 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 21 फरवरी 2014 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक को 9 मई 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

राज्यसभा ने इसमें दो नये प्रस्ताव जोड़े थे, पहला यह कि ह्विसल ब्लोअरी की परिभाषा को संशोधित कर उसमें सत्ता का जानबूझकर दुरुपयोग या अधिकारों का दुरुपयोग जिसकी वजह से सरकार या लोक सेवकों या किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष नुकसान होता है, को शामिल किया गया।

दूसरा, जिस अधिकारी के पास शिकायत करनी है उसकी परिभाषा में भी विस्तार किया गया। विधेयक के मुख्य बिन्दु थे-

- भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले कर्मियों की पहचान गुप्त रहेगी।
- जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- भ्रष्टाचार की झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी और पुलिस भी इसके दायरे में शामिल होंगे।
- पद के दुरुपयोग को भी भ्रष्टाचार के दायरे में लाया गया।
- पाँच साल तक पुराने मामलों में ही शिकायत दर्ज होगी।

अधिनियम, 2011 के प्रमुख प्रावधान-

- भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत ऐसा कृत्य या उसका प्रयास जो अपराध हो।
- सत्ता एवं अधिकारों का जानबूझकर दुरुपयोग करना जिसके कारण सरकार या लोक सेवकों या किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष नुकसान होता हो।
- एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कृत्य करने या कराने का प्रयास किया गया हो।

यह अधिनियम प्रावधान करता है कि कोई लोक सेवक या कोई अन्य व्यक्ति जिसमें गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं, समर्थ प्राधिकारी को, जो कि वर्तमान में केन्द्र या राज्य सतर्कता आयोग के सम्मुख लोकहित में प्रकटीकरण कर सकता है।

प्रत्येक प्रकटीकरण सदइच्छा में किया जाएगा और लोकहित में प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से घोषणा करनी होगी कि वह औचित्यपूर्ण तरीके से विश्वास करता है कि उसके द्वारा प्रकट की गई सूचना अेर आरोप तात्विक रूप से सत्यता रखते हैं। साथ ही प्रत्येक खुलासे को लिखित में या ई-मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा किया जाएगा।

इस अधिनियम के तहत कुछ क्षेत्रों को पूर्णतया मुक्त रखा गया है जैसे उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसके अलावा 'धारा 2' के अनुसार, विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 1988 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के सशस्त्र बल के विशेष सुरक्षा समूह के सदस्य भी इस अधिनियम से मुक्त हैं। इसी प्रकार 'धारा 8' के अनुसार भारत की एकता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंधों एवं लोकव्यवस्था या किसी अपराध के दुष्प्रेषण संबंधी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है जो इस अधिनियम की सीमाओं को रेखांकित करता है।

ह्विसल ब्लोइंग प्रणाली

इस भावी कानून का एक मुख्य उद्देश्य 'ह्विसल ब्लोइंग' अर्थात भ्रष्टाचार या पद अथवा शक्ति के दुरुपयोग के मामलों में शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली (मैकेनिज्म) की स्थापना करना भी है। इस निमित्त प्रथमतः एक सक्षम प्राधिकारी को नामित किया गया है, जो 'ह्विसल ब्लोअर' से सूचना प्राप्त करेगा और इस प्रणाली के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। 'धारा 5' में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार, सूचना प्राप्त करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो अलग से जांच करेगा या करवाएगा और संबंधित विभाग/संस्था के प्रमुख से मामले में सूचना एकत्र करेगा। संपूर्ण जांच ह्विसल ब्लोअर की गोपनीयता को बनाए रखते हुए की जाएगी।

जांच के पश्चात यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि शिकायत के प्रकटन में लगाए गए आरोप तंग करने या परेशान करने वाले हैं या जांच के साथ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तब वह मामले को बंद कर देगा और इसकी सूचना ह्विसल ब्लोअर को दी जाएगी। यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि सूचना में लगाए गए आरोप सही हैं तब वह दोषी प्रतीत होने

वाले लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ किए जाने या अनुशासनात्मक कार्यवाही करने या विधि के अधीन दांडिक कार्यवाही करने या सुधारात्मक मानदंड अपनाने या अन्य आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश कर सकता है।

लोक प्राधिकारी, जिससे उपर्युक्त सिफारिश की गई है, तीन महीने के भीतर उपर्युक्त सिफारिश में से सभी या कोई कार्यवाही करेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में तीन महीने के समय को अगले तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यदि वह सिफारिश से असहमत है तो अपना कारण प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील सीधे उच्च न्यायालय में ऐसे आदेश की तिथि से 60 दिन के भीतर की जा सकती है।

अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान

यह अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल हो, इसके लिए कुछ कार्यों को अपराध घोषित करते हुए उन्हें दंडनीय बना दिया गया है।

'धारा 15' के अनुसार, यदि सक्षम प्राधिकारी किसी विभागाध्यक्ष या संस्था से आरोप संबंधी कोई जानकारी मांगता है और उसे ऐसी जानकारी या रिपोर्ट नियत समय के भीतर नहीं दी जाती है या जानबुझ कर दुर्भावनापूर्ण ढंग से जानकारी/रिपोर्ट देने से इंकार कर दिया जाता है या जानबुझ कर अपूर्ण, गलत या भ्रमात्मक अथवा झूठी जानकारी दी जाती है या तात्त्विक सूचना या जानकारी को नष्ट कर दिया जाता है तो उस विभागाध्यक्ष या संस्था पर प्रतिदिन 250 रु. की दर से जो 50,000 रु. तक का हो सकता है, दंड अधिरोपित किया जा सकता है।

'धारा 16' के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति हिवसल ब्लोअर की पहचान उपेक्षापूर्वक या दुर्भावना से प्रकट कर देता है तो उसे तीन वर्ष तक का कारावास और 50,000 रु. तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकता है।

'धारा 17' के अनुसार, यदि 'हिवसल ब्लोअर' कोई प्रकटीकरण दुर्भावना से करता है या जानबूझ कर कि वह गलत या झूठा या भ्रमात्मक है, उसे प्रकट करता है तो उसे दो वर्ष तक के कारावास और 30,000 रु. तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

संबंधित विभागाध्यक्ष या कंपनियाँ भी कुछ शर्तों के अधीन दंडित की जा सकती हैं। इस अधिनियम के अधीन अपराधों का निर्णय सक्षम प्राधिकारी की शिकायत पर किसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जा सकता है।

हिवसल ब्लोअर को सुरक्षा

विधेयक के तीन मुख्य उद्देश्यों में एक 'ऐसी सूचना प्रकट करने वाले को किसी भी प्रकार से किसी जवाबी कार्यवाही का शिकार होने (Victimization) से बचाना' है और यही इसका सार-तत्त्व भी है। आज जिस प्रकार से भारतीय प्रशासनिक तंत्र और नौकरशाही भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, ऐसे वातावरण में ईमानदार लोक सेवक न तो अपने दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वहन कर पा रहे हैं और न ही उन्हें अपने कृत्यों का सही सम्मान मिल पा रहा है। यदि वे भ्रष्टाचार या पदों के दुरुपयोग के विरुद्ध आवाज भी उठाना चाहें तो उन्हें न केवल स्थानांतरण या निलंबन का शिकार होना पड़ता है बल्कि अनेक मामलों में ऐसे लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। विधेयक में हिवसल ब्लोअर को मुख्यत: निम्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है-

i) नियत प्राधिकारी, जिसे सूचना प्रदान की गई है, सूचना प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखेगा और इसे तब तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, जब तक कि सूचनादाता स्वयं ऐसा नहीं चाहता है [धारा 5(इ)]।

ii) सक्षम प्राधिकारी मामले में अपनी अलग जांच के दौरान संबंधित विभाग के अध्यक्ष को भी निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखा जाए।

iii) केंद्र सरकार का दायित्व होगा कि वह हिवसल ब्लोअर को किसी जवाबी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करे। फिर भी कोई हिवसल ब्लोअर अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है और सक्षम प्राधिकारी समुचित आदेश या निर्देश जारी कर सकता है तथा ऐसा आदेश/निर्देश उस प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा, जिसे वह जारी किया गया है। ऐसे आदेश/निर्देश का पालन नहीं करने वाले प्राधिकारी पर 30,000 रु. तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है (धारा 11)।

iv) हिवसल ब्लोअर के आवेदन पर या ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा की आवश्यकता के संबंध में सक्षम अधिकारी स्वआकलन के आधार पर संबंधित पुलिस अधिकारी के साथ-साथ सरकारी प्राधिकारी को ऐसे परिवादी, साक्षी या अन्य संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दे सकता है (धारा 12)।

v) सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सूचना या दस्तावेज और शिकायतकर्ता की पहचान को हर हाल में गुप्त रखेगा जब तक कि उसे प्रकट किया जाना आवश्यक न हो गया हो या न्यायालय के आदेश के कारण उसे प्रस्तुत किया जाना हो (धारा 13)।

सुरक्षा की आवश्यकता क्यों

वर्तमान समय में भ्रष्टाचार का जिस तरीके से बोलबाला है उसके खुलासे को लेकर तमाम कठिनाइयाँ हैं। भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा करने वालों की सुरक्षा को लेकर ही यह अधिनियम बनाया गया था। लेकिन तमाम अनुभव बताते हैं कि यह अपने कार्यों में बहुत हद तक सफल नहीं रहा है।

सरकार के किसी भी विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करना एक टेढ़ी खीर जैसा होता है। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हिवसल ब्लोअर की आवश्यकता होती है जो अपने कौशल के बदौलत जानकारियाँ प्राप्त करते हैं व उसे सार्वजनिक करते हैं लेकिन इनकी सुरक्षा की चिंता सर्वथा बनी रहती है। आज देश में नौकरशाही और नेताओं के बीच मिलीभगत होने के कारण जानकारी बाहर नही आ पाती और यदि आ भी गई तो, जो जानकारी प्रदान करता है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी-कभी तो उसकी हत्या तक कर दी जाती है। आरटीआई कार्यकर्ताओं तथा पत्रकारों की हत्या इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

हालांकि हिवसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम में साक्षी या हिवसल ब्लोअर को सुरक्षा देने का प्रावधान है लेकिन धरातल पर यह वास्तविकता के उलट है क्योंकि अभी हाल ही में देश के अंदर कई आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, जैसे- नंजीभाई सोदर्वा (गुजरात), मो. ताहिरूद्दिन (बंगाल), ललीत मेहता (झारखण्ड), कामेश्वर यादव (झारखण्ड), वेंकटेश (कर्नाटक), शेहला मसूद (मध्यप्रदेश), भुवनेश्वरम (तमिलनाडु), रामविलास सिंह (बिहार), संजय त्यागी (उत्तर प्रदेश) आदि।

इसके अलावा न सिर्फ सरकारी विभागों में बल्कि निजी क्षेत्रों में भी जो खुलासा करता है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार का एक बड़ा प्लेटफार्म निजी क्षेत्र में भी है। कई मामलों में तो निजी एवं सरकारी विभागों के मिलीभगत से बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है

इसलिए क्षेत्र चाहे जो भी हो ह्विसल ब्लोअर की सुरक्षा हर हाल में आवश्यक है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में भ्रष्टाचार का जिस तरीके से बोलबाला है उसे देखते हुए साक्षी या ह्विसल ब्लोअर की सुरक्षा अति आवश्यक है क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो देश के आम नागरिक का भरोसा सरकार और देश दोनों पर से कमज़ोर होगा। आम नागरिकों के लिए आवाज उठाने वाले यदि सुरक्षित नही रहेंगे तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों का बना रहना इस बात पर निर्भर करता है कि देश में आम से लेकर खास नागरिक तक कितना सुरक्षित है।

सरकार परिवर्तन की पक्षधर हो या सकारात्मक सोच वाली हो, ध्यान इस बात पर भी देना होगा कि परिवर्तन से कहीं संवैधानिक स्वतंत्रता और अधिकार कमजोर न हो जाएं। ह्विसल ब्लोअर की सुरक्षा सरकार के सामने एक गंभीर समस्या है अतः सरकार को ऐसे कानून का सहारा लेना चाहिए जिससे कि इनकी सुरक्षा भी हो सके और नागरिकों की मांगें या उनकी समस्या भी सरकार तक पहुंच सके जिससे कि उसका सही समय पर निदान हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वर्पू पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

4. करतारपुर गलियाराः शांति की राह

चर्चा का कारण

हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित गलियारे की आधारशिला रखी। भारत की ओर से गलियारे के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आधारशिला रखी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में पूरे विश्व में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती अर्थात् प्रकाशोत्सव मनाई जाएगी। इस दौरान राज्य सरकारों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर कई समारोहों का आयोजन किया जाएगा।

करतारपुर साहिब गलियारा और भावी परिदृश्य

- केंद्र सरकार ने लंबे समय से चर्चा में रहे करतारपुर साहिब गलियारे को विकसित करने का भी फैसला लिया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक लगभग 3 किलोमीटर लंबा करतारपुर साहिब गलियारे का निर्माण और इसका विकास किया जाएगा। इससे भारत से तीर्थयात्री आसानी से पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जा सकेंगे। यह गलियारा बन जाने के बाद तीर्थयात्री पूरे वर्ष इस गुरुद्वारे में जा सकेंगे।
- पाकिस्तान सरकार द्वारा भी उचित सुविधाओं के साथ अपने क्षेत्र में ऐसा ही एक 4 किलोमीटर लंबा गलियारा बनाया जायेगा।
- केंद्र सरकार गुरुनानक देवजी के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक शहर सुल्तानपुर लोधी को भी ऊर्जा दक्षता सहित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर एक धरोहर के रूप में विकसित करेगी। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण के रूप में सुल्तानपुर लोधी को 'पिंड बाबे नानक दा' के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिसमें गुरु नानक देवजी के जीवन को दर्शाया जाएगा। सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कर उसे सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा।
- गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में सेंटर फॉर इंटर-फेथ स्टडीज (Centre for Inter-faith Studies) स्थापित किया जाएगा। ब्रिटेन और कनाडा की एक-एक यूनिवर्सिटी में गुरु नानक देवजी की पीठ (Chair) स्थापित की जाएगी। गुरु नानक देवजी के जीवन और शिक्षाओं पर नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा। गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार खास सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेगी।

करतारपुर साहिब का महत्व

उल्लेखनीय है कि करतापुर गुरूद्वारे तक भारतीय श्रद्धालुओं का वीजा मुक्त पहुँच और अरदास की माँग आजादी के समय से ही चली आ रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करतापुर साहिब गलियारा बनाने की माँग की थी। इसके बाद वर्ष 2000 में पाकिस्तान ने करतापुर में वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की।

देश में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी की निगरानी करने वाली कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस अवसर पर रेलवे गुरूनानक देव से जुड़े पवित्र स्थलों के बीच एक विशेष ट्रेन चलाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कराया जाएगा। सरकार ने गुरूनानक देव के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक शहर सुल्तानपुर लोधी को एक विरासत शहर और एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है।

सिख धर्म के इतिहास के अनुसार गुरूनानक देव जी ने अपनी प्रसिद्ध चार तीर्थ यात्राओं को पूरा करने के बाद 1515 में करतारपुर में रहने लगे। इसके साथ ही उनका पूरा परिवार भी करतापुर आकर बस गया। उनके माता-पिता का निधन भी इसी जगह पर हुआ। उन्होंने रावी नदी के किनारे सिखों के लिए एक नगर बसाया और यहीं पर 'नाम जपो किरतन करो और वंड छको' अर्थात् नाम जपें, मेहनत करें और बाँटकर खाएँ का उपदेश भी पहली बार दिया। गुरूनानक देव के अगले उत्तराधिकारी लहणाजी को गुरू गद्दी भी करतारपुर में सौंपी गई, जिन्हें सिख समुदाय के दूसरे गुरू अंगद देव के नाम से जाना जाता है।

इतने वर्ष गुजरने के बाद मुसलमान तथा सिख दोनों ही वहाँ जाते हैं जहाँ सिखों के लिए नानक उनके गुरू हैं वहीं मुसलमानों के लिए पीर हैं। करतारपुर गुरूद्वारे के अंदर एक कुआँ स्थित है और ऐसा माना जाता है कि ये कुआँ गुरूनानक देव जी के ही समय से है। कहा जाता है कि सबसे पहले लंगर की शुरूआत यही से हुई थी। दरअसल भारत-पाकिस्तान बँटवारे से पहले करतारपुर, गुरदासपुर का ही हिस्सा था।

आजादी से पहले रावी नदी में आयी बाढ़ के चलते ये गुरूद्वारा काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। तब 1920-29 के बीच इस गुरूद्वारे का निर्माण पटियाला के महाराज ने कराया था। इसके बाद 1995 में पाकिस्तान सरकार ने भी इसके कुछ हिस्सों का निर्माण करवाया। फिलहाल में जो गुरूद्वारा है उसका निर्माण 2001 में करवाया गया था।

लाभ

- भारत-पाकिस्तान गलियारे की शुरूआत सीमा पर एक साँचे की तरह कार्य करेगा जिससे सीमा पर धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लंबे समय से पाकिस्तान कब्जे वाली (कश्मीर) नीलम घाटी स्थित शारदा पीठ को फिर से खोलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
- इसी प्रकार ये सूफी परम्परा के मानने वाले लोगों को अर्थात् जो ख्वाजा 'मुईनुद्दीन चिश्ती' की दरगाह की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी लाभदायक है। अर्थात् सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़ सकेंगे।
- करतारपुर गुरूद्वारा साहिब के पाकिस्तान में स्थित होने से वहाँ तक जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था साथ ही यहां पर बड़े-बड़े हाथी घास उग आया करती थी लेकिन अब गलियारा बनने से इनकी पहुँच सीधी हो सकेगी।
- पाकिस्तान के लिए भी करतारपुर गलियारा पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावना का द्वार खोलेगा।
- गलियारे की कुल दूरी दोनों ओर से मिलाकर कुल 7 कि.मी. है। इससे पर्यटन विकास के साथ-साथ विभिन्न बुनियादी सुविधाओं (जैसे- रेलवे, रोड, स्वास्थ्य, एयर लिंक आदि) का विकास होगा जिससे रोजगार के नये-नये अवसर विकसित होंगे।
- इसके साथ ही दोनों देशों के संबंधों पर जमी कड़वी परत पिघलेगी जिससे दोनों देशों के संबंध मधुर होंगे।
- करतारपुर गलियारा भारत-पाकिस्तान के भावी नियती का निर्धारण करेगा तथा दोनों देशों के नागरिकों और उनके साझा संस्कृति के बीच एक महत्वपूर्ण पुल की तरह कार्य करेगा, साथ ही द्विपक्षीय संबंधों के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा।

चुनौतियाँ

- करतारपुर गलियारा भारत-पाकिस्तान के बीच दूरियों को पाटने का बड़ा जरिया बन सकता है, लेकिन दोनों तरफ आशंकाएँ इतनी हावी हैं कि यह आसान नहीं है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का दोहरा रुख रिश्ते सुधारने की राह में बड़ा रोड़ा है।
- करतारपुर गलियारा विकास की आधारशिला रखे जाने पर पाक सेना अध्यक्ष कमर बाजवा का खालिस्तानी मोस्टवांटेड गोपाल चावला से मिलना और पाक प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा कश्मीर मुद्दे का जिक्र करना पाक के दोहरे रवैये को चरितार्थ करता है।
- पूर्व राजदूत एन एन झा ने कहा कि खालिस्तान को समर्थन देना पाकिस्तान की नीति का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान हमेशा शांति की बात करके अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियों को बढावा देता रहा है। इसी क्रम में उसकी मंशा करतारपुर गलियारे के रास्ते का इस्तेमाल करके खालिस्तान को बढ़ावा देना हो सकता है।

सरकारी प्रयास

- करतारपुर गलियारे का काम सरकार की सहायता से एक संयुक्त विकास परियोजना के रूप में किया जाएगा ताकि सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस मार्ग पर तीर्थयात्री सुगमता से और सरलता से आ जा सकें।
- सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कई सारी सुविधाएँ मुहैया कराएगी।
- इसके तहत करतारपुर गलियारे पर ही वीजा और कस्टम की सुविधा भी होगी।
- श्रद्धालु भारत और पाकिस्तान की ओर से अलग-अलग बनाए गए गलियारे से होकर गुजरेंगे।
- यह गलियारा पाकिस्तान के करतापुर और भारत के मान गाँव को जोड़ेगा।
- यह गलियारा लगभग 6 महीने के अंदर बनकर तैयार होगा।
- इसके साथ ही पाकिस्तान से लगी सरहद पर एक उच्च क्षमता की दूरबीन लगाने की योजना है ताकि करतारपुर नहीं पहुँच पाने वाले श्रद्धालु सीमा से ही देख सकेंगे।

मूल्यांकन

निश्चित तौर पर गुरुनानक की 550वीं जयंती के मौके पर करतारपुर योजना पर भारत सरकार के मंत्रिमंडल का फैसला स्वागत योग्य है। उसी के साथ पाकिस्तान सरकार की तरफ से आगामी 28 नवंबर को शुरू की गई योजनाएँ भी दोनों देशों के लिए उचित है। दरअसल उग्रवाद को बढ़ावा देना और उसका राजनयिक इस्तेमाल करना पाकिस्तान की फितरत में है और उसका खामियाजा वह स्वयं भी भुगत रहा है। यही कारण है कि कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर बलूचिस्तान के उग्रवादियों के हाल के हमले में दो पाकिस्तानी पुलिस भी मारे गए।

पाकिस्तान एक ओर चीन के साथ वन बेल्ट वन रोड परियोजना और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की योजना पर काम कर रहा है तो दूसरी ओर संसाधनों से संपन्न अपने ही सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान का दमन और शोषण कर रहा है। यही कारण है कि वहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपनी आजादी की माँग कर रही है। उग्रवाद और अलगाववाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान जब तक इन हरकतों से बाज नहीं आएगा तब तक उसे न तो चीन के गलियारे का लाभ होगा और न ही भारत के साथ मैत्री कायम हो पाएगी। हालांकि उसने ननकाना साहिब में साल भर तक चलने वाले नानक देव की जयंती के मौके पर सद्भाव दिखाने का प्रयास किया है और भारत सरकार का भी लंबे समय से बहुप्रतीक्षित करतारपुर गलियारे का स्वप्न साकार होता दिख रहा है। इसके बावजूद यह सतर्कता जरूरी है कि इसका इस्तेमाल सद्भाव की बजाय भारत की एकता को चुनौती देने के लिए न हो।

हालांकि यह गलियारा दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम देगा, ऐसी उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। अभी हम इतनी ही उम्मीद बाँध सकते हैं कि भारत-पाकिस्तान रिश्तों के उतार-चढ़ाव का इस गलियारे पर कोई असर न पड़े। दोनों देशों के बीच कई बार सद्भावना के सेतु बने, मगर तनाव की हल्की सी दस्तक आते ही वे टूट गए। इसका अपवाद दिल्ली और लाहौर के बीच चलने वाली बस सेवा 'सदा-ए-सरहद' और दोनों देशों के बीच चलने वाली ट्रेन 'समझौता एक्सप्रेस' हैं, जो पिछले कई साल से अबाध रूप से चल रही हैं और जिनको कारगिल युद्ध के समय भी बंद नहीं होने दिया गया था। करतारपुर गलियारे के लिए भी ऐसी ही सोच की जरूरत है। यह डर हमेशा बना रहेगा कि पाकिस्तान कहीं इसका बेवजह फायदा उठाने की कोशिश न करे। भारत सरकार को इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है।

पाकिस्तान के नारवा जिले में रावी नदी के किनारे स्थित भारतीय सीमा से महज कुछ कि.

मी. की दूरी पर स्थित सिक्खों की अपार आस्था का केन्द्र करतारपुर गुरुद्वारा अब भारत में बसे सिख समुदाय के लिए सुलभ होगा। करतारपुर साहिब सिक्खों के सबसे पवित्र स्थलों में शुमार है जो सिक्खों के प्रथम गुरू गुरूनानक देव जी का निवास स्थान था। गुरू नानक ने अपने जीवन के बहुमूल्य 18 साल यहीं पर बिताए और यहीं उन्होंने अंतिम साँस ली। ये जगह उच्च आस्था को दर्शाती हैं जहाँ हिन्दू-मुस्लिम एक ही गुरू की पूजा करते हैं। इसलिए यहाँ पर गुरूनानक देव की समाधि और मजार दोनों स्थित हैं।

इस गलियारे का उद्देश्य सिख श्रद्धालुओं के लिए गुरू नानकदेव के जीवन से जुड़ी पवित्र स्थल तक पहुँच और आवाजाही को आसान बनाना है। गुरू नानक देव की जयंती से एक दिन पहले ही इस गलियारे को बनाने की घोषणा भारत सरकार ने की थी। इसके बाद दोनों देशों ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपने-अपने हिस्से के गलियारे का काम शुरू किया।

निष्कर्ष

करतारपुर गलियारा सिख धर्म के अनुयायी के लिए सबसे पवित्र स्थल है। इस गलियारे के खुल जाने से भारत और पाकिस्तान के मध्य राजनयिक वार्तालाप के सुगबुगाहट की आस जगी है। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री के सकारात्मक रवैये से यह गलियारा शुरू हुआ है, जो एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। यह दोनों देशों के लिए काफी हितकर है। करतारपुर गुरूद्वारा हिन्दू-मुस्लिम सामाजिक-संस्कृति का भी परिचायक है। आस्था और इतिहास के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण यह गलियारा दोनों देशों के लिए बेहतर संबंध स्थापित करने में सहायक साबित होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

5. जी-20 सम्मेलन और भारत

चर्चा का कारण

हाल ही में जी-20 देशों का 13वाँ शिखर सम्मेलन अर्जेन्टीना के ब्यूनस आयर्स में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है- 'न्यायपूर्ण और सतत विकास के लिए आम सहमति'। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जनहित सर्वोपरि विषय पर चर्चा की एवं वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से पड़ने वाले प्रभाव, केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाएँ और आतंकवाद सहित कई विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लिया।

परिचय

जी-20 दुनिया के प्रमुख देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का एक संगठन है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इनका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय सेंट्रल बैंक करता है। 25 सितम्बर 1999 को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में विश्व के सात प्रमुख देशों के संगठन जी-7 ने एक नया संगठन बनाने की घोषणा की थी। उभरती आर्थिक शक्तियों की खराब वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए इसका (जी-20) गठन किया गया था।

जी-20 के सदस्य देशों में अर्जेन्टीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अमेरिका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। जी-20 की अध्यक्षता एक प्रणाली के तहत प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, जो समय के साथ क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करता है। अनौपचारिक राजनीतिक मंच की अपनी प्रकृति को दर्शाते हुए जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारी वरिष्ठ अधिकारियों के जिम्मे होती हैं जिन्हें शेरपा कहा जाता है, जो जी-20 के नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जी-20 सम्मेलन

जी-20 सम्मेलन की शुरूआत, 1999 में एशिया में आये वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर हुई थी। पहले जी-20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन 2008 के वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति की पहल पर 14-15 नवम्बर 2008 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था, तब से ये बैठक प्रत्येक वर्ष सुचारू रूप से हो रही हैं।

उल्लेखनीय है कि जी-20 के सदस्य देश वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है। जी-20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 85 फीसदी, वैश्विक व्यापार का 75 फीसदी और विश्व की आबादी का दो तिहाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस सम्मेलन में 20 देशों के प्रमुख के अलावा आयोजन करने वाला देश अपने विवेक से दूसरे देशों को भी आमंत्रित करता है। 2010 में अर्जेटीना ने चिली और नीदरलैण्ड को आमंत्रित किया था।

उद्देश्य

- जी-20 का प्रमुख उद्देश्य विकसित औद्योगिक देशों के साथ-साथ उभरते बाजारों को जोड़ना है (मुख्यतः भारत एवं चीन)। इसके साथ ही विश्व के बाजारों में तेजी और स्थिरता लाना भी जी-20 का उद्देश्य है।
- जी-20 सम्मेलन 2018 का उद्देश्य तकनीकी के जरिये लोगों की दक्षता और जीवन को आसान बनाना है।
- इसका एक अन्य उद्देश्य ऐसे मामलों को हल करना है जो कोई संगठन खुद से हल नहीं कर पा रहा है।

जी-20 में भारत की भूमिका

उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार, भारत 23 अंकों के उछाल के साथ 77वें पायदान पर आ गया है जिससे कि इन देशों की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। पिछले साल भी जी-20 देशों ने भारत के सतत और समावेशी विकास के लिए उठाये जा रहे कदमों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत के योगदान को अहम बताया था। 2017 में भारत व्यापार करने में सुगमता के मामले में 100वें पायदान पर था।

भारत इस साल दुनिया की छठी बड़ी

अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। 2017 के आँकड़ों को देखें तो भारत की जीडीपी 2.6 लाख करोड़ थी और फ्रांस की जीडीपी 2.58 लाख करोड़ थी, जो कि भारत से कम है। भारत अब दुनिया की सबसे तीव्र विकास दर वाली अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर है, जिसके कारण जी-20 देश भारत को प्रमुखता से देख रहे हैं।

भारत एशिया में विकासशील देशों में आगे होने के साथ-साथ एक बड़ा उभरता हुआ बाजार है। वैश्विक बाजार की हालिया संरक्षणवादी नीतियों को देखते हुए दुनिया भारत की ओर रूख कर रही है क्योंकि तेज गति से विकास कर रही चीन की अर्थव्यवस्था की विकास दर भी 2009 के बाद धीरे-धीरे कम हो रही है। पिछले वर्ष जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में जी-20 देशों ने कहा था कि भारत नवोन्मेष और कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप्स को विदेशों से व्यावसायिक लोन (ईसीबी) जुटाने के लिए बढ़ावा दे रहा है। इससे न सिर्फ ढाँचागत सुधार होगा बल्कि स्वस्थ आर्थिक वृद्धि में भी तेजी आएगी।

वर्तमान में भारत को आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ सामरिक क्षेत्र में भी विकास करना है। भारत को तकनीकी क्षेत्र में कई विकसित देशों की आवश्यकता है क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या और बड़ा भू-भाग वाला देश है। इसके समावेशी विकास के लिए तकनीक अति आवश्यक है जिससे कि विकास की किरण हर घर तक पहुँच सके। रक्षा क्षेत्र में भी भारत को कई साजो सामान व हथियारों की आवश्यकता है क्योंकि भारत का विवाद अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और चीन के साथ लगातार बना हुआ है। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़े देशों से तकनीकी आयात की संभावना लगातार बनी हुई है। एक विशाल जनसंख्या होने के कारण आवश्यकताएँ भी अधिक हैं, इसलिए जी-20 के देश इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहे हैं। इसका उदाहरण फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, आदि देशों द्वारा भारत में हो रहे व्यापक निवेश के रूप में देखा जा सकता है।

वर्तमान में भारत विकसित देशों के साथ अपने संबंधों को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है जो भारत के लिए एक सकारात्मक पहल है। भारत विकसित देशों के साथ जैसे-जैसे अपने संबंधों को प्रगाढ़ करेगा, वैसे-वैसे जी-20 देश भी भारत के साथ सकारात्मक रूख अपनाऐंगे।

जी-20 देशों को भारत की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान में भारत सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक लेगाटम इंस्टीट्यूट के 12वें सालाना वैश्विक समृद्धि सूचकांक में भारत 19 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 94वें स्थान पर पहुँच गया है। सूचकांक को तैयार करने के लिए अपनाए गए 100 मानकों को नौ स्तंभों के आधार पर आंका गया है। इसके तहत भारत आर्थिक गुणवत्ता में 58वें पायदान पर, कारोबारी माहौल में 51वां स्थान, प्रशासन में 40वें, निजी स्वतंत्रता में 99वें, सामाजिक पूँजी में 102वें, संरक्षण और सुरक्षा में 104वें, शिक्षा में 104वें, स्वास्थ्य में 109वें और प्राकृतिक पर्यावरण में 130वें स्थान पर है।

इसके अलावा भारत 8230 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व का छठा सबसे धनी देश है। रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत दुनिया का चौथा सबसे धनी देश बन जाएगा। समृद्धि के मामले में भी भारत, चीन के करीब पहुँच गया है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) के एक सर्वे में भारत सरकार को दुनिया की तीसरी सबसे भरोसेमंद सरकार बताया गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 'ईज ऑफ पेइंग टैक्स'' में भारत 53 स्थानों की छलांग लगाकर 119वें स्थान पर आ गया है। इसके साथ ही विदेशियों की नजर में भारत में रहने का माहौल बेहतर हुआ है। रहने और काम करने के हिसाब से भारत की स्थिति में 12 पायदान का सुधार हुआ।

भारत के नौ-सूत्री कार्यक्रम

- G-20 देशों के बीच प्रबल एवं सक्रिय सहयोग अर्थात् कानूनी प्रक्रियाओं में आपस में सहयोग करना, जैसे- अपराधी की कमाई को जब्त करना, अपराधियों को जल्दी-जल्दी लौटाना और लूट के माल को कारगर ढंग से देश को वापस करना।
- G-20 देशों के द्वारा एक ऐसी प्रणाली तैयार करना जिससे आर्थिक रूप से भगोड़े अपराधियों को किसी देश में प्रवेश करने से रोका जाए।
- जी 20 देश ऐसे अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही और उनके जल्द प्रत्यर्पण के लिये आपस में सहयोग को बढावा देंगे ।
- संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी संधि (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) तथा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध विरोधी संधि (United Nations Convention Against Transnational Organised Crime – UNOTC) के सिद्धांतों का कारगर क्रियान्वयन किया जाए।
- भगोड़े अपराधियों के बारे में समय पर और व्यापक ढंग से सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (Financial Action Task Force – FATF) का आह्वान किया जाना चाहिए।
- FATF को भगोड़े आर्थिक अपराधी की मानक परिभाषा तैयार करने का काम सौंपा जाना चाहिए।
- FATF को यह भी चाहिए कि वह ऐसे मामलों में अपराधी की पहचान, सम्बंधित देश को वापस लौटाने और न्यायिक प्रक्रियाओं के विषय में एक मानक प्रक्रिया तय करे जिसपर सभी G-20 देशों की सहमति हो।
- एक ऐसा समान मंच बनाए जाए जहाँ विभिन्न देश-वापसी के सफल मामलों से सम्बन्धित अपने-अपने उत्कृष्ट अनुभवों और प्रथाओं के बारे में एक-दूसरे को बताएँ और साथ ही यह सुझाव दें कि देश-वापसी एवं कानूनी सहायता से सम्बन्धित वर्तमान तंत्र में कहाँ-कहाँ खामियाँ हैं।
- G-20 मंच उन आर्थिक अपराधियों की सम्पत्तियों का पता लगाने के लिए पहल करने पर भी विचार करें जिन्होंने अपने देश में कर की चोरी की है।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में यदि जी-20 देशों को अर्थव्यवस्था के विकास दर के आधार पर देखें तो चीन (6%), तुर्की (5.20%), इंडोनेशिया (5%), ऑस्ट्रेलिया (3.40%), अमेरिका (3%), मैक्सिको (2. 50%), स्पेन (2.5%), कनाडा (1.9%), यूरो क्षेत्र (1.70%), सऊदी अरब (1.61%), यूनाइटेड किंगडम (1.50%), फ्रांस (1.40%), ब्राजील (1. 30%), रूस (1.30%), जर्मनी (1.10%), इटली (0.70%), दक्षिण अफ्रीका (0.40%), जापान (0.30%), अर्जेंटीना (-4.20%) तथा भारत (8. 50%) है। इन देशों के विकासदर में भारत सबसे आगे है और संभावना जताई जा रही है कि आगे भी यही स्थिति बनी रहने वाली है।

यदि बदलते विश्व को देखें तो हर देश चाहे वह विकसित हो या विकासशील, विकास की अंधी दौड़ में आगे बढ़ रहा है। उसके विकास का पैमाना चाहे जो हो लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना चाहता है। यह देखा जा रहा है कि प्रकृति के विनाश पर ही विश्व का विकास हो रहा है जिससे पर्यावरणीय समस्याएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। विकास के इस दौड़ में विश्व को कई बार आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा है। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए जी-20 जैसे संगठनों की आवश्यकता बढ़ जाती है।

ज्ञातव्य है कि जी-20 के देशों में बहुत से ऐसे देश हैं जो पर्यावरण को लेकर सोचते नहीं हैं या फिर सुधार के लिए कोई ठोस उपाय नही कर रहे हैं। इनमें विकसित देश अग्रणी हैं। इसलिए जी-20 के भीतर भी कई बार विवाद उत्पन्न होते रहते हैं जिससे कि इस संगठन पर प्रश्नचिह्न भी लगता है।

ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट-2018 के अनुसार जी-20 देशों में कुल ऊर्जा आपूर्ति का 82% हिस्सा जीवाश्म ईंधन से आता है। सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में तो यह 90% से भी ज्यादा है। दुनिया की प्रमुख 20 अर्थव्यवस्थाएँ पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। विश्व भर में होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इन देशों की 80% हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जी-20 देशों की वैश्विक तापमान में वृद्धि को डेढ़ डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए वर्ष 2030 तक अपने यहाँ होने वाले प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन की मात्रा आधी करनी पड़ेगी।

जी-20 के सामने चुनौतियाँ

1. **जलवायु परिवर्तन:** राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले कह चुके हैं कि वो अमरीका के कोयला उद्योग को पुनर्जीवित करेंगे। ट्रंप ने ये भी कहा था कि पेरिस समझौते में अमरीकी हितों की अनदेखी की गई थी। हालांकि जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि ये समझौता बदला नहीं जा सकता है।
2. **आतंकवाद:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दक्षिण एशिया में एक देश आतंकवाद को फैला रहा है। उन्होंने कहा, "हिंसा और आतंकवाद की बढ़ती ताकत ने चुनौती खड़ी कर दी है। कुछ देश हैं जो इसे राष्ट्रीय नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वास्तव में, दक्षिण एशिया में एक ही देश है जो हमारे क्षेत्र के देशों में आतंक फैला रहा है। आतंकी, आतंकी ही होता है। आतंकवाद के समर्थन करने वालों को अलग किया जाए और उन पर प्रतिबंध लगाए जाए। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूँ कि एक होकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्योंकि इससे कम में कुछ भी पर्याप्त नहीं है।"
3. **वैश्विक उत्पादकता:** विगत कुछ दशकों के पर्यवेक्षण से यह सामने आया है कि वैश्विक रूप से औद्योगिक उत्पादकता में एक महत्वपूर्ण गिरावट आयी है। विकसित और विकासशील दोनों देशों में निर्माण क्षेत्र में वेतन में काफी समय से कोई वृद्धि नहीं हुयी है। इसके साथ-साथ, कृत्रिम बुद्धिमता तथा स्वचालित यंत्रों के क्षेत्र में काफी तकनीकी विकास तथा नवीनीकरण हुआ है। यह नवीनीकरण दुनिया में निर्माण की प्रक्रिया को नया स्वरूप दे रहा है। इसके आय की गतिशीलता पर प्रभाव को एक अन्तर्राष्ट्रीय जाँच की जरूरत है।

   भारत, चीन, ब्राजील, तुर्की जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए उत्पादकता तथा रोजगार निर्माण से सम्बंधित संरचनात्मक समस्याओं के समाधान हेतु कोई लघु उपाय नहीं हैं। इसके लिए यूरोपियन देशों, कनाडा तथा अमेरिका का सहयोग जरूरी है। जी-20 द्वारा ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु एक अच्छा प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा सकता है।
4. **विभेदक कराधान के सहयोग में कमी:** इस क्षेत्र में, जी-20 देशों ने विगत वर्षों में काफी उन्नति की है परन्तु अब भी बेमेल कर प्रणाली जो वैश्विक कैपिटल के संचार में तथा ब्याज के दरों में प्रभाव डालता है, को सही करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बेमेल कर प्रणाली बड़ी कंपनियों को ऐसे बाजारों में धन निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। जिससे बाजार में विसंगति पैदा होती है। कैपिटल के जरूरत के संतुलित होने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कर नीतियों का आपस में सहयोगी होना महत्वपूर्ण है। जी-20 जैसा संगठन इस क्षेत्र के सहयोग के लिए सफलतापूर्वक सोच विचार कर सकता है।
5. **भ्रष्टाचार:** अर्जेंटीना की अध्यक्षता में, जी-20 ने सार्वजनिक क्षेत्र में अखंडता तथा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सुलभ तरीकों को विकसित करने पर भी जोर दिया। इसमें वन्यजीवों की तस्करी के मसले भी शामिल हैं। दुनिया में बढ़ते भ्रष्टाचार की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जी-20 देशों की सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगी।
6. **अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना:** 13वें जी-20 शिखर सम्मेलन ने अपने अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया। सम्मेलन में यह कहा गया कि निवेश तथा आधारिक संरचना के लिए जरूरी माहौल तैयार किया जायेगा।

आगे की राह

- जी-20 देशों में अमेरिका का रूख अन्य देशों से अलग है और वह पर्यावरण के मुद्दे पर अपना कदम हमेशा पीछे खींच लेता है। इसलिए जी-20 देशों को यह प्रयास करना चाहिए कि वे अमेरिका पर दबाव बनायें।
- आतंकवाद के मुद्दे पर भी इन देशों का अलग-अलग विचार है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर एकजुट रहा जाय जिससे कि इससे निपटा जा सके।
- इधर कई वर्षों से जी-20 देशों की उत्पादकता में भी कमी आई है जो वैश्विक दृष्टिकोण से सही नहीं है इसलिए समावेशी विकास के साथ उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।
- कुछ देशों द्वारा संरक्षणवादी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं जो कि आर्थिक गतिविधियों के लिए सही नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह पक्षपातपूर्ण नीतियों को खत्म किया जाय।
- पूरे विश्व के सामने भ्रष्टाचार एक ज्वलंत मुद्दा है अतः इस व्यवस्था को इस प्रकार संचालित किया जाय कि भ्रष्टाचार की स्थिति निम्नतम हो। इसके लिए सभी देशों को मिलकर तकनीकी आधारित व पारदर्शी व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा।
- जी-20 देशों के सामने भारत का यह प्रस्ताव है कि ''कानूनन प्रक्रिया में आपसी सहयोग जैसे प्रभावशाली तरीकों से अपराध से होने वाली कमाई को जब्त करना, अपराधियों को जल्द से उस देश को सौंपा जाय और अपराध से हुई आय को वापस उस देश को भेजने के तरीके को सुव्यवस्थित करने और उसे बढ़ाने की जरूरत है।''
- जी-20 देशों के सामने एक बड़ी समस्या आर्थिक भगोड़े को लेकर है। इसलिए इन देशों को एक ऐसा तंत्र बनाने की आवश्यकता है जिससे आर्थिक भगोड़ों को अपने यहाँ आने और उसे सुरक्षित पनाह देने पर रोक लगायी जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

6. भारत और वियतनामः एक सामरिक साझेदार

चर्चा का कारण

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वियतनाम की अपनी आधिकारिक यात्रा संपन्न की। बैठक के दौरान भारत और वियतनाम ने शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के महत्व को दोहराया। दोनों देशों ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, अंतरिक्ष, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, तेल व गैस, बुनियादी विकास, कृषि के क्षेत्र आदि में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने वियतनाम सीमा रक्षकों के लिए उच्च गति के गश्ती जहाजों के निर्माण के लिए 10 करोड़ डॉलर की भारतीय वित्तीय मदद को लागू करने की समीक्षा भी की। दोनों देशों ने सभी प्रारूपों में आतंकवाद की निंदा की और इस खतरे के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने पर सहमत हुए।

पृष्ठभूमि

भारत और वियतनाम पुरानी सभ्यताएं हैं। इनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध बेहद प्राचीन हैं। दोनों देशों के संबंध खासे व्यापक हैं। वैचारिक संस्कृति और अभिव्यक्ति के उदय से काफी समय पहले से भारत के व्यापारी वियतनाम के तट से सामान और वस्तुएं लाते रहे हैं। भारत-वियतनाम के सामुद्रिक संबंध प्राचीन काल से कायम हैं। वियतनाम और भारत महज खास दोस्त ही नहीं हैं, बल्कि इनका आर्थिक दृष्टिकोण और सोच भी समान है। भारत वर्ष 1947 में आजाद हुआ था और वियतनाम भी लगभग उसी समय (1945 में) आजाद हुआ था। उसी समय से दोनों देश एक-दूसरे के करीबी रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों की जड़ें दोनों देशों के विदेशी शासन से आजादी के आम संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। फ्रांस के शासन से आजादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू पहले नेताओं में से एक थे, जिन्होंने वियतनाम का 1954 में दौरा किया। हो ची मिन्ह ने फरवरी 1958 में भारत का दौरा किया। भारत ने वियतनाम के एकीकरण का समर्थन किया और वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तर वियतनाम को अपना समर्थन भी जताया। भारत वियतनाम संबंध को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

राजनीतिक संबंध

भारत और वियतनाम के बीच आधिकारिक कूटनीतिक संबंध सन् 1972 में कायम हुए और तब से लेकर आज तक मित्रतापूर्ण रिश्ते बने हुए हैं।

हाल के वर्षो में दोनों देशों की ओर से उच्च स्तर पर अनेक यात्राएँ संपन्न हुई हैं जो दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं। वियतनामी प्रधानमंत्री श्री नगुएन टान डंग ने 2007 में भारत का आधिकारिक दौरा संपन्न किया था। राष्ट्रपति श्री त्रंग टान सांग ने अक्टूबर 2011 में भारत का दौरा किया था तथा प्रधानमंत्री नगुएन टान डंग ने पुनः अक्टूबर, 2013 में भारत का दौरा किया था। इसी प्रकार वियतनाम के प्रधानमंत्री नु एन तन जुग ने वर्ष 2014 में भारत का आधिकारिक दौरा संपन्न किया और इस दौरान दोनों देशों ने दक्षिणी चीन सागर में तेल और गैस की खोज पर सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति जताई। मार्च 2018 में वियतनाम के राष्ट्रपति त्राण दाई क्वांग और भारत के प्रधानमंत्री के बीच रक्षा, तेल, गैस, कृषि समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।

भारत की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में, राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने नवंबर, 2008 में, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अक्टूबर 2010 में वियतनाम का दौरा किया था। जब सितंबर, 2014 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने हनोई तथा हो ची मिन्ह शहर का दौरा किया तो इस दौरान, स्वास्थ्य, पेंगासियस प्रजनन, युवा मामलों तथा भारत और वियतनाम के बीच सीधी उड़ान शुरू करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। 2-3 सितंबर, 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वियतनाम की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।

आर्थिक संबंध

भारत ने 1975 में वियतनाम को अत्यधिक प्रिय राष्ट्र (मोस्ट फेवर्ड नेशन) का दर्जा दिया। इसके साथ ही दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापर समझौते पर 1978 में हस्ताक्षर किया और 8 मार्च 1997 को द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण समझौते (बीआईपीपीए) पर हस्ताक्षर किया।

वियतनाम और भारत के संबंधों की खासियत यह है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। आज भारत वियतनाम के शीर्ष 10 व्यापार साझेदारों में से एक है। भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार भारत और म्यांमार के बीच कुल व्यापार वित्तीय वर्ष 2016-17 में 6244.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। दोनों देशों ने 2020 तक द्विपक्षीय व्यापार को 15 मिलियिन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले 8 वर्षो में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार चार गुना बढ़ा है। यह 2010 में 3.7 अरब डॉलर था जो वर्ष 2018 में बढ़कर 12.8 अरब डॉलर पहुँच गया है।

भारत से निर्यात होने वाली मुख्य वस्तुओं में मशीनरी, औजार, समुद्री खाद्य पदार्थ, दवाईयाँ, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी और कीमती पत्थर। वहीं वियतनाम से जो मुख्य वस्तुएं आयात की जाती हैं उनमें, मोबाइल फोन, रसायन, रबर, लकड़ी के सामान, कम्प्यूटर, कॉफी आदि। भारत का वियतनाम में निवेश 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बरकरार है जिसमें भविष्य में और इजाफा होने की उम्मीद है। निवेश के क्षेत्र में भारत का 110 देशों में स्थान 25वां है। भारत के लगभग 131 बड़े प्रोजेक्ट वियतनाम में संचालित हैं।

रक्षा संबंध

रक्षा भी द्विपक्षीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारतीय प्रधानमंत्री की वियतनाम यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच नाभिकीय उर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद से ही सामरिक भागीदारी के तहत दोनों देशों ने व्यापक सहयोग से परमाणु उर्जा के विकास, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकी गुटों के खिलाफ लड़ाई एवं नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने जैसे कई कदम उठाये हैं। भारत वियतनाम को 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन भी मुहैया करा रहा है जिसके तहत वियतनाम भारत से रक्षा उत्पादों की खरीद कर सकता है। सितंबर 2016 की वियतनाम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 500 मिलियन डॉलर की नयी क्रेडिट लाइन की घोषणा की लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। भारत वियतनाम को चार बड़े गश्ती पोत बेच रहा है और उच्च तकनीक की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रणाली को भी बेचने पर बात चल रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) भी

दक्षिण वियतनाम में 'सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड इमेजिंग सेंटर' का निर्माण कर रहा है जिससे कि चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

भारत-वियतनाम संबंधों की आवश्यकता

- वियतनाम की तरह भारत का जोर भी आर्थिक सुधार, विकास दर में बढ़ोत्तरी और अपने युवा नागरिकों की पूरी संभावनाओं के दोहन पर रहा है। इस साल अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर 8.2 प्रतिशत रही, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। 2025 तक भारत का जीडीपी का दोगुना होकर 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो वर्तमान में 2.5 ट्रिलियन डॉलर है।
- देश भर में डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार, आर्थिक सुधारों, अनुकूल जनसांख्यिकी और स्टार्ट-अप के लिए सकारात्मक माहौल के साथ भारत के वर्ष 2025 तक दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने का अनुमान है। ऐसे में भारत को बड़े बाजार के साथ-साथ बड़े निवेश की भी जरूरत है। वियतनाम और भारत की व्यापारिक भागीदारी खुद ही अपनी सफलता की कहानी बयां करती है। दोनों पक्षों के विकास और कारोबार की संभावनाओं को देखते हुए भरोसा बढ़ाए जाने की जरूरत है। दोनों देशों के सामने कई संभावनाएं मौजूद हैं। भारत में वित्तीय सेवा, आईटी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हाइड्रोकार्बन, रक्षा, नवीनीकृत ऊर्जा, खनन, स्वास्थ्य, पर्यटन और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में खासी संभावनाएं हैं। वियतनाम प्रमुख कार्यक्रमों जैसे- मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्टार्ट-अप इंडिया और डिजिटल इंडिया में भागीदारी कर सकता है।
- व्यापार के मोर्चे पर दोनों देश सराहनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों देश 2020 तक 15 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर हैं। वियतनाम आसियान में भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है और भारत अब वियतनाम के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में शामिल हो चुका है।
- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रशिक्षण सहित विभिन्न भागीदारियों में कृषि एक प्रमुख क्षेत्र रहा है।
- भारत 'कू लॉन्ग राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट' की स्थापना के माध्यम से वियतनाम की कृषि क्रांति में सहयोग दे सकता है क्योंकि वियतनाम एक बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था है। बीते साल इसका कृषि-समुद्री-वन्य निर्यात 35 अरब डॉलर के आँकड़े को पार कर गया था। भारत-वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार में 45 प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादों का है। कृषि प्रसंस्करण, कृषि-रसायन, कृषि मशीनरी, जैव प्रौद्योगिकी और उच्च तकनीकी युक्त कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी की काफी संभावनाएं हैं। भारतीय उद्योग, वियतनाम की कॉफी, काली मिर्च, काजू, फल और सब्जियों जैसी फसलों की सफलता से काफी कुछ सीख सकता है।
- भारतीय दवा उद्योग कारोबार के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है और दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। वे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों के क्षेत्र में वियतनाम के साथ भागीदारी कर कम लागत में सार्वजनिक स्वास्थ प्रणाली उपलब्ध करा सकता है। भारत की दवा कंपनियां वियतनाम में घरेलू उत्पादन की संभावनाओं पर गौर कर रही हैं। वहां चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को प्रोत्साहन दिए जाने की भी खासी संभावनाएं हैं।
- भारत और वियतनाम दोनों वस्त्र उद्योग के बड़े खिलाड़ी हैं। दोनों देश वैल्यू चेनों के एकीकरण की दिशा में सहयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार तेल एवं गैस, विद्युत, बुनियादी ढांचा और नवीनीकृत ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी खासी संभावनाएं हैं। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अपनी वैश्विक और किफायती विशेषज्ञता व अनुभव के साथ भारत की नवीन ऊर्जा कंपनियां वियतनाम के साथ भागीदारी कर सकती हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्त-तकनीक क्षेत्र सहित भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र के पास वियतनाम के विकास में योगदान करने के लिए काफी कुछ है।
- यहां भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय रिश्ते का अहम होना इस बात से भी समझा जा सकता है कि वियतनाम ने एपेक (एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन) में भारत की सदस्यता की बात की है और यह भी कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है।
- वियतनाम इस बात को भी मानता है कि अगर 21वीं सदी को एशियाई सदी बनानी है, तो इसके सारे देशों के बीच 'फ्रीडम ऑफ नेविगेशन' बहुत जरूरी है, वह चाहे वायु मार्ग हो या जल मार्ग हो। भारत ने इस बात का पूरी तरह से समर्थन किया है।

चीन की भूमिका

शीत युद्ध के बाद के काल में चीन ने दक्षिण पूर्व एशिया में एक सक्रीय भूमिका निभाई। वियतनाम के एकीकरण से पहले, चीनी पीएलए ने 1974 में पार्सेल द्वीपों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जनवरी 1978 में वियतनाम ने चीनी समर्थित खमेर रूज सरकार पर आक्रमण कर तानाशाही शासकों को अपदस्थ कर दिया, जिससे चीन को आघात पहुंचा। 17 फरवरी, 1979 को चीन ने वियतनामी लोगों को सबक सिखाने के लिए वियतनाम के उत्तरी सीमाओं पर धावा बोल दिया। यह संघर्ष 06 मार्च, 1979 तक चला और इसमें चीनियों को कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ। मई 2011 में चीन ने वियतनामी तेल अन्वेषण का केबल काट दिया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। दक्षिण चीन सागर में वियतनाम ने भारत को तेल ब्लॉक आवंटित किया है। चीन ने इस मामले में भारत को आगाह किया है, लेकिन भारत ने यह कहकर कि अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में व्यावसायिक गतिविधि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अतिआवश्यक है और यह संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि का उल्लंघन भी नही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में नई सरकार अधिक मुखर हो गई है और मई 2014 में इसने दक्षिण चीन सागर में एक मोबाइल तेल रिंग स्थापित किया। इस पर फिलीपींस ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) में इस मामले की शिकायत की। लेकिन हाल के वर्षों में वियतनाम का संबंध चीन के साथ भी मजबूत हुआ है और चीन यहाँ पर अपनी कई परियोजनाओं को संचालित कर रहा है। अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं सभी देशों के अपने-अपने हित हैं इसलिए वियतनाम का भी ऐसा मानना है कि चीन को साथ लेकर चलना जरूरी है क्योंकि एशिया के बाकी देश भी इस संबंध में अपनी-अपनी कोशिशें कर रहे हैं। यही

वजह है कि एशिया की जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, वे सभी चीन को साथ लेकर चल रही हैं।

जिस तरह से दुनिया के कई देशों में संरक्षणवाद (प्रोटेक्शनिज्म) बढ़ रहा है, ऐसे में देशों के बीच फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बढ़े, ताकि एशियाई देशों के बीच पारस्परिक व्यापार के साथ शांति और सद्भाव कायम हो सके। अर्थात हमें वियतनाम के साथ बिना क्षेत्रीय दबाव के आगे बढ़ना होगा। इसलिए दोनों देशों के लिए आवश्यक है कि अगर एशिया को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाना है, तो शांति और सुरक्षा की दृष्टि से सभी एशियाई देशों को साथ लेकर चलना होगा।

भारत-और वियतनाम: भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के लिए वियतनाम महत्वपूर्ण है। भारत और वियतनाम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक नियम आधारित व्यवस्था का दृष्टिकोण साझा करते हैं और क्षेत्र में विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। दोनों देशों के दृष्टिकोण और चिंताएं समान हैं जिसमें दक्षिण चीन सागर एक महत्वपूर्ण घटक है। दोनों प्राचीन समुद्री राष्ट्र हैं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के वाणिज्य, सुरक्षा और स्थिरता में साझेदार हैं। वियतनाम के साथ भारत की साझेदारी के कई पहलू हैं जिनमें मजबूत कारोबार, राजनीतिक और लोगों के आपसी संबंध शामिल हैं। भारत-और वियतनाम एक नियम आधारित व्यवस्था की सोच रखते हैं जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती हो और नौवहन तथा ऊपरी उड़ानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हो।'' चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है। इस क्षेत्र को लेकर वियतनाम, फिलिपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के विरोधी दावे हैं।

क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी?: भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई थी। इस नीति ने पूर्व सरकारों की ओर से लुक ईस्ट की नीति को एक कदम आगे बढ़ाया था। इस नीति को जब शुरू किया गया तो इसे एक आर्थिक पहल के तौर पर देखा गया था लेकिन अब इस नीति ने एक राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक अहमियत भी हासिल कर ली है जिसके तहत देशों के बीच बातचीत और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक तंत्र की शुरूआत भी कर दी गई है। भारत ने इस नीति के तहत इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और आसियान देशों के साथ ही एशियाई-प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों के साथ संपर्क को बढ़ाया है।

वियतनाम की वर्तमान स्थिति

वियतनाम की स्थिति दक्षिण चीन सागर के नजदीक है। दक्षिणी चीन सागर वर्तमान समय में एक विवादित क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में चीन दावा करता है कि दक्षिणी चीन सागर पर सिर्फ उसका अधिकार है और यहाँ पर जो भी नौ परिवहन होगी वो चीन के अनुसार होगी। मगर बहुत से देश जैसे फीलीपीन्स, वियतनाम और इंडोनेशिया आदि चीन के दावे से असहमति जता चुके हैं।

दक्षिणी चीन सागर में बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन मौजूद है साथ ही ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र में तेल के भण्डार मौजूद हैं। इसलिए इस क्षेत्र में सभी वैश्विक देशों के नजरें टिकी हुई हैं।

वियतनाम भारतीय विदेश नीति अर्थात् एक्ट ईस्ट नीति के केन्द्र में है चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो या किसी अन्य स्तर पर।

भारतीय राष्ट्रपति अपने वियतनाम दौरे में वियतनाम स्थित विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। वियतनाम सरकार ने अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए एक साइट ''My Son'' बनाया है। My Son एक यूनेस्को की विश्व विरासत साइट है। इस साइट के माध्यम से सदियों पुराने प्राचीन हिन्दू मंदिर मिलेंगे। ये मंदिर भगवान शिव के हैं। लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रपति ने My Son site का भ्रमण क्यों किया? इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि भारत अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहता है। भारत-वियतनाम के प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं जिसका प्रमाण है वियतनाम या दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भगवान शिव तथा भगवान बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ एवं मंदिर अर्थात् भारत की कोशिश ये है कि वियतनाम के लोगों को ये बताएं कि दोनों देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक संबंधों के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंध कितने गहरे हैं।

भारत-वियतनाम के बीच समझौते के मुख्य बिन्दु-

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के वर्तमान दौरे से दोनों देशों के मध्य मुख्यत: चार क्षेत्रों में सहयोग के लिए 'एमओयू' पर समझौते हुए हैं।

1. वियतनाम के सूचना और संचार मंत्रालय तथा भारतीय संचार मंत्रालय के मध्य संचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए 'एमओयू' पर हस्ताक्षर हुए।
2. Indian Business Chamber in Vietnam (INCHAM) और वियतनाम के विदेशी मामलों के विभाग के बीच एमओयू पर समझौता।
3. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और हनोई स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स के मध्य एमओयू पर समझौता।
4. सीआईआई (CII) तथा वीसीसीआई (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) के बीच सहयोग समझौता।

महत्व

वियतनाम क्षेत्रीय संपर्क के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में भारत त्रिपक्षीय रोड लिंक पर काम कर रहा है जिसमें इंडिया-म्यांमार तथा थाइलैण्ड शामिल हैं। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो भारत की पहुँच दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते वियतनाम तक हो सकेगी और आगे चलकर वियतनाम के बंदरगाह दा नांग (Da Nang) तक इसका विस्तार किया जा सकेगा जिससे दोनों देशों के मध्य व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

आगे की राह

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा से भारत और हनोई के बीच रक्षा और आर्थिक संबंध पहले से और मजबूत होगें।
- भारत और वियतनाम के बीच सामुद्रिक अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा।
- भारत और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक संबंध और भी मजबूत होगे क्योंकि दोनों देशो के बीच सदियों से सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं जैसे- वियतनाम में प्राचीन शिव मन्दिर और अनेक बौद्ध मूर्तियों का पाया जाना। इन दोनों का संबंध भारत से रहा है।
- भारत और वियतनाम संबंधों से पूर्वी एशिया और एशिया के अन्य देशों से संबंधों में नजदीकीयाँ बढ़ने की संभावना है क्योंकि वियतनाम इस बात को मानता है कि अगर 21वीं सदी को एशियाई सदी बनानी है तो एशिया के सभी देशों की बीच 'फ्रीडम ऑफ नेविगेशन' बहुत जरूरी है।
- भारत-वियतनाम संबंध से एक्ट ईस्ट पालिसी को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि एक्ट ईस्ट पालिसी एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के देशों में सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से लायी गयी थी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

7. सिटी गैस वितरण परियोजनाः गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर

चर्चा का कारण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विज्ञान भवन (नई दिल्ली) से 'सिटी गैस वितरण परियोजना' (सीजीडी प्रोजेक्ट) के नौवें 'बोली प्रक्रिया दौर' (Bidding Round) का शिलान्यास किया है। इस नौवें दौर के तहत 129 जिलों के 65 भौगोलिक क्षेत्रों (Geographical Areas) में प्राकृतिक गैस का वितरण किया जायेगा। सीजीडी नेटवर्क के विकास से देश में स्वच्छ रसोई गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) आदि की उपलब्धता बढ़ायी जायेगी।

पृष्ठभूमि

1990 के दशक में गेल (GAIL) ने दिल्ली और मुम्बई में सिटी गैस प्रोजेक्ट की शुरूआत की थी। बाद में इन शहरों में अन्य कम्पनियों की मदद से सीजीडी परियोजनाएँ शुरू की गयीं। इन परियोजनाओं के काफी सकारात्मक परिणाम आये।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) की स्थापना करके प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनों के नेटवर्क को कानूनी ढाँचा प्रदान किया गया। यह बोर्ड विभिन्न शहरों में सीजीडी परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

इस बोर्ड का गठन 2006 में "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006" के तहत किया गया था। अतः यह एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है। इसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का न्यूनतम लागत पर कारगर परिवहन और वितरण करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढाँचा का निर्माण करना है और कंपनियों के बीच उचित प्रतिस्पर्द्धा को निर्धारित करके उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करना है।

सिटी गैस वितरण परियोजना

इस परियोजना के द्वारा शहरों में प्राकृतिक गैस के परिवहन व वितरण हेतु एक ग्रिड (नेटवर्क) तैयार किया जा रहा है। सिटी गैस वितरण ग्रिड के बुनियादी ढाँचे में निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं-

- **i) पाइपलाइन सिस्टमः** प्राकृतिक गैस को उत्पादन करने वाले कुओं से प्रसंस्करण यूनिट तक पहुँचाने के लिए एक उचित व मजबूत पाइपलाइन का होना जरूरी होता है।
- **ii) प्रसंस्करण (Processing):** यहाँ प्राकृतिक गैस से अशुद्धियों (पानी आदि) को अलग कर दिया जाता है।
- **iii) भण्डारण (Storage):** प्राकृतिक गैस को बेहद सुरक्षित जगह में भण्डारित किया जाता है और उच्च माँग के समय गैस की आपूर्ति इसी भण्डारण से सुनिश्चित की जाती है।
- **iv) अंतर्राज्यीय पाइपलाइन (Interstate Pipeline):** इसमें बड़ी-बड़ी व्यास वाली पाइपलाइनें प्रयोग की जाती हैं और इनके द्वारा प्रसंस्करण यूनिट या भण्डार गृह से गैस को अधिक खपत वाले क्षेत्रों (जैसे- उद्योग, महानगर, बिजली संयंत्र इत्यादि) की ओर ले जाया जाता है।

सिटी गैस वितरण नेटवर्क को विकसित करने के लिए "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड" (PNGRB) प्रतिस्पर्द्धी चयन प्रक्रिया से विभिन्न एजेंसियों को निम्नलिखित चार अलग-अलग क्षेत्रों में लाइसेंस प्रदान करता है-

- i) कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी)- इसका प्रयोग मुख्यतः वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- ii) पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी)- इसका मुख्यतः घरेलू कार्यों में उपयोग किया जाता है।
- iii) वाणिज्यिक (Commercial)
- iv) औद्योगिक (Industrial)

उल्लेखनीय है कि 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड' प्राकृतिक गैस और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही देश के विभिन्न हिस्सों में सीजीडी के नेटवर्क का विकास कर रहा है।

भारत में प्राकृतिक गैस का परिदृश्य

1960 में असम और गुजरात में प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की खोज के साथ ही देश में 'प्राकृतिक गैस उद्योग' का विकास शुरू हुआ और इस उद्योग ने तब और गति पकड़ी जब ओएनजीसी (ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड) ने 1970 के दशक में दक्षिण बेसिन क्षेत्रों (South Basin Areas) में प्राकृतिक गैस के स्रोतों की खोज की।

शुरूआत में भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण व खनन को सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (ONGC & OIL) ही कर सकते थे। किंतु बाद में सीमित मात्रा में संयुक्त उद्यम के माध्यम से निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी गई। वर्तमान में 'नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति' (New Exploration Licensing Policy, NELP) के तेल एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में अन्वेषण (Exploration) और खनन करने हेतु 100% विदेशी निवेश की छूट प्रदान की गयी है।

भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस के प्रसिद्ध क्षेत्र निम्नांकित हैं-

- i) ऐश्वर्या तेल क्षेत्र (Aishwarya Oil Fields)- बाड़मेर जिला, राजस्थान
- ii) कृष्णा-गोदावरी बेसिन- यहाँ रिलायंस का प्रसिद्ध डी-6 ब्लॉक है।
- iii) पन्ना-मुक्ता तेल क्षेत्र- यह मुम्बई के उत्तर-पश्चिम में स्थित है।
- iv) मंगला तेल क्षेत्र- बाड़मेर (राजस्थान)
- v) बॉम्बे हाई फील्ड
- vi) कावेरी बेसिन
- vii) त्रिपुरा, असम (डिग्बोई आदि), गुजरात

प्राकृतिक गैस क्यों महत्वपूर्ण है?

प्राकृतिक गैस एक पर्यावरण मित्र ईंधन है और अन्य परम्परागत ईंधनों की अपेक्षा सस्ता है। प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनों के द्वारा आसानी से आपूर्ति की जा सकती है।

मई 2018 में डब्ल्यूएचओ की जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण की काफी गंभीर स्थिति पाई गयी थी। विश्व के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत के ही थे। भारत में वायु प्रदूषण के कई कारक हैं किंतु उनमें सबसे प्रमुख और बड़ा कारण वाहनों, खाना पकाने और औद्योगिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाला परम्परागत ईंधन (जैसे- कोयला, डीजल आदि) है। इस स्थिति में प्राकृतिक गैस इन ईंधनों का एक अच्छा विकल्प है।

सुप्रीम कोर्ट और देश की अन्य उच्च अदालतों ने पर्यावरण को लेकर काफी चिंता जताई है। दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट ने भारी व पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाने के साथ-साथ सरकार को सीएनजी बसों को चलाने का आदेश दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी समय-समय पर वायु प्रदूषण को लेकर आदेश व निर्देश देता रहता है। अतः सरकार को उक्त कानूनी अड़चनों से बचने व लोगों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सीजीडी परियोजना के प्रभाव

इस परियोजना के प्रभावों को निम्नांकित खण्डों में विभाजित करके देखा जा सकता है-

- **आर्थिक प्रभाव:** प्राकृतिक गैस, अब तक के ज्ञात सभी ईंधनों से सस्ती व सुलभ है इसलिए यह देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकती है। औद्योगिक इकाइयों को अपने उत्पादन हेतु जब प्राकृतिक गैस प्राप्त होगी तो उनकी उत्पादन लागत में कमी आयेगी और वे बाजार में सस्ता माल बेच सकेंगी। इससे उपभोक्ता व कम्पनी दोनों को लाभ होगा और साथ ही अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** पर्यावरण मित्र ईंधन के इस्तेमाल से लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों (मुख्यत: साँस सम्बन्धी बीमारियाँ) से निजात मिलेगी।
- **महिला सशक्तिकरण:** ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का अभी भी अधिकतर समय खाना पकाने से सम्बन्धित कार्यों में बीतता है। पहले वह खाना पकाने के लिए जंगलों आदि से लकड़ियों को इकट्ठा करती हैं फिर उनसे भोजन पकाती हैं, जिसमें समय अधिक लगने के साथ-साथ स्वास्थ्य जोखिम भी बहुत हो जाता है। इनडोर प्रदूषण का सर्वप्रमुख कारण अस्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल होना है।

  भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाये हैं। इस योजना के द्वारा गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन मुफ्त दिये जाते हैं। इस योजना ने न सिर्फ महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर किया है बल्कि समय की बचत भी की है। बचे हुए समय में महिलाओं ने उत्पादक गतिविधियाँ सम्पन्न की हैं। यही कारण है कि देश में महिलाओं से सम्बन्धित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने काफी प्रगति की है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की उज्ज्वला योजना की तारीफ डब्ल्यूएचओ ने भी की है।
- **शैक्षणिक प्रभाव:** सीएनजी युक्त वाहन सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिससे अच्छे स्कूलों की दूरदराज क्षेत्रों तक भी सस्ती पहुँच सुनिश्चित हो सकती है और एक ग्रामीण परिवेश का विद्यार्थी शहर में पढ़कर वापस घर आसानी से लौट सकता है। उल्लेखनीय है कि किसी देश की सस्ती व बेहतर परिवहन व्यवस्था अन्य फायदों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ शैक्षणिक नेटवर्क को भी गतिशील बनाती है और हम जानते हैं कि शिक्षित व उद्यमशील समाज रुढ़िवादी विचारों को त्यागकर आधुनिकता की ओर उन्मुख होता है।
- **सस्ती बिजली:** प्राकृतिक गैस की ग्रिड, द्वारा सरकार बड़े-बड़े बिजलीघरों को भी गैस की आपूर्ति कर रही है, जिससे लोगों को निरंतर व सस्ती बिजली प्राप्त हो सकेगी।
- **लॉजिस्टिक प्रभाव:** प्राकृतिक गैस को पाइपलाइनों के द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान लाया-ले जाया जा सकता है, जिससे अन्य की अपेक्षा इस ईंधन की लॉजिस्टिक लागत कम आती है।

चुनौतियाँ

भारत सरकार को सीजीडी परियोजना को सफल बनाने के लिए ग्रिड स्थापित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति निर्बाध व लगातार सुनिश्चित करनी होगी। भारत के पास पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डार काफी कम है, इसलिए वह प्राकृतिक गैस आदि के आयात पर काफी निर्भर रहता है। पेट्रोलियम के भण्डार ओपेक (OPEC) देशों (खासकर पश्चिमी एशियाई देशों) में काफी अधिक पाये जाते हैं किंतु ये देश अपने निजी हितों के चलते आपूर्ति को बाधित किया करते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम के दाम काफी अधिक हो जाते हैं, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है।

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति ओपेक देशों के निजी स्वार्थों के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भी प्रभावित होती है, जैसे- हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाये हैं जिसके चलते अब कोई भी देश ज्यादा दिनों तक ईरान से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात नहीं कर पायेगा। अब जब भारत ईरान से काफी अधिक पेट्रोलियम का आयात करता है तो उसकी आपूर्ति प्रभावित होनी निश्चित है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम के दाम भी बढ़ेंगे। उल्लेखनीय है कि पेट्रोलियम पदार्थों के व्यापार में भारत मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर का प्रयोग करता है जो भारत के पास काफी सीमित मात्रा में है। अत: महँगे पेट्रोलियम पदार्थ भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार पर नकारात्मक असर डालते हैं जिससे देश में महँगाई बढ़ती है और राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) बढ़ता है।

भारत के पास सीमित संसाधन हैं, अत: ऐसे में इसके लिए प्राकृतिक गैस के वितरण की ग्रिड को विकसित करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। हमारे देश में कुछ शहरों व कॉलोनियों को छोड़कर अधिकतर शहरों का विकास अनियोजित तरीके से हुआ है तो ऐसे में हर घर को गैस के पाइप से जोड़ना भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा।

सरकारी प्रयास

भारत और चीन, दोनों में ही प्राथमिक ईंधन (कोयला) के पर्याप्त भण्डार हैं और दोनों ही देश अपनी अधिकतर ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति हेतु इसी पर निर्भर हैं। लेकिन पेरिस जलवायु सम्मेलन के बाद इन दोनों देशों ने स्वच्छ ईंधन अपनाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है।

वर्तमान में भारत और चीन अपनी ऊर्जा जरूरत का 6 से 8 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक गैस से पूरा करते हैं जबकि पश्चिमी विकसित देशों में यह आँकड़ा 30 प्रतिशत का है जबकि वैश्विक औसत 24 प्रतिशत का है। कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने पिछले एक दशक में प्राकृतिक गैस के उपयोग में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है जबकि चीन ने अपेक्षाकृत अधिक (लगभग 15%) की वृद्धि हासिल की है।

भारत सरकार वर्तमान में अपने गैस के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने में काफी अधिक जोर दे रही है। भारत ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई प्रयास भी किये हैं। यथा- एलईडी बल्ब, बीएस VI मानक का ईंधन, जैव ऊर्जा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बढ़ावा देना इत्यादि।

सरकार अगले कुछ वर्षों में प्राथमिक ऊर्जा टोकरी (Primary Energy Basket) में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.2 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और सीजीडी परियोजना में बोली लगाने की प्रक्रिया का उद्देश्य इस लक्ष्य को पूरा करना है। भारत सरकार ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए देश भर में पर्यावरण अनुकूल ईंधन (प्राकृतिक गैस) के उपयोग को न सिर्फ बढ़ावा दे रही है। बल्कि इसके संग्रह (Stock) पर भी ध्यान दे रही है। ज्ञातव्य है कि सीजीडी नेटवर्क/परियोजना के विस्तार से प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करके औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों को भी लाभ पहुँचाया जा सकेगा।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड (प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा): गैस आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने और ऊर्जा की टोकरी में गैस के हिस्से को 15% तक बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इस योजना के तहत 15000 कि.मी. गैस पाइपलाइन

विकसित करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में, देश में प्राकृतिक गैस की ग्रिड मुख्य रूप से पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक है। इस योजना के माध्यम से सरकार देश के प्रत्येक हिस्से में प्राकृतिक गैस की ग्रिड को विकसित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

सन् 2015 में ऊर्जा संगम (नई दिल्ली) के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि 'सिटी गैस वितरण नेटवर्क' के माध्यम से सरकार ने अगले चार वर्षों में देश में पाइपलाइन गैस कनेक्शनों की संख्या को 1 करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है (तत्कालीन समय में पूरे देश में लगभग 28 लाख पाइपलाइन गैस कनेक्शन थे)। वर्तमान में 31 सीजीडी कम्पनियाँ गैस ग्रिड के माध्यम से 40 लाख घरों में पीएनजी उपलब्ध करा रही हैं।

परिवहन क्षेत्र में सीएनजी/एलएनजी का संवर्द्धन: सरकार ने वाहनों में सीएनजी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं और देश के विभिन्न हिस्सों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़कर सीएनजी पम्प की स्थापना कर रही है।

तापी गैस पाइपलाइन: तापी (TAPI) शब्द, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के शुरूआत के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बना है। यह पाइपलाइन प्राकृतिक गैस के धनी क्षेत्र (कैस्पियन सागर) से उपर्युक्त देशों से होते हुए भारत तक पहुँचेगी। इस पाइपलाइन से प्रवाहित होने वाली गैस से उपर्युक्त सभी देश लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि इस पाइपलाइन के निर्माण कार्य दिसम्बर, 2015 में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। भारत इस पाइपलाइन के माध्यम से '30 से 40 mmscmd' की प्राकृतिक गैस के आयात की योजना बना रहा है और अफगानिस्तान व पाकिस्तान के साथ पारगमन शुल्क (Transit Fee) तथा अन्य संबंधित मामलों पर बातचीत कर रहा है।

आगे की राह

सिटी गैस वितरण परियोजना, भारत में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के अलावा अन्य फायदों के कारण काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार की यह लगातार एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनी हुई है, अतः सरकार को इसके बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना होगा। गैस नेटवर्क को विभिन्न हाईवे और एक्सप्रेस वे आदि से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे इनके वाहनों के लिए सीएनजी पम्प तो उपलब्ध होंगे और साथ-साथ इस गैस नेटवर्क की सुरक्षा भी बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त सरकार को सिटी गैस वितरण परियोजना की बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करनी होगी ताकि सिटी गैस वितरण नेटवर्क को विकसित करने वाले सक्षम व ईमानदार हितधारक शामिल हो सकें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

सेंटिनलीज जनजातिः भारत के एकांतवासी नागरिक

प्र. सेंटिनली जनजाति, विश्व की सबसे एकांतप्रिय (Reclusive) और पृथक (Isolated) जनजातियों में से एक है। क्या भारत सरकार द्वारा इन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए? इस प्रकार की अन्य आदिम जनजातियों के प्रति सरकार की किस तरह की एप्रोच (Approach) होनी चाहिए? चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- सेंटिनलीज जनजाति
- यह जनजाति इतनी आक्रामक क्यों है?
- भारत द्वारा जनजातियों के संरक्षण हेतु किये गए प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह' के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली सेंटिनलीज जनजाति ने अमेरिकी नागरिक 'जॉन शाऊ' की हत्या कर दी। जॉन शाऊ, एक ईसाई धर्म प्रचारक थे और स्थानीय मछुआरे की मदद से वह नार्थ सेंटिनल द्वीप पर गुपचुप तरीके से गए थे।

सेंटिनलीज जनजाति

- नार्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने के कारण इस जनजाति का 'सेंटिनलीज' नाम पड़ा। ऐसा माना जाता है कि यह जनजाति लगभग 60 हजार वर्ष पहले अफ्रीका से आकर यहाँ बसी थी और इनका संबंध निग्रिटो जनजाति (Negrito Tribe) से है।
- इस जनजाति की भाषा (Language), अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली अन्य जनजातियों से बिल्कुल भिन्न है, जिससे इनकी भाषा को अभी तक कोई भी 'मानवविज्ञानी' (Anthropologist) पूर्णतः समझ नहीं पाया है।

यह जनजाति इतनी आक्रामक क्यों है?

- **संस्कृति संरक्षणः** हर जनजाति या समुदाय अपनी संस्कृति को लेकर काफी संवेदनशील रहती है और उसे संरक्षित करने का प्रयास करती है। आदिवासी लोग विदेशियों तथा उनके कार्यो को शंका की दृष्टि से देखते हैं और उस पर हमला करते हैं।
- **अंग्रेजों का अत्याचारः** कुछ इतिहासकारों/विद्वानों का कहना है कि ब्रिटिश शासकों ने अण्डमान-निकोबार द्वीप पर रहने वाली जनजातियों पर काफी अत्याचार किये थे। इस कारण सेंटिनलीज जनजाति बाहरी दुनिया के प्रति आक्रामक हो गयी है।
- **सुरक्षा का डरः** जनजातियों को अपने निवास, जान-माल और अन्य संसाधन के छिनने का भय रहता है।

भारत द्वारा जनजातियों के संरक्षण हेतु किये गए प्रयास

- **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956:** इसके तहत भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप और उसके आस-पास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में फोटो लेना, विडियो बनाना और बिना अनुमति के प्रवेश करना प्रतिबंधित है। फोटो लेने व वीडियो बनाने आदि पर 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है।
- **आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम, 1956:** इसके द्वारा भी सरकार ने जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण का प्रयास किया है।
- **भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017:** यह अधिनियम 'भारतीय वन अधिनियम, 1927' को प्रतिस्थापित करके लाया गया। इसमें जंगलों पर आदिवासियों के अधिकारों के लिए कई प्रावधान किये गये हैं। सरकार ने माना है कि वन संरक्षण में जनजाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

आगे की राह

- सरकार की जनजातियों के संबंध में ''Eyes-on and Hands-off'' की नीति है अर्थात् वह उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु क्रांतिकारी प्रयास नहीं करेगी बल्कि संरक्षण और परीक्षण पर ध्यान देगी और यदि कोई जनजाति स्वयं से मुख्य धारा में शामिल होना चाहती है तो उसे उचित परिवेश मुहैया कराया जायेगा।
- सरकार की जनजातियों के प्रति उपर्युक्त नीति बिल्कुल सही है, बस इसके व्यावहारिक धरातल पर उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि 'सांस्कृतिक विरासत' (Cultural Heritage) के साथ-साथ 'मानवीय विरासत' (Human Heritage) को भी परिरक्षित किया जा सके। ■

महिलाओं के खिलाफ हिंसाः कोख से कब्र तक

प्र. संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और क्राइम विभाग (यूएनओडीसी) की रिपोर्ट में भारत में महिलाओं की अत्यन्त दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा व उत्पीड़न के कारणों का उल्लेख करते हुए उपाय सुझाएँ।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- यूएनओडीसी की रिपोर्ट
- भारत में महिलाओं की स्थिति
- महिलाओं पर अत्याचार के कारण
- महिलाओं के सशक्तिकरण की राह में चुनौतियाँ
- महिलाओं के सशक्तिकरण के विभिन्न उपाय
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और क्राइम विभाग (UNODC) द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस' (25 नवम्बर) के मौके पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह उनका घर ही है। विभाग ने अपने अध्ययन में पाया कि वैश्विक स्तर पर पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 50,000 महिलाओं की हत्या उनके करीबी लोगों ने ही की।

यूएनओडीसी की रिपोर्ट

- यूएनओडीसी की महिलाओं पर अत्याचार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में पूरी दुनिया में लगभग 87,000 महिलाओं की हत्या विभिन्न कारणों से हुई, जिसमें से 50 हजार (अर्थात् 58 प्रतिशत) हत्याएँ उनके करीबियों (पति, प्रेमी एवं अन्य परिजन) ने की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2012 से 2017 के दौरान महिलाओं की उनके करीबियों द्वारा हत्या का प्रतिशत/अनुपात लगातार बढ़ा है।
- 2016 में प्रति एक लाख पर करीबी साथी या परिजन द्वारा महिलाओं की हत्या की दर का विवरण निम्न प्रकार है-

महाद्वीपीय विवरण

- अफ्रीका- 3.1%, अमेरिका- 1.6%, ओशनिया- 1.3%, एशिया- 0.9%, यूरोप- 0.7%

देशवार विवरण

- भारत- 2.8%, केन्या- 2.6%, तंजानिया- 2.5%, अजरबैजान- 1.8%, जॉर्डन- 0.8%, तजाकिस्तान- 0.4%

भारत में महिलाओं की स्थिति

- देश की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग 58,75,84,719 है और महिला साक्षरता दर 64.63 प्रतिशत है।
- महिलाओं के प्रति अपराधों में पूरे देश मे दिल्ली प्रथम स्थान पर है (2016 की रिपोर्ट के मुताबिक)।
- एनसीआरबी के मुताबिक देश में, सन् 2013 से 2017 तक अपहरण के मामलों में 280 प्रतिशत की वृद्धि, रेप के मामलों में 42 प्रतिशत और छेड़छाड़ (Molestation) में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

महिलाओं पर अत्याचार के कारण

- दहेज प्रथा, पुरुष प्रधान समाज, बाल विवाह, बहुविवाह, तलाक प्रथा जैसी कुरीतियाँ, लैंगिक विभेदीकरण, निर्भरता आदि का उल्लेख करें।

महिलाओं के सशक्तिकरण की राह में चुनौतियाँ

- सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद समाज की मनोदशा में महिलाओं को लेकर खास बदलाव नहीं आया है। आज भी महिलाओं को पारम्परिक कृत्यों से हटकर कुछ नया करने के लिए न केवल पुरुषों का बल्कि महिलाओं का भी प्रतिरोध झेलना पड़ता है।
- महिला सशक्तिकरण की वर्तमान दशा में एक कमी यह भी दिखाई देती है कि उपभोक्तावाद व दिखावे की संस्कृति ने नारी को वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया है, अर्थात् उसे एक 'मानवीय पहचान' (Human Entity) के रूप में नहीं बल्कि एक 'वस्तु' (Object) के रूप में पेश किया गया है, जिसके ज्वलंत उदाहरण 'विज्ञापन' हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं से संबंधित कई प्रगतिशील व आधुनिक सोच वाले निर्णय दिये। यथा- तीन तलाक, सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं का प्रवेश आदि। किन्तु राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से इन पर विवाद व गतिरोध बने हुए हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण के विभिन्न उपाय

- **विधिक उपाय:** अनुच्छेद-14, 15, 16, 23, 42, 51क, 243, 326 आदि।
- **आर्थिक उपाय:** सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (2015), जन-धन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि के माध्यम से महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण का प्रयास किया है, क्योंकि महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण में आर्थिक सशक्तिकरण सबसे अहम भुमिका निभाता है।
- **सुरक्षात्मक उपाय:** सशक्तिकरण का एक अहम पहलू सुरक्षा है। अगर महिलाएँ सुरक्षित महसूस करती हैं, तभी वे अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से भागीदारी निभा पाने में सक्षम होंगी।

आगे की राह

- पुरुष और स्त्री मानव समाजरूपी रथ के दो पहिये हैं और इन दोनों के समान रूप से आगे बढ़ने से ही मानवता आगे बढ़ेगी। कोई भी विकास की दौड़ में तभी तेजी से आगे बढ़ सकता है जब सम्पूर्ण जनसंख्या अर्थात् पुरुष के साथ-साथ समान रूप से महिलाओं को भी सशक्त किया जाए। यह देखा भी गया है कि जिस समाज में लैंगिक असमानता कम है वहाँ समरसता व विकास अधिक है।
- राष्ट्रीय महिला नीति (एनपीडब्ल्यू), 2016 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी साकार करने के संकल्प को दर्शाता है। अतः सरकार को अपनी इस नीति के प्रावधानों के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए। ■

भारत में ह्विसल ब्लोअर की सुरक्षाः सशक्त करने की आवश्यकता

प्र. ''ह्विसल ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम 2011'' से आप क्या समझते हैं। इस अधिनियम में बदलाव समय की माँग है या फिर राजनैतिक एजेण्डा। यह अधिनियम साक्षी की सुरक्षा में कितना कारगर है? समीक्षा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण

- पृष्ठभूमिः वैश्विक परिदृश्य
- भारतीय परिदृश्य
- अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान
- सुरक्षा की आवश्यकता क्यों
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में सरकार ने व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने की बात की है। सरकार का यह कहना है कि यह अधिनियम पुराना है और समय के साथ इसमें परिवर्तन आवश्यक है।
- हाँलांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इस अधिनियम के माध्यम से प्रेस को दबाने की कोशिश कर रही है, जो सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है। उल्लेखनीय है कि सूचना और प्रेस की आजादी को मौलिक अधिकारों में से एक माना गया है।

पृष्ठभूमिः वैश्विक परिदृश्य

- यद्यपि वैश्विक परिदृश्य में 'ह्विसल ब्लोअर' की अवधारणा पिछले दो-तीन दशकों में विशेष रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है किंतु ह्विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए ज्ञात प्रथम कानून संभवतः अमेरिका में वर्ष 1863 में बना। वर्ष 1778 में अमेरिकी नेवी के दो नौसैनिकों रिचर्ड मार्वेन और सैमुअल सा ने अपने कमांडर-इन-चीफ हॉपकिंस के विरुद्ध 'ह्विसल-ब्लोइंग' की थी, जिसके प्रतिक्रियास्वरूप इस संबंध में कानून बनाने की माँग उठी थी।

भारतीय परिदृश्य

- यद्यपि न्यायिक कार्यवाहियों में 'ह्विसल ब्लोअर' सुरक्षा की माँग दशकों से हो रही थी किंतु प्रशासनिक क्षेत्र में यह आधिकारिक रूप में विधि आयोग की 179वीं रिपोर्ट, 2001 से चर्चा में आया।
- इस विधेयक को ह्विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2011 के तौर पर दिसम्बर 2011 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 21 फरवरी 2014 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक को 9 मई 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान

- 'धारा 15' के अनुसार, यदि सक्षम प्राधिकारी किसी विभागाध्यक्ष या संस्था से आरोप संबंधी कोई जानकारी मांगता है और उसे ऐसी जानकारी या रिपोर्ट नियत समय के भीतर नहीं दी जाती है या जानबुझ कर दुर्भावनापूर्ण ढंग से जानकारी/रिपोर्ट देने से इंकार कर दिया जाता है या जानबुझ कर अपूर्ण, गलत या भ्रमात्मक अथवा झूठी जानकारी दी जाती है या तात्त्विक सूचना या जानकारी को नष्ट कर दिया जाता है तो उस विभागाध्यक्ष या संस्था पर प्रतिदिन 250 रु. की दर से जो 50,000 रु. तक का हो सकता है, दंड अधिरोपित किया जा सकता है।
- 'धारा 16' के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ह्विसल ब्लोअर की पहचान उपेक्षापूर्वक या दुर्भावना से प्रकट कर देता है तो उसे तीन वर्ष तक का कारावास और 50,000 रु. तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकता है।
- 'धारा 17' के अनुसार, यदि 'ह्विसल ब्लोअर' कोई प्रकटीकरण दुर्भावना से करता है या जानबूझ कर कि वह गलत या झूठा या भ्रमात्मक है, उसे प्रकट करता है तो उसे दो वर्ष तक के कारावास और 30,000 रु. तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

सुरक्षा की आवश्यकता क्यों

- वर्तमान समय में भ्रष्टाचार का जिस तरीके से बोलबाला है उसके खुलासे को लेकर तमाम कठिनाइयाँ हैं। भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा करने वालों की सुरक्षा को लेकर ही यह अधिनियम बनाया गया था। लेकिन तमाम अनुभव बताते हैं कि यह अपने कार्यों में बहुत हद तक सफल नहीं रहा है।
- हालांकि ह्विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम में साक्षी या ह्विसल ब्लोअर को सुरक्षा देने का प्रावधान है लेकिन धरातल पर यह वास्तविकता के उलट है क्योंकि अभी हाल ही में देश के अंदर कई आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, जैसे- नंजीभाई सोदर्वा (गुजरात), मो. ताहिरूद्दिन (बंगाल), ललीत मेहता (झारखण्ड), कामेश्वर यादव (झारखण्ड), वेंकटेश (कर्नाटक), शेहला मसूद (मध्यप्रदेश), भुवनेश्वरम (तमिलनाडु), रामविलास सिंह (बिहार), संजय त्यागी (उत्तर प्रदेश) आदि।

निष्कर्ष

- सरकार परिवर्तन की पक्षधर हो या सकारात्मक सोच वाली हो, ध्यान इस बात पर भी देना होगा कि परिवर्तन से कहीं संवैधानिक स्वतंत्रता और अधिकार कमजोर न हो जाएं। ह्विसल ब्लोअर की सुरक्षा सरकार के सामने एक गंभीर समस्या है अतः सरकार को ऐसे कानून का सहारा लेना चाहिए जिससे कि इनकी सुरक्षा भी हो सके और नागरिकों की मांगें या उनकी समस्या भी सरकार तक पहुंच सके जिससे कि उसका सही समय पर निदान हो सके। ■

करतारपुर गलियाराः शांति की राह

प्र. हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित गुरूद्वारा साहिब गलियारा भारत और पाकिस्तान के बीच न सिर्फ द्वि पक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि आर्थिक और धार्मिक रूप से भी यह अति महत्वपूर्ण है। समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- करतारपुर साहिब गलियारा और भावी परिदृश्य
- लाभ
- चुनौतियाँ
- मूल्यांकन
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित गलियारे की आधारशिला रखी। भारत की ओर से गलियारे के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आधारशिला रखी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में पूरे विश्व में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती अर्थात् प्रकाशोत्सव

मनाई जाएगी। इस दौरान राज्य सरकारों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर कई समारोहों का आयोजन किया जाएगा।

करतारपुर साहिब गलियारा और भावी परिदृश्य

- केंद्र सरकार ने लंबे समय से चर्चा में रहे करतारपुर साहिब गलियारे को विकसित करने का भी फैसला लिया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक लगभग 3 किलोमीटर लंबा करतारपुर साहिब गलियारे का निर्माण और इसका विकास किया जाएगा। इससे भारत से तीर्थयात्री आसानी से पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जा सकेंगे। यह गलियारा बन जाने के बाद तीर्थयात्री पूरे वर्ष इस गुरुद्वारे में जा सकेंगे।
- पाकिस्तान सरकार द्वारा भी उचित सुविधाओं के साथ अपने क्षेत्र में ऐसा ही एक 4 किलोमीटर लंबा गलियारा बनाया जायेगा।

लाभ

- भारत-पाकिस्तान गलियारे की शुरूआत सीमा पर एक साँचे की तरह कार्य करेगा जिससे सीमा पर धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लंबे समय से पाकिस्तान कब्जे वाली (कश्मीर) नीलम घाटी स्थित शारदा पीठ को फिर से खोलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
- इसी प्रकार ये सूफी परम्परा के मानने वाले लोगों को अर्थात् जो ख्वाजा 'मुईनुद्दीन चिश्ती' की दरगाह की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी लाभदायक है। अर्थात् सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़ सकेंगे।
- करतारपुर गुरूद्वारा साहिब के पाकिस्तान में स्थित होने से वहाँ तक जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था साथ ही यहां पर बड़े-बड़े हाथी घास उग आया करती थी लेकिन अब गलियारा बनने से इनकी पहुँच सीधी हो सकेगी।

चुनौतियाँ

- करतारपुर गलियारा भारत-पाकिस्तान के बीच दूरियों को पाटने का बड़ा जरिया बन सकता है, लेकिन दोनों तरफ आशंकाएँ इतनी हावी हैं कि यह आसान नहीं है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का दोहरा रुख रिश्ते सुधारने की राह में बड़ा रोड़ा है।
- करतारपुर गलियारा विकास की आधारशिला रखे जाने पर पाक सेना अध्यक्ष कमर बाजवा का खालिस्तानी मोस्टवांटेड गोपाल चावला से मिलना और पाक प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा कश्मीर मुद्दे का जिक्र करना पाक के दोहरे रवैये को चरितार्थ करता है।

मूल्यांकन

- निश्चित तौर पर गुरुनानक की 550वीं जयंती के मौके पर करतारपुर योजना पर भारत सरकार के मंत्रिमंडल का फैसला स्वागत योग्य है। उसी के साथ पाकिस्तान सरकार की तरफ से आगामी 28 नवंबर को शुरू की गई योजनाएँ भी दोनों देशों के लिए उचित है। दरअसल उग्रवाद को बढ़ावा देना और उसका राजनयिक इस्तेमाल करना पाकिस्तान की फितरत में है और उसका खामियाजा वह स्वयं भी भुगत रहा है। यही कारण है कि कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर बलूचिस्तान के उग्रवादियों के हाल के हमले में दो पाकिस्तानी पुलिस भी मारे गए।
- हालांकि यह गलियारा दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम देगा, ऐसी उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। अभी हम इतनी ही उम्मीद बाँध सकते हैं कि भारत-पाकिस्तान रिश्तों के उतार-चढ़ाव का इस गलियारे पर कोई असर न पड़े। दोनों देशों के बीच कई बार सद्भावना के सेतु बने, मगर तनाव की हल्की सी दस्तक आते ही वे टूट गए। इसका अपवाद दिल्ली और लाहौर के बीच चलने वाली बस सेवा 'सदा-ए-सरहद' और दोनों देशों के बीच चलने वाली ट्रेन 'समझौता एक्सप्रेस' हैं, जो पिछले कई साल से अबाध रूप से चल रही हैं और जिनको कारगिल युद्ध के समय भी बंद नहीं होने दिया गया था। करतारपुर गलियारे के लिए भी ऐसी ही सोच की जरूरत है। यह डर हमेशा बना रहेगा कि पाकिस्तान कहीं इसका बेवजह फायदा उठाने की कोशिश न करे। भारत सरकार को इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- करतारपुर गलियारा सिख धर्म के अनुयायी के लिए सबसे पवित्र स्थल है। इस गलियारे के खुल जाने से भारत और पाकिस्तान के मध्य राजनयिक वार्तालाप के सुगबुगाहट की आस जगी है। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री के सकारात्मक रवैये से यह गलियारा शुरू हुआ है, जो एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। यह दोनों देशों के लिए काफी हितकर है। करतारपुर गुरूद्वारा हिन्दू-मुस्लिम सामाजिक-संस्कृति का भी परिचायक है। आस्था और इतिहास के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण यह गलियारा दोनों देशों के लिए बेहतर संबंध स्थापित करने में सहायक साबित होगा। ■

जी-20 सम्मेलन और भारत

प्र. हाल ही में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जी-20 देशों का 13वाँ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के बारे में बताते हुए इन देशों के लिए भारत की महत्ता का उल्लेख करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- उद्देश्य
- वर्तमान स्थिति
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में जी-20 देशों का 13वाँ शिखर सम्मेलन अर्जेन्टीना के ब्यूनस आयर्स में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है- 'न्यायपूर्ण और सतत विकास के लिए आम सहमति'। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जनहित सर्वोपरि विषय पर चर्चा की एवं वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से पड़ने वाले प्रभाव, केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाएँ और आतंकवाद सहित कई विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति,

जर्मन चांसलर और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लिया।

परिचय

- जी-20 दुनिया के प्रमुख देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का एक संगठन है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इनका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय सेंट्रल बैंक करता है। 25 सितम्बर 1999 को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में विश्व के सात प्रमुख देशों के संगठन जी-7 ने एक नया संगठन बनाने की घोषणा की थी। उभरती आर्थिक शक्तियों की खराब वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए इसका (जी-20) गठन किया गया था।

उद्देश्य

- जी-20 का प्रमुख उद्देश्य विकसित औद्योगिक देशों के साथ-साथ उभरते बाजारों को जोड़ना है (मुख्यत: भारत एवं चीन)। इसके साथ ही विश्व के बाजारों में तेजी और स्थिरता लाना भी जी-20 का उद्देश्य है।
- जी-20 सम्मेलन 2018 का उद्देश्य तकनीकी के जरिये लोगों की दक्षता और जीवन को आसान बनाना है।
- इसका एक अन्य उद्देश्य ऐसे मामलों को हल करना है जो कोई संगठन खुद से हल नहीं कर पा रहा है।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में यदि जी-20 देशों को अर्थव्यवस्था के विकास दर के आधार पर देखें तो चीन (6%), तुर्की (5.20%), इंडोनेशिया (5%), ऑस्ट्रेलिया (3.40%), अमेरिका (3%), मैक्सिको (2.50%), स्पेन (2.5%), कनाडा (1.9%), यूरो क्षेत्र (1.70%), सऊदी अरब (1.61%), यूनाइटेड किंगडम (1.50%), फ्रांस (1.40%), ब्राजील (1.30%), रूस (1.30%), जर्मनी (1.10%), इटली (0.70%), दक्षिण अफ्रीका (0.40%), जापान (0.30%), अर्जेंटीना (-4.20%) तथा भारत (8.50%) है। इन देशों के विकासदर में भारत सबसे आगे है और संभावना जताई जा रही है कि आगे भी यही स्थिति बनी रहने वाली है।

चुनौतियाँ

- **जलवायु परिवर्तन:** राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले कह चुके हैं कि वो अमरीका के कोयला उद्योग को पुनर्जीवित करेंगे। ट्रंप ने ये भी कहा था कि पेरिस समझौते में अमरीकी हितों की अनदेखी की गई थी। हालांकि जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि ये समझौता बदला नहीं जा सकता है।
- **आतंकवाद:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दक्षिण एशिया में एक देश आतंकवाद को फैला रहा है। उन्होंने कहा, "हिंसा और आतंकवाद की बढ़ती ताकत ने चुनौती खड़ी कर दी है। कुछ देश हैं जो इसे राष्ट्रीय नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वास्तव में, दक्षिण एशिया में एक ही देश है जो हमारे क्षेत्र के देशों में आतंक फैला रहा है। आतंकी, आतंकी ही होता है। आतंकवाद के समर्थन करने वालों को अलग किया जाए और उन पर प्रतिबंध लगाए जाए। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूँ कि एक होकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्योंकि इससे कम में कुछ भी पर्याप्त नहीं है।"
- **भ्रष्टाचार:** अर्जेंटीना की अध्यक्षता में, जी-20 ने सार्वजनिक क्षेत्र में अखंडता तथा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सुलभ तरीकों को विकसित करने पर भी जोर दिया। इसमें वन्यजीवों की तस्करी के मसले भी शामिल हैं। दुनिया में बढ़ते भ्रष्टाचार की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जी-20 देशों की सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगी।

आगे की राह

- जी-20 देशों में अमेरिका का रूख अन्य देशों से अलग है और वह पर्यावरण के मुद्दे पर अपना कदम हमेशा पीछे खींच लेता है। इसलिए जी-20 देशों को यह प्रयास करना चाहिए कि वे अमेरिका पर दबाव बनायें।
- आतंकवाद के मुद्दे पर भी इन देशों का अलग-अलग विचार है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर एकजुट रहा जाय जिससे कि इससे निपटा जा सके। ■

भारत और वियतनामः एक सामरिक साझेदार

प्र. हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने वियतनाम का दौरा किया। इस दौरान भारत और वियतनाम ने शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के महत्व को दोहराया। इस महत्व के संदर्भ में भारत-वियतनाम संबंधों का उल्लेख करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- वियतनाम की वर्तमान स्थिति
- भारत-वियतनाम के बीच समझौते के मुख्य बिन्दु
- महत्व
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वियतनाम की अपनी आधिकारिक यात्रा संपन्न की। बैठक के दौरान भारत और वियतनाम ने शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के महत्व को दोहराया। दोनों देशों ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, अंतरिक्ष, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, तेल व गैस, बुनियादी विकास, कृषि के क्षेत्र आदि में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने वियतनाम सीमा रक्षकों के लिए उच्च गति के गश्ती जहाजों के निर्माण के लिए 10 करोड़ डॉलर की भारतीय वित्तीय मदद को लागू करने की समीक्षा भी की। दोनों देशों ने सभी प्रारूपों में आतंकवाद की निंदा की और इस खतरे के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने पर सहमत हुए।

पृष्ठभूमि

- भारत और वियतनाम पुरानी सभ्यताएं हैं। इनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध बेहद प्राचीन हैं। दोनों देशों के संबंध खासे व्यापक हैं। वैचारिक संस्कृति और अभिव्यक्ति के उदय से काफी समय पहले

से भारत के व्यापारी वियतनाम के तट से सामान और वस्तुएं लाते रहे हैं। भारत-वियतनाम के सामुद्रिक संबंध प्राचीन काल से कायम हैं। वियतनाम और भारत महज खास दोस्त ही नहीं हैं, बल्कि इनका आर्थिक दृष्टिकोण और सोच भी समान है।

- भारत वर्ष 1947 में आजाद हुआ था और वियतनाम भी लगभग उसी समय (1945 में) आजाद हुआ था। उसी समय से दोनों देश एक-दूसरे के करीबी रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों की जड़ें दोनों देशों के विदेशी शासन से आजादी के आम संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। फ्रांस के शासन से आजादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू पहले नेताओं में से एक थे, जिन्होंने वियतनाम का 1954 में दौरा किया। हो ची मिन्ह ने फरवरी 1958 में भारत का दौरा किया। भारत ने वियतनाम के एकीकरण का समर्थन किया और वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तर वियतनाम को अपना समर्थन भी जताया।

वियतनाम की वर्तमान स्थिति

- वियतनाम की स्थिति दक्षिण चीन सागर के नजदीक है। दक्षिणी चीन सागर वर्तमान समय में एक विवादित क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में चीन दावा करता है कि दक्षिणी चीन सागर पर सिर्फ उसका अधिकार है और यहाँ पर जो भी नौ परिवहन होगी वो चीन के अनुसार होगी। मगर बहुत से देश जैसे फीलीपीन्स, वियतनाम और इंडोनेशिया आदि चीन के दावे से असहमति जता चुके हैं।
- दक्षिणी चीन सागर में बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन मौजूद है साथ ही ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र में तेल के भण्डार मौजूद हैं। इसलिए इस क्षेत्र में सभी वैश्विक देशों के नजरें टिकी हुई हैं।

भारत-वियतनाम के बीच समझौते के मुख्य बिन्दु

- वियतनाम के सूचना और संचार मंत्रालय तथा भारतीय संचार मंत्रालय के मध्य संचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए 'एमओयू' पर हस्ताक्षर हुए।
- Indian Business Chamber in Vietnam (INCHAM) और वियतनाम के विदेशी मामलों के विभाग के बीच एमओयू पर समझौता।
- जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और हनोई स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स के मध्य एमओयू पर समझौता।
- सीआईआई (CII) तथा वीसीसीआई (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) के बीच सहयोग समझौता।

महत्व

- वियतनाम क्षेत्रीय संपर्क के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में भारत त्रिपक्षीय रोड लिंक पर काम कर रहा है जिसमें इंडिया-म्यांमार तथा थाइलैण्ड शामिल हैं। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो भारत की पहुँच दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते वियतनाम तक हो सकेगी और आगे चलकर वियतनाम के बंदरगाह दा नांग (Da Nang) तक इसका विस्तार किया जा सकेगा जिससे दोनों देशों के मध्य व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

आगे की राह

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा से भारत और हनोई के बीच रक्षा और आर्थिक संबंध पहले से और मजबूत होगें।
- भारत और वियतनाम के बीच सामुद्रिक अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। ■

सिटी गैस वितरण परियोजनाः गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर

प्र. सिटी गैस वितरण परियोजना के लाभों को बताने के साथ-साथ इसके सफल क्रियान्वयन के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को भी इंगित कीजिए। साथ ही सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, अन्वेषण और विपणन से सम्बन्धित विभिन्न प्रयासों का उल्लेख करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- सिटी गैस वितरण परियोजना
- भारत में प्राकृतिक गैस का परिदृश्य
- सीजीडी परियोजना के प्रभाव
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विज्ञान भवन (नई दिल्ली) से 'सिटी गैस वितरण परियोजना' (सीजीडी प्रोजेक्ट) के नौवें 'बोली प्रक्रिया दौर' (Bidding Round) का शिलान्यास किया है। इस नौवें दौर के तहत 129 जिलों के 65 भौगोलिक क्षेत्रों (Geographical Areas) में प्राकृतिक गैस का वितरण किया जायेगा। सीजीडी नेटवर्क के विकास से देश में स्वच्छ रसोई गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) आदि की उपलब्धता बढ़ायी जायेगी।

सिटी गैस वितरण परियोजना

- **पाइपलाइन सिस्टमः** प्राकृतिक गैस को उत्पादन करने वाले कुओं से प्रसंस्करण यूनिट तक पहुँचाने के लिए एक उचित व मजबूत पाइपलाइन का होना जरूरी होता है।
- **प्रसंस्करण (Processing):** यहाँ प्राकृतिक गैस से अशुद्धियों (पानी आदि) को अलग कर दिया जाता है।
- **भण्डारण (Storage):** प्राकृतिक गैस को बेहद सुरक्षित जगह में भण्डारित किया जाता है और उच्च माँग के समय गैस की आपूर्ति इसी भण्डारण से सुनिश्चित की जाती है।
- **अंतर्राज्यीय पाइपलाइन (Interstate Pipeline):** इसमें बड़ी-बड़ी व्यास वाली पाइपलाइनें प्रयोग की जाती हैं और इनके द्वारा प्रसंस्करण यूनिट या भण्डार गृह से गैस को अधिक खपत वाले क्षेत्रों (जैसे- उद्योग, महानगर, बिजली संयंत्र इत्यादि) की ओर ले जाया जाता है।

भारत में प्राकृतिक गैस का परिदृश्य

- 1960 में असम और गुजरात में प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की खोज के साथ ही देश में 'प्राकृतिक गैस उद्योग' का विकास शुरू हुआ और इस उद्योग ने तब और गति पकड़ी जब ओएनजीसी (ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड) ने 1970 के दशक में दक्षिण बेसिन क्षेत्रों (South Basin Areas) में प्राकृतिक गैस के स्रोतों की खोज की।

- शुरूआत में भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण व खनन को सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (ONGC & OIL) ही कर सकते थे। किंतु बाद में सीमित मात्रा में संयुक्त उद्यम के माध्यम से निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी गई। वर्तमान में 'नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति' (New Exploration Licensing Policy, NELP) के तेल एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में अन्वेषण (Exploration) और खनन करने हेतु 100% विदेशी निवेश की छूट प्रदान की गयी है।

सीजीडी परियोजना के प्रभाव

- **आर्थिक प्रभावः** प्राकृतिक गैस, अब तक के ज्ञात सभी ईंधनों से सस्ती व सुलभ है इसलिए यह देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकती है। औद्योगिक इकाइयों को अपने उत्पादन हेतु जब प्राकृतिक गैस प्राप्त होगी तो उनकी उत्पादन लागत में कमी आयेगी और वे बाजार में सस्ता माल बेच सकेंगी। इससे उपभोक्ता व कम्पनी दोनों को लाभ होगा और साथ ही अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी।
- **स्वास्थ्य पर प्रभावः** पर्यावरण मित्र ईंधन के इस्तेमाल से लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों (मुख्यतः साँस सम्बन्धी बीमारियाँ) से निजात मिलेगी।
- **सस्ती बिजलीः** प्राकृतिक गैस की ग्रिड, द्वारा सरकार बड़े-बड़े बिजलीघरों को भी गैस की आपूर्ति कर रही है, जिससे लोगों को निरंतर व सस्ती बिजली प्राप्त हो सकेगी।

चुनौतियाँ

- भारत सरकार को सीजीडी परियोजना को सफल बनाने के लिए ग्रिड स्थापित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति निर्बाध व लगातार सुनिश्चित करनी होगी। भारत के पास पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डार काफी कम है, इसलिए वह प्राकृतिक गैस आदि के आयात पर काफी निर्भर रहता है। पेट्रोलियम के भण्डार ओपेक (OPEC) देशों (खासकर पश्चिमी एशियाई देशों) में काफी अधिक पाये जाते हैं किंतु ये देश अपने निजी हितों के चलते आपूर्ति को बाधित किया करते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम के दाम काफी अधिक हो जाते हैं, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है।

आगे की राह

- सिटी गैस वितरण परियोजना, भारत में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के अलावा अन्य फायदों के कारण काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार की यह लगातार एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनी हुई है, अतः सरकार को इसके बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना होगा। गैस नेटवर्क को विभिन्न हाईवे और एक्सप्रेस वे आदि से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे इनके वाहनों के लिए सीएनजी पम्प तो उपलब्ध होंगे और साथ-साथ इस गैस नेटवर्क की सुरक्षा भी बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त सरकार को सिटी गैस वितरण परियोजना की बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करनी होगी ताकि सिटी गैस वितरण नेटवर्क को विकसित करने वाले सक्षम व ईमानदार हितधारक शामिल हो सकें।■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. मिशन 'रक्षा ज्ञान शक्ति'

भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 नवंबर 2018 को मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य रक्षा उद्योग में आविष्कार और नए उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना है। रक्षा मंत्री ने मिशन मोड प्रोग्राम के तहत मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का कार्यक्रम शुरु किया।

इस कार्यक्रम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और आयुध फैक्ट्रियों द्वारा विशेष आविष्कारों तथा नवाचारों को प्रस्तुत किया गया। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय को इस कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।

पृष्ठभूमि

रक्षा मंत्रालय ने गत 18 अप्रैल को क्वालिटी एस्योरेंस महानिदेशक (डीजीसीए) के तहत बौद्धिक सम्पदा सुविधा सेल का गठन किया है। बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में भारतीय रक्षा वैज्ञानिको और इंजीनियरों को ट्रेनिग दी जा रही है। इसके तहत अब तक आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों के दस हजार स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है। इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा निर्माण में बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूरता पैदा करना और एक नई संस्कृति का विकास करना है। ■

2. हरित न्यायाधिकरण ने थर्मल पावर प्लांट पर जुर्माना लगाया

हाल ही में हरित न्यायाधिकरण ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच की राशि का जुर्माना थर्मल पावर प्लांट पर लगाया है। यह जुर्माना थर्मल पावर प्लांट पर उनके द्वारा उत्पादिक फ्लाई ऐश का पूर्णत: निपटान न करने के कारण लगाया गया है। जुर्माने की राशि की मात्रा थर्मल पावर प्लांट के क्षमता पर निर्भर करेगी।

हरित न्यायाधिकरण ने यह स्पष्ट किया है कि जिन थर्मल पावर प्लांट ने अपने फ्लाई ऐश का

शत-प्रतिशत निपटान कर दिया है उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जुर्मान की राशि 20 दिसम्बर तक जमा की जाएगी। जुर्माने का यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्लाई ऐश के कारण आस-पास के क्षेत्रों की वायु, मृदा एवं जल भी प्रदूषित होता है।

चिंताएँ

फ्लाई ऐश PM 2.5 का मुख्य स्रोत है। गर्मी के दिनों में यह वायु द्वारा संचारित होकर 10 से 20 किमी. तक के क्षेत्र को प्रभावित करता है। यह मृदा, वायु एवं जल को प्रदूषित कर स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। ■

3. दूरस्थ क्षेत्रों (Remote Areas) के लिए हेली-क्लीनिक

केंद्रीय मंत्री 'डॉ. जितेंद्र सिंह' ने दूरदराज के इलाकों के लिए "हेली-क्लीनिक" (हेलीकॉप्टर क्लीनिक) का प्रस्ताव दिया है, जो जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसी पहाड़ी राज्यों में विशेषीकृत चिकित्सा प्रदान करने में काफी सहायक हो सकती है। हेलीकॉप्टर की मदद से बारी-बारी से विशेषज्ञ डॉक्टर को आवश्यक पैरामेडिकल स्टाफ एवं दवाइयों के साथ नियत दिन पर इन दुर्गम इलाकों में भेजा जाएगा। वापस आते समय ये हेलीकॉप्टर एक-दो जरूरतमंद मरीजों को शहर के बड़े अस्पतालों में भर्ती हेतु ला सकते हैं।

टेली-मेडिसिन (Tele Medicine) और ई-हेल्थकेयर, भारत जैसे विशाल भौगोलिक विविधता वाले देश में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इन अत्याधुनिक चिकित्साओं के क्षेत्रों में प्रगति करने हेतु सरकार को निजी क्षेत्रों के सहयोग को प्राप्त करना होगा। केंद्रीय मंत्री 'डॉ. जितेन्द्र सिंह' ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए सरकार संतोषजनक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रारम्भ में बड़े-बड़े सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को सिर्फ टियर-1 (Tier-1) शहरों और महानगरों में स्थापित किया गया था किंतु अब यहाँ गतिविधियाँ अपने संतृप्ति बिंदु (Saturation Point) पर पहुँच रही है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके लाभ कमाया जा सकता है। ■

4. ईआरएसएस लांच करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम जयराम ठाकुर की उपस्थिति में इस योजना का शुभारंभ किया।

इस प्रणाली के तहत आगजनी, एंबुलेंस और आपदा प्रतिक्रिया के लिए सभी आपातकालीन सेवाएं 112 नंबर पर मिलेंगी।

इस नम्बर (112) पर फोन कर राज्य के लोग पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य और अन्य हेल्पलाइन से संपर्क कर सकेंगे। इस सेवा का लाभ लेने के लिए राज्य के लोगों को गूगल और एप्पल के स्टोर पर '112 इंडिया' एप डाउनलोड करनी पडेगी।

अखिल भारतीय एकल आपात नंबर '112' की शुरूआत:

- यह एकल आपात नंबर '112' आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) का हिस्सा हैं।
- इस सेवा में '112 इंडिया' मोबाइल ऐप भी शामिल किया गया है जिसे स्मार्ट फोन के पेनिक बटन और तत्काल सहायता प्राप्त करने में नागरिकों की सुविधा के लिए ईआरएसएस राज्य वेबसाइट से जोड़ा गया है।
- आपात प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए आपात प्रतिक्रिया केन्द्र (ईआरसी) को दूरसंचार सेवाओं प्रदाताओं द्वारा लोकेशन आधारित सेवाओं से जोड़ा गया है।
- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए '112 इंडिया' में एक एसएचओयूटी फीचर की शुरूआत की गई है ताकि आपात प्रतिक्रिया केन्द्र से मिलने वाली तत्काल सहायता के अलावा आसपास पंजीकृत स्वयंसेवियों से तत्काल सहायता मिल सके। एसएचओयूटी फीचर विशेष रूप से महिलाओं के लिए उपलब्ध है।

शिमला में एक आपात कार्रवाई केन्द्र स्थापित:

इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला में एक आपात कार्रवाई केन्द्र स्थापित किया गया है जो 12 जिला नियंत्रण केन्द्रों से जुड़ा है। नियंत्रण कक्ष आधुनिक सुविधा से लैस हैं। हर पुलिस थाना की गाड़ी में मोबाइल टर्मिनल डिवाइस लगाए गए हैं। गाड़ी में मौजूद पुलिस कर्मी को हर कॉल व सहायता मांगने वाले की लोकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। नियंत्रण कक्ष से उस क्षेत्र के आसपास मौजूद गाड़ी को तुरंत मौके पर रवाना किया जाएगा।

आपातकालीन नम्बर 112 को पुलिस नियंत्रण कक्ष के नम्बर (100), अग्निशमन सेवा (101) महिला हेल्पलाइन (1090) तथा अन्य हेल्पलाइन से जोड़ा गया है। इस सेवा की मोबाइल एप को स्मार्ट फोन के पेनिक बटन से भी जोड़ा गया है। इस सेवा के शुरू होने के बाद लोगों को विभिन्न हेल्पलाइन से संपर्क करने के लिए अलग अलग नम्बर याद नहीं करने पड़ेंगे।

तत्काल सहायता मिलेगी:

- इससे देशभर में चौबीस घण्टे प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए केवल एक आपातकालीन नम्बर की सुविधा प्राप्त होगी, जो आपदा अथवा आपत्ति में नागरिकों की सेवा के लिए वायस कॉल, एसएमएस, ई-मेल, सार्वजनिक परिवहन इत्यादि में पैनिक बटन जैसी विभिन्न वायस एवं डाटा सेवाओं से इनपुट प्राप्त कर सकेगा। इस प्रणाली को वायस अथवा डाटा से जोड़ कर मुसीबत में व्यक्ति के स्थल की पहचान करेगी तथा मुसीबत व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करेगी। ■

5. घरेलू श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

घरेलू श्रमिकों: 'अनौपचारिक क्षेत्र में भारत के अदृश्य श्रमिकों' को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और घरेलू श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय मंच के साथ एनजीओ 'कॉमन कॉज' द्वारा दायर याचिका में कहा गया है: लेटेस्ट क्लासिज्म और शिक्षा की कमी घरेलू श्रमिकों को अपने नियोक्ता और नियुक्ति एजेंसियों के हाथों हिंसा और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है।

याचिका ने सुप्रीम कोर्ट से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने को कहा। याचिका में कहा गया है कि नियोक्ता और श्रमिक के बीच समन्वय न होने के कारण उनकी समस्याओं को सही तरीके से समझा नहीं जाता है और उसका निदान भी नहीं हो पाता है। याचिका में कहा गया है कि उदारीकरण के बाद के दशक में घरेलू श्रमिकों में 120% की वृद्धि देखी गई है। एनजीओ ने कहा, 1991 में यह आंकड़ा 7,40,000 था, जबकि 2001 में यह 16.6 लाख हो गया। याचिका ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत घरेलू कार्य की मान्यता मांगी थी। उनके कार्य घंटों को एक दिन में आठ से कम किया जाना चाहिए और उन्हें अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार के रूप में अनिवार्य साप्ताहिक बंद दिया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है की लोकसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्री बंगारु दत्तात्रेय ने मजदूरी संहिता विधेयक 2017 पेश किया था। इसके माध्यम से चार कानूनों - मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को मिलाकर उसे सरल और सुव्यवस्थित बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस बिल का खास प्रावधान यह है कि किसी मजदूर को तनख्वाह कम दी गई तो उसके नियोक्ता पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। पांच साल के दौरान ऐसा फिर किया तो 1 लाख जुर्माना या 3 माह की कैद या दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान भी है। ■

6. प्राइवेट मेंबर बिल

हाल ही मे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एक ट्वीट किया जिसमें राम मंदिर पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने के बारे में कहा गया है। दरअसल, किसी भी कानून को पारित कराने के लिए सबसे पहले बिल संसद में पेश किया जाता है। कोई बिल पेश कर पास करने के बाद ही राष्ट्रपति की सहमति मिलने से वह कानून का रूप लेता है। संसद में बिल सरकार के किसी भी मंत्री या संसद के किसी भी सदस्य के जरिए लाया जा सकता है। सरकार के मंत्री अगर बिल लाते हैं तो उसे गवर्नमेंट बिल और दूसरी स्थिति को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में जाना जाता है।

लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद मंत्री नहीं है वह एक निजी सदस्य कहलाए जाते हैं। लोकसभा में ऐसे सदस्यों की ओर से जो विधेयक पेश किया जाता है, उसे निजी विधेयक या प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर जाना जाता है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के पारित होने की संभावना काफी कम रहती है क्योंकि इन विधेयकों का कानून का रूप लेना सरकार के रुख पर भी निर्भर रहता है। लोकसभा और राज्यसभा में हर शुक्रवार दोपहर के बाद संसदीय कार्यवाही में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के लिए समय तय होता है।

दुनिया भर के विभिन्न देश अपने निजी सदस्यों को प्रभावी ढंग से सशक्त बनाने तथा उनके निर्णयों का सम्मान करने के लिए निजी बिल का बखूबी प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 1948 के बाद से अब तक 775 तथा कनाडाई संसद ने 290 निजी बिल पास किये हैं।■

7. वैज्ञानिकों ने खोजी भारत में हॉग हिरन की दुर्लभ प्रजाति

भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत में पाढ़ा (हॉग हिरन) की दुर्लभ उप-प्रजातियों में शामिल एक्सिस पोर्सिनस एनामिटिकस की मौजूदगी का पता लगाया है। इससे पहले तक माना जाता रहा है कि हिरन की यह संकटग्रस्त प्रजाति मध्य थाईलैंड के पूर्वी हिस्से तक ही सिमटी हुई है।

देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अनुवांशिक अध्ययन में मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में 100 पाढ़ा हिरनों की मौजूदगी का पता चला है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत-म्यांमार जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पायी गई पाढ़ा की यह प्रजाति अनुवांशिक रूप से एक्सिस पोर्सिनस एनामिटिकस से मिलती-जुलती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि एक्सिस पोर्सिनस एनामिटिकस के वितरण की पश्चिमी सीमा थाईलैंड न होकर मणिपुर है। विकास क्रम के लिहाज से अनुवांशिक विशिष्टता वाली पाढ़ा की इस आबादी की खोज काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस अध्ययन से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता डॉ. एस.के. गुप्ता ने बताया कि "वन्यजीवों की पृथक एवं सीमित आबादी हमेशा चिंता का विषय रही है क्योंकि ऐसे में उनकी अनुवांशिक विविधता के लुप्त होने का खतरा रहता है। अनुवांशिक विविधता कम होने से बदलते पर्यावरण में जीवों की अनुकूलन क्षमता कम हो जाती है। इस संदर्भ में यह अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर एक्सिस पोर्सिनस एनामिटिकस के संरक्षण में मदद मिल सकती है।"

अभी तक पाढ़ा की दो उप-प्रजातियों के पाये जाने की जानकारी है। ए.पी. पोर्सिनस (पश्चिमी नस्ल) के वितरण क्षेत्र में पाकिस्तान से लेकर हिमालय की पश्चिमी तराई में स्थित पंजाब के हिस्से, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, म्यांमार और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के बाढ़ग्रस्त मैदान शामिल हैं। वहीं, ए.पी. एनामिटिकस (पूर्वी नस्ल) के भारत एवं चीन समेत थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में पाये जाने की जानकारी मिलती है। हॉग हिरन या पाढ़ा अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) की अनुसूची-1 के अंतर्गत पाढ़ा को संरक्षित किया गया है। पाढ़ा की एक्सिस पोर्सिनस एनामिटिकस उप-प्रजाति अपने अधिकतर वितरण क्षेत्रों से सिमट रही है। वर्तमान में पाढ़ा की छोटी-सी बिखरी हुई आबादी कंबोडिया में पायी जाती है। कुछ समय पूर्व कंबोडिया में इस प्रजाति के हिरनों की केवल 250 संख्या के बारे में पता चला था।

पाढ़ा हिरन परिवार से जुड़ा आदिम युग का स्तनपायी जीव है और प्लायोसीन तथा प्लाइस्टोसीन युग से इसकी मौजूदगी की जानकारी मिलती है। एक समय में यह पाकिस्तान से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता था। 20वीं सदी के आरंभ में पाढ़ा दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में फैला हुआ था। हाल के दशकों में आश्रय स्थलों के नष्ट होने के कारण पाढ़ा की आबादी में गिरावट हुई है। माना जा रहा है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के अपने 35 आश्रय-स्थलों से पाढ़ा लुप्त हो चुका है। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. जलवायु वल्नरेबल (Vulnerable) फोरम

जलवायु वल्नरेबल फोरम शिखर सम्मेलन (CVF) का यह पहला ऑनलाइन 'अंतर सरकारी (Intergovernmental Summit) मार्शल द्वीपसमूह (Marshall Islands) में 22 नवम्बर, 2018 को आयोजित किया गया (मार्शल द्वीपसमूह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है)। जलवायु परिवर्तन पर बढ़ती चुनौतियों के कारण इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें 40 देशों ने हिस्सा लिया। मार्शल द्वीपसमूह ने इस शिखर के दौरान 'राष्ट्रीय निर्धारित योगदान' (Nationally Determined Contribution) की घोषणा की, जिसके तहत विकसित देशों को कमजोर व पिछड़े देशों की जलवायु की चुनौतियों से निपटने हेतु मदद करना है। इस ऑनलाइन फोरम के सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दु महत्तवपूर्ण हैं-

1. इस फोरम में 2030 से 2050 तक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों हेतु 'पंचसूत्री विजन' भी जारी किया गया है।
2. जलवायु परिवर्तन को न्यून रखने पर सहमति बनी,
3. सस्टनेबल डवलपमेंट गोल (SDGs) और सेंडाई फ्रेमवर्क (आपदा जोखिम को कम करने का फ्रेमवर्क है) के लक्ष्यों को हासिल करने पर भी सहमति बनी,
4. इस फोरम में 'जुमेमेज घोषणा' को भी जगह दी गयी है।

जुमेमेज घोषणा (Jumemmej Declaration)

इस घोषणा में सभी नेताओं ने अपने राष्ट्रीय जलवायु प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है ताकि पेरिस जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पाया जा सके। इसके अतिरिक्त इस घोषणा में कैटोविस क्लाइमेट चेंज कान्फरेन्स' पर जारी आईपीसीसी (Inter-governmental Panel on Climate Change) की ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित विशेष रिपोर्ट के संबंध में सभी राष्ट्रों और अन्य गैर-राज्यीय हितधारकों से कार्यवाई की उम्मीद की गयी है।

Climate Vulnerable Forum

नोटः जुमेमेज (Jumemmej), एक मार्शली भाषा का शब्द है, जिसे समुद्री डाकुओं से रक्षा के समय उपयोग किया जाता है।

जलवायु वल्नरेबल फोरमः यह फोरम ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित उच्च सुभेद्य देशों का अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसके तहत सदस्य देश वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु साथ मिलकर कार्य करते हैं। इस फोरम की स्थापना सन् 2009 (यूएनएफसीसीसी की कोपेनहेगन कॉन्फरेंस) में मालदीव की अध्यक्षता में हुयी थी। ■

2. रूस-यूक्रेन सागरीय संघर्ष

रूस ने तीन यूक्रेनी नौसेना के जहाजों को जब्त कर लिया क्योंकि उन्होंने अजोव सागर (Sea of Azov) की 'केर्च स्ट्रेट' (Kerch Strait) से गुजरने का प्रयास किया था। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि उसने रूसी सीमा में जानबूझकर गश्ती अभियान चलाया है, जो अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन है। रूस का कहना है कि यूक्रेन के जहाज रूस के अभिन्न अंग (क्रीमिया के तट से मात्र 12 मील दूर समुद्र में गश्त कर रहे थे। रूस ने सन् 2014 में एक रेफरेंडम कराकर क्रीमिया पर अधिकार का लिया था किन्तु रूसी अधिकार को न तो यूरोपीय देशों ने मान्यता दी है और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने मान्यता दी है। सन् 2014 के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये थे, जो अभी तक जारी हैं। इन प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुँचा है और वह सीरिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक के देशों के प्रति काफी आक्रामक रूप अख्तियार किये हुए है।

यूक्रेन का कहना है कि क्रीमिया उसका अभिन्न अंग है, जहाँ से रूस को तत्काल रूप से चले जाना चाहिए क्योंकि उसने गैर कानूनी रूप से वहाँ कब्जा जमा रखा है।

केर्च की जलसंधि (Strait of Kerch): यह काला सागर और अजोव सागर को जोड़ती है तथा क्रीमिया को रूस की मुख्य भूमि से अलग करती है। ज्ञातव्य है कि अजोव सागर को कुछ भूगोलवेत्ता काला सागर का ही उत्तरी विस्तार मानते हैं। अजोव सागर, दुनिया का सबसे उथला (shallow) उष्णकटिबंधीय सागर है जिसमें डॉन और कुबान रूसी नदियाँ गिरती हैं।

नोटः क्रीमिया का सेवस्तोपोल बंदरगाह (Sevastopol Port) काफी व्यस्त एवं साल भर खुला रहने वाला बंदरगाह है, जिससे रूस अपना अधिकतम व्यापार करता है। इसी बंदरगाह के माध्यम से वह कालासागर से निकलकर बोस्पोरस स्ट्रेट, इस्तांबुल और मरमरा सागर आदि से होते हुए भूमध्य सागर में पहुँच सकता है। ■

3. ब्रेक्जिट पर यूरोपीय संघ का निर्णय

हाल ही में ब्रूसेल्स (बेल्जियम) में सम्पन्न हुए यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में ''ब्रेक्जिट'' (Brexit) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। इस अनुमोदन के द्वारा मार्च, 2019 में यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर आने की रास्ता लगभग साफ हो गयी है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में यूरोपीय संघ के सदस्यों (वर्तमान में 27) ने ब्रेक्जिट समझौते से संबंधित यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

ब्रेक्जिट, दो शब्दों से मिलकर बना है- Britain & Exit (Brexit = Britain + Exit) ब्रेक्जिट का शाब्दिक अर्थ है, ''ब्रिटेन का यूरोपीय संघ (यूनियन) से बाहर निकलना।'' ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन या यूके (United Kigndom) का यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के मुद्दे पर यूके में जून, 2016 में जनमत संग्रह (Referandom) कराया गया, जिसमें वहाँ की आवाम ने यूरोपीय संघ से यूके के बाहर निकलने के पक्ष में निर्णय दिया था। इसके पीछे ब्रिटेन की संप्रभुता, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सुरक्षा और रोजगार को संरक्षित करने का तर्क दिया गया था।

> इस देश का पहले ग्रेट ब्रिटेन नाम था जिसमें इंग्लैण्ड, वेल्स तथा स्कॉटलैण्ड शामिल थे किन्तु इसका वर्तमान में नाम यूनाइटेड किंगडम (यूके) है जिसमें इंग्लैण्ड, वेल्स तथा स्कॉटलैण्ड और उत्तरी आयरलैण्ड शामिल हैं।

यूरोपीय संघ

इस संघ की स्थापना का प्रथम प्रयास 1957 में किया गया था। शुरूआत में इसमें सिर्फ छह सदस्य देश शामिल थे। तब 'रोम की संधि' के अंतर्गत ये छह सदस्य देश आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की इच्छा से एक संगठन के तहत आये थे। वर्तमान में इस संघ में यूरोप महाद्वीप के 27 देश (28-यूके=27) सदस्य हैं और यह संगठन अपने सदस्य देशों को एकसमान बाजार, अर्थव्यवस्था और करेंसी आदि की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करता है। इस संघ के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं-

1. इस संघ की ब्रूसेल्स में स्थित अपनी एक पार्लियामेंट (यूरोपियन पार्लियामेंट) है, जिसमें सदस्य देशों से प्रत्यक्ष रूप से चुनकर सदस्य आते हैं, जो संघ के लिए कानून एवं नियमों को बनाने का कार्य करते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट (संसद), यूरोपीय संघ की परिषद और आयोग के साथ मिलकर कार्य करती है।
2. यूरोपीय संघ की 23 आधिकारिक भाषाएँ (Official Language) हैं।
3. संघ के नियम व कानून सभी सदस्य देशों में एकसमान रूप से लागू होते हैं। यथा- पासपोर्ट मुक्त यात्रा, सदस्य देशों में कहीं भी रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता आदि।
4. यूके, यूरोपीय संघ में 1973 में शामिल हुआ था (उस समय इस संघ का 'यूरोपीयन आर्थिक समुदाय' नाम था) किन्तु 2 वर्ष बाद ही 1975 में इस संघ में शामिल होने के संबंध में रिफरेंडम कराना पड़ा, जिसमें जनता के संघ में बने रहने के पक्ष में वोट दिया था।
5. यूरोपीय संघ की अपनी एक मुद्रा 'यूरो' है लेकिन ब्रिटेन ने इस शर्त को कभी नहीं माना था, अतः उसने अपनी मुद्रा को पाउंड ही बनाये रखा था।
6. सन् 1989 में यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों ने शेंजेन शहर (लक्जमबर्ग) में एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। इस शेंजेन एग्रीमेंट में पूरे यूरोपीय संघ में पासपोर्ट मुक्त यात्रा व रोजगार की सुविधा प्रदान की गयी थी।

ब्रेक्जिट से पड़ने वाले प्रभाव

1. ब्रेक्जिट के समर्थकों का कहना है कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में मजबूती आयेगी। इन लोगों का मानना है कि यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद ब्रिटेन में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप काफी अधिक बढ़ गया था, जिससे यहाँ अनिश्चितता के माहौल ने जन्म लिया था।
2. ब्रेक्जिट से नैतिक मुद्दों सहित कई अन्य सवालों ने जन्म लिया है-
   - यूरोपीय संघ के देशों से आकर ब्रिटेन में स्थाई रूप से चले गये लोगों की नागरिकता का क्या होगा?
   - यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देश अपने यहाँ स्थाई रूप से बसे नागरिकों के संबंध में क्या फैसला लेंगे?
   - यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच 'व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' के तहत होगा या नहीं?
   - ब्रेक्जिट से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कैसे निपटेगी?
   - क्या ब्रिटेन के बिना यूरोपीय संघ अपना अस्तित्व बरकरार रख पायेगा?
3. ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय कम्पनियों ने भारी निवेश किया हुआ है। अतः जब ब्रेक्जिट होगा तो नए नियम फिर से बनेंगे और अर्थव्यवस्थाएँ काफी उथल-पुथल के दौर से गुजरेंगी, जिससे भारतीय कम्पनियों का निवेश, भारत के शेयरबाजार और मुद्राबाजार आदि प्रभावित हो सकते हैं।
4. बड़ी मात्रा में इंडियन डायस्पोरा ब्रिटेन सहित अन्य यूरोपीय देशों में विभिन्न उद्देश्यों हेतु रहता है, जिसके प्रभावित होने की सम्भावना है।

Note: ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने पर ब्रिटेन और यूरोपीय संस्था में एक वैक्यूम उभरेगा, जिस अवसर का भारत व चीन जैसे देश लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। भारत, एक बड़ा बाजार है और सेवा क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र है एवं उसके ब्रिटेन से अच्छे संबंध हैं। अतः भारत को ब्रेक्जिट से लाभ उठाने हेतु अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए।■

4. कोरल रिसीडिंग परियोजना

वैज्ञानिकों ने लाखों जीवों के 'अण्डों और शुक्राणुओं' (Eggs and Sperm) के द्वारा लुप्तप्राय (Endangered) ग्रेट बैरियर रीफ (आस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में स्थित) पर प्रवाल/मूँग (Coral) को फिर से विकसित करने का बड़ा प्रयास शुरू किया है। यह पहली बार हो कि बड़े स्तर पर लार्वा पालन (Larval Rearing) की संपूर्ण प्रक्रिया सीधे ग्रेट बैरियर रीफ पर ही की जायेगी। शोधकर्ता विशेष जीवों के अण्डों व शुक्राणुओं से कोरल का लार्वा विकसित करने की योजना बना रहे हैं और इन्हें ग्रेट बैरियर रीफ के उस इलाकों में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण एवं अन्य कारणों से भारी मात्रा में कोरल ब्लीचिंग (Coral Bleeching) हुयी है।

कोरल ब्लीचिंग/प्रवाल विरंजनः इस प्रक्रिया से कोरल अपने ऊपर चिपके हुए शैवालों (Algae) को निर्मुक्त कर देते हैं, जिससे वो रंगहीन (विरंजित) हो जाते हैं। प्रवाल विरंजन के कई कारण होते हैं-

1. समुद्री प्रदूषण
2. अवसादों (तलछट में वृद्धि)
3. परमाणु परीक्षण
4. ग्लोबल वार्मिंग से समुद्री जल के तापमान में बढ़ोतरी
5. तटीय क्षेत्रों में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियाँ
6. सैन्य अभ्यास
7. आभूषणों एवं औषधि हेतु प्रवालों का दोहन
8. एल नीनो व चक्रवात
9. ज्वालामुखी विस्फोट ■

5. यूनेस्को की 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' की सूची

हाल ही में यूनेस्को (UNESCO) की अंतरसरकारी समिति (Intergovernmental Committee) की मॉरीशस में बैठक हुयी, जिसमें यूनेस्को वैश्विक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में विश्व स्तर पर मानवता द्वारा सहेजे गए नए 31 अमूर्त सांस्कृतिक तत्वों को जगह दी गई, जिनमें से प्रमुख हैं-

1. लाज पैरांडा उत्सव (Las Parrandas Festival)- यह क्यूबा में मनाया जाता है।
2. श्रीलंका का पारंपरिक स्ट्रिंग कठपुतली नाटक
3. रेगी संगीत (Reggae Musci)- यह जमैका की एक संगीत शैली/विध है, जिसे पहले जमैका के पिछड़े व गरीब लोगों द्वारा गाया जाता था किन्तु बॉब मार्ले जैसे मशहूर कलाकारों की वजह से यह शैली विश्व विख्यात हुयी।

यूनेस्को ने वैश्विक अमूर्त विरासत सूची की योजना का शुभारम्भ 2008 से शुरू किया था क्योंकि इसी समय "convention for the Safeguarding of the Intanigble Cultural Heritage" सम्पन्न हुआ था।

> सांस्कृतिक विरासत (Cultural Heritage) मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं-
> 1. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage)- इन्हें छुआ नहीं जा सकता बल्कि महसूस ही किया जा सकता है। जैसे- संगीत, धार्मिक ओर आध्यात्मक तत्व इत्यादि।
> 2. मूर्त सांस्कृति विरासत (Tangible Cultural Heritage)- इन्हें छुआ और महसूस, दोनों किया जा सकता है। ये भी दो प्रकार की होती हैं-
>   - चल (Movable)- पेंटिंग आदि।
>   - अचल (Immovable)- जैसे- स्मारक (Monument) आदि।

Note: यूनेस्को की वैश्विक अमूर्त विरासत सूची दो रूपों में है-

1. Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity
2. List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safegaurd

भारत की निम्नलिखित सांस्कृतिक विरासतों को यूनेस्को ने अपनी 'वैश्विक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची' में स्थान दिया है-

1. वैदिक जप की परम्परा (Tradition of Vedic Chanting)
2. रामलीला
3. कुटियट्टम, यह एक संस्कृत रंगमंच (Sanskrit Theatre) है अर्थात् प्राचीन संस्कृति नाटकों का पुरातन केरलीय नाट्य रूप, 'कुटियट्टम' कहलाता है। इसे चाक्यार हऔर नंपियार समुदाय के लोग प्रस्तुत करते हैं।
4. मुदियेट्टू, यह केरल का एक पारंपरिक अनुष्ठान थियेटर और लोकनृत्य है जिसमें देवी काली और दानव के बीच की लड़ाई की पौराणिक कथाओं को बताया जाता है।
5. रम्माण उत्सव (Ramman Festival)- यह उत्तराखण्ड के गढ़वाल (हिमालय) क्षेत्र में मानाया जाने वाला धार्मिक उत्सव है। इसमें सामूहिक पूजा, देवयात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन, मेला आदि विविध रंगी आयोजिन होते हैं।
6. कालबेलिया लोक गीत एवं नृत्य (Kalbelia Folk Song and Dance)- राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।
7. छऊ नृत्य- यह एक आदिवासी नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखण्ड राज्यों में प्रचलित है। इसके तीन प्रकार हैं- सैरैकेल्लै छऊ (झारखण्ड), मयूभंज छऊ (उड़ीसा) और पुरुलिहा छऊ (प. बंगाल)।
8. लद्दाख का बौद्ध जप (Buddhist Chanting of Ladakh)- इसमें ट्राँस हिमालय क्षेत्रों (मुख्यतः लद्दाख) के मठों और गाँवों में बौद्ध लामा (पुजारी), बुद्ध की शिक्षाओं वाले पवित्र ग्रंथों का जप करते हैं।
9. मणिपुरी संकीर्तन (Sankirtana)- यह एक प्रकार का मणिपुरी नाट्य है जिसमें मुख्यतः वैष्णव सम्प्रदाय गायन व वादन द्वारा नाट्य कला का प्रदर्शन करते हैं।
10. जंदियाला गुरू (पंजाब राज्य का एक जिला) के थतरस (स्थान का नाम) का पीतल और तांबे का शिल्प- इसमें पीतल, ताँबे और कुछ मिश्र धातुओं से पारमपरिक विधियों से बर्तनों का निर्माण किया जाता है।
11. योगा
12. नवरोज
13. कुम्भ मेला ■

6. दक्षिण–एशिया क्षेत्रीय युवा शांति सम्मेलन

तीन दिवसीय 'दक्षिण-एशिया क्षेत्रीय युवा शांति सम्मेलन' (South-Asia Regional Youth Peace Conference) को हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शांति सम्मेलन को 'गांधी स्मृति और दर्शन समिति' (GSDS) और 'महात्मा गांधी शिक्षा और सतत विकास संस्थान' (यूनेस्को के अंतर्गत) ने मिलकर आयोजित किया। उल्लेखनीय है कि जीएसडीएस, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत संस्था है।

इस शांति वार्ता को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में युवा नेताओं की टीम तैयार करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के 'सतत विकास लक्ष्य' (SDGs) को पाया जा सके। इस सम्मेलन में भारत के अलावा भाग लेने वाले अन्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका है।

Note: महात्मा गांधी शिक्षा और सतत विकास संस्थान (MGIEP), यूनेस्को का श्रेणी 1 (Category 1) का अनुसंधान संस्थान है जो वैश्विक स्तर पर 'सतत विकास लक्ष्यों' (SDGs) के लिए कार्य करता है।■

7. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी)

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी हाल ही में सिंगापुर में सम्पन्न हुई आरसीईपी की मंत्रिस्तरीय बैठक में आरसीईपी से संबंधित लगभग 40 प्रतिशत मुद्दों का हल खोज लिया गया है।

इससे स्पष्ट है कि आरसीईपी को अपने मूर्त रूप में आने के लिए अभी भी काफी लम्बा रास्ता तय करना है। इस वार्ता के मुख्य एजेंडा सामान (Goods), सेवाओं (Services) और निवेश की बाजार में आसान पहुँच से संबंधित था। आरसीईपी में भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और चीन व जापान जैसी अपेक्षाकृत बेहतर अर्थव्यवस्थाओं के बीच कई शर्तों को लेकर गतिरोध व्याप्त है।

आरसीईपी के बार में:

आरसीईपी, एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान देश तथा भारत, आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैण्ड सहित 16 देश शामिल हैं। आरसीईपी समझौते पर बातचीत की औपचारिक शुरूआत नवम्बर, 2012 को कंबोडिया में 21वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान की गयी थी। इसे ट्राँस पैसिफिक भागीदारी व्यापार समझौते के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

आरसीईपी के चीन, जापान व दक्षिण कोरिया जैसे देश चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द इस मुक्त व्यापार समझौते के मुद्दों का हल करे और कारोबार योग्य वस्तुओं से सीमा शुलक की समाप्ति करे। किन्तु चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के मद्देनजर भारत प्रस्तावित वृहद व्यापार समझौते (आरसीईपी) में शून्य शुल्क आधार पर चीनी वस्तुओं की अपने बाजार में पहुँच को सुनिश्चित नहीं करना चाहता है। इसके अलावा, भारत आरसीईपी में सेवाओं को शामिल करना चाहता है। ज्ञातव्य है कि सेवा क्षेत्र में भारत एक अपेक्षाकृत मजबूत अर्थव्यवस्था है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

सीआरआईएसपीआर कैस 9

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में चीन के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उसने दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित बच्चे को पैदा किया है।

1.2 उनका कहना है कि भ्रूण पैदा करने के लिए सीआरआईएसपीआर- कैस 9 (CRISPR - Cas 9) नामक जीन-एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसे एक महिला के शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया, परिणामस्वरूप जुड़वा लड़कियाँ पैदा हुई।

1.3 नवजात शिशुओं के मामले में जीन को यह सुनिश्चित करने के लिए संपादित किया गया था कि वे एचआईवी से संक्रमित तो नहीं हैं।

जीन क्या है?

2.1 गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए (DNA) की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन (Gene) कहलाती है।

2.2 जीन आनुंवशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है यानि इसी से हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है जैसे- हमारे बाल, आँखों का रंग, शरीर की लंबाई अथवा कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती है।

जीन संपादन क्या है?

3.1 यह एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग (अभियंता) है, जिसमें एक जीव के जीनोम में डीएनए डाला जाता है, नष्ट किया जाता है या बदल दिया जाता है। इसके लिए न्युक्लिएंजों या 'आण्विक कैंची' का उपयोग किया जाता है।

3.2 ये न्युक्लिएंजों या एंजाइम इच्छित स्थानों पर उस जगह की विशेषता के अनुसार डबल स्टैंड (भुग्रस्त हो जाना/असहाय) ब्रेक्स (भेद करना) का निर्माण करते हैं।

3.3 जीन संपादन उपकरण में दो घटक हैं-

3.3.1 एकल निर्देशित आरएनए (SGRNA) जिसमें एक अनुक्रम होता है जो डीएनए से जुड़ सकता है।

3.3.2 कैस-9 प्रोटीन जो आण्विक कैंची के रूप में कार्य करता है वह डीएनए को साफ कर सकता है।

3.4 जीन संपादन का प्रयोग कृषि में व्यापक रूप से प्रचलित है। इससे उत्पादकता या बिमारियों से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है।

सीआरआईएसपीआर कैस-9 क्या है?

4.1 सीआरआईएसपीआर, डीएनए के हिस्से हैं जबकि कैस-9 एक एंजाइम है।

4.2 बैक्टीरिया इनका उपयोग वायरस के हमलों को निष्क्रिय करने के लिए करते हैं।

4.3 सीआरआईएसपीआर प्रणाली के घटकों का उपयोग करके शोधकर्ता उच्च जीवों के जीनोम में विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को हटा, जोड़ या परिवर्तित कर सकते हैं।

4.4 यह जीनोम को स्कैन कर सही स्थान की तलाश करता है और फिर कैस-9 प्रोटीन का आण्विक कैंची के रूप में उपयोग कर डीएनए को काटता है।

4.5 जब कैस-9 लक्षित अनुक्रम को काटता है तब कोशिकायें क्षति को पूरा करने के लिए एक बदले हुए संस्करण को मूल अनुक्रम से प्रति स्थापित करती हैं।

4.6 अन्य जीन-एडिटिंग विधियों के विपरीत यह सस्ता, त्वरित, आसान, सुरक्षित और सटीक है क्योंकि यह आरएनए डीएनए बेस पियरिंग पर आधारित है।

नैतिक पक्ष

5.1 यह तकनीक बेहद अच्छी है लेकिन इसमें अनिश्चितता अधिक है।

5.2 ऐसी संभावना है कि इससे कुछ अन्य जीन भी प्रभावित हो जाएं, ऐसे में इसके दुष्परिणाम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

5.3 इससे बच्चा पैदा करने और मानव रुची के लिए मानव भ्रूण में हेरफेर करने की पूरी संभावना है जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है।

5.4 अभी तक इनके दावों को सत्यापित करने का कोई ठोस तरीका नही है इसलिए इसकी सत्यता पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है।

थर्मल पावर परियोजना

चर्चा का कारण

1.1 जुलाई 2018 में भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय अधिकारिता समिति ने संकट में फँसे हुए थर्मल पावर परियोजनाओं पर अपनी रिपोर्ट जारी की है।

1.2 इस रिपोर्ट में 34 थर्मल पावर स्टेशनों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिनकी कुल क्षमता 40 गीगावाट तक है।

संकट का कारण

2.1 12वीं पंचवर्षीय योजना तक इनकी क्षमता को 88 गीगावाट निर्धारित किया गया था लेकिन इसी अवधि के दौरान इसे बढ़ाकर 99 गीगावाट कर दिया गया।

2.2 इससे इनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति में कमी आई है, जिसके कारण ये पावर प्लांट अपनी क्षमताओं से कम उत्पादन कर पाया।

2.3 वितरण कंपनियों पर ऋण, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ-साथ बोलीदाताओं के बीच वित्त का समन्वयन न हो पाना भी इसका एक कारण है।

2.4 सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुचित तरीके से की गई नीलामी को खत्म किया गया जिससे कि कोयले की आपूर्ति में कमी आई।

2.5 कई मामलों में प्रमोटरों तथा बोलीदाताओं ने अपनी वित्तीय क्षमता से अधिक बढ़कर बोली लगाई जो बाद में इनके संकट का कारण बना।

2.6 इसके अलावा बिजली संयंत्रों ने खरीद समझौते का सही तरीके से पालन नही किया।

सुझाव

3.1 कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा की अध्यक्षता वाली एक समिति ने संकट में फँसे पावर प्लांट को संकट से उबारने के लिए नीतिगत उपायों की सलाह दी है।

3.2 उनके अनुसार कोयले की उपलब्धता बढ़ाई जाय और बैंकों की मदद से स्टेट यूटिलिटीज से समय पर भुगतान सुनिश्चित की जाय।

3.3 कोयला आपूर्ति अंतर-मंत्रालयी मुद्दा है, जिससे कोयला और रेलवे के मंत्रालयों से आपूर्ति के अल्पकालिक मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

3.4 पुराने, अक्षम थर्मल पावर इकाइयों को बंद करना होगा। इसके लिए कम से कम 15 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया।

3.5 वित्तीय बाजारों से निपटने के लिए 'एचएलइसी' ने दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की है और कहा है कि इनमें एनटीपीसी या किसी अन्य एजेन्सी को बिजली खरीद के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में शामिल करना चाहिए, जिसे बाद में वितरण कंपनियों को बेचा जा सकता है।

3.6 ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि बिजली संयंत्र के किसी भी नये मालिक को मंजूरी मिलने और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना न करना पड़े।

विशेष तथ्य

4.1 सौभाग्य योजना के तहत 40 मिलियन से अधिक ग्रामीण और शहरी परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए दिसम्बर 2018 का लक्ष्य रखा गया है।

4.2 राज्यों में मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

4.3 बिजली उत्पादन के मामले में भारत छठा सबसे बड़ा देश है।

4.4 भारत में बिजली खपत का लगभग 65% थर्मल पावर प्लांटों, 22% हाइड्रोइलेक्ट्रीक पावर प्लांटों, 3% परमाणु ऊजा संयंत्रों तथा 10% अन्य स्रोतों द्वारा उत्पादन किया जाता है।

4.5 भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा माँग का 53.7%, विशाल कोयला भंडार के माध्यम से पूरा किया जाता है।

स्ट्रैटोस्फेरिक एयरोसोल इंजेक्शन

चर्चा का कारण

1.1 वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पृथ्वी के सतह ऊंचाई पर रसायन का छिड़काव किया जाए तो इससे वैश्विक तापवृद्धि धीमी हो जाएगी और इस पर अगले 15 वर्षों में आने वाले खर्च भी 2.25 बिलियन डॉलर होगा जो कि अपेक्षाकृत कम है।

1.2 इस भू-अभियंत्रण तकनीक का नाम 'स्ट्रैटोस्फेरिक एयरोसोल इंजेक्शन (SAI) अर्थात् समतापमंडलीय वायुकण छिड़काव है जो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान को सीमित कर सकता है।

स्ट्रैटोस्फेरिक सल्फर एयरोसोल क्या है?

2.1 यह एक समृद्ध कण होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल क्षेत्र में मौजूद होते हैं।

2.2 ये कण सल्फ्यूरिक एसिड और पानी से बने होते हैं तथा प्राकृतिक रूप से कार्बोनिक सल्फाइड जैसे सल्फर युक्त गैसों के विघटन से बनते हैं।

2.3 समतापमंडलीय वायुकण की उत्पत्ति का एक मुख्य स्रोत ज्वालामुखी का फटना भी है क्योंकि ज्वालामुखी के फटने से अधिक मात्रा में गंधक से भरी गैस समतापमंडल में पहुँच जाती है।

2.4 समतापमंडल की जिस परत में ये कण होते हैं उनको जुंग परत (Junge Layer) अथवा समतापमंडलीय वायुकण परत कहते हैं।

एसएआई (SAI) क्या है?

3.1 यह सूरज की रोशनी को अवरुद्ध करने के लिए वायुमंडल की ऊपरी परत में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे सल्फाइड गैसों के कणों की छिड़कने की प्रक्रिया है।

3.2 इस छिड़काव के लिए बड़े-बड़े पाइपों, तोपों अथवा विशेष रूप से बनाये गये हवाई जहाजों का प्रयोग होता है। ये जहाज 20 किलोमीटर की ऊँचाई पर 25 टन का भार लेकर जा सकते हैं।

3.3 सल्फर प्रकाश को हटाने में उपयुक्त होता है इसलिए इस तरह के सल्फेट आम तौर पर इस विधि के लिए सही माना जाता है।

महत्व

4.1 इस प्रणाली के द्वारा जलवायु परिवर्तन की समस्या से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है।

4.2 यह तकनीकी रूप से बहुत ही दक्ष एवं किफायती है।

चुनौतियाँ

5.1 इसका व्यापक प्रयोग कई तरह की समस्याओं को जन्म दे सकता है तथा इसमें जोखिम भी अधिक है।

5.2 इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे दुनिया के अन्य हिस्सों में सूखे या गर्म मौसम, फसल पैदावार के साथ-साथ संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रशासन के मुद्दे।

5.3 यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मुख्य ग्रीन हाउस गैसें, बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मुद्दे को भी हल नही करता है।

5.4 इस तरह की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता या समर्थन हासिल करना भी कठिन कार्य है।

5.5 इससे क्षोभमंडल परत के नीचले हिस्से में ओजोन की कमी हो सकती है।

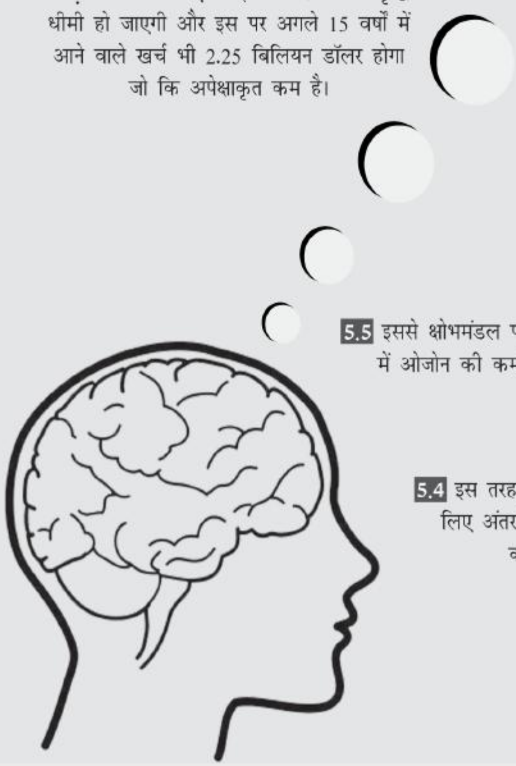

समावेशी धन रिपोर्ट 2018

चर्चा का कारण

1.1 26 नवंबर, 2018 को, संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस, (फ्रांस) में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण वित्त पहल के तहत 'समावेशी धन रिपोर्ट 2018' का तीसरा संस्करण जारी किया।

समावेशी धन रिपोर्ट 2018 के बारे में

2.1 समावेशी धन रिपोर्ट एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जो समावेशी धन सूचकांक के माध्यम से किसी देश की संपत्ति और कल्याण पर मूल्यांकन और रिपोर्ट करती है। यह एक उपकरण है जो प्रत्येक देश की अपनी भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखने और संरक्षित करने के तरीके की देखभाल करने की क्षमता का आकलन करती है।

2.2 यह रिपोर्ट 140 देशों की प्रगति के आधार पर तैयार किया गया है जिनकी वैश्विक अर्थव्यवस्था (56.84 ट्रिलियन डॉलर) और जनसंख्या (लगभग 6.89 अरब लोगों) में एक बड़ी हिस्सेदारी है।

वर्तमान स्थिति

3.1 प्रारंभिक खोज के अनुसार, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और माल्टा राष्ट्रों की संपत्ति में वृद्धि के साथ ये सूची में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद लातविया, आयरलैंड, मालदीव, एस्टोनिया, मॉरीशस, लिथुआनिया और पुर्तगाल गणराज्य हैं।

3.2 रिपोर्ट के अनुसार 140 देशों में से 44 देशों में वर्ष 1998 के बाद समावेशी संपत्ति में गिरावट आई है। इसके अलावा केवल 81 देश ही ऐसे हैं जो समावेशी संपत्ति के क्षेत्र में स्थायित्व हासिल कर पाये हैं।

3.3 15 देशों को कार्बन क्षति और समावेशी संपत्ति के मामले में नीचले स्थान पर रखा गया है। ये हैं- बुल्गारिया, कांगो, गैबॉन, गैबिया, ग्रीस, क्रोएशिया, हैती, जमैका, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (पीडीआर), लातविया, सूडान, सर्बिया, सीरिया, यूक्रेन और वियतनाम हैं।

3.4 जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे उच्च आय वाले देशों में कार्बन क्षति अपेक्षाकृत ज्यादा है।

भारत की स्थिति

4.1 भारत की आर्थिक विकास पर जंगल, भोजन और स्वच्छ हवा जैसी प्राकृतिक संपत्तियों का असर पड़ा है।

4.2 लगभग सभी राज्यों के लिए 2005-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि दर लगभग 7-8% थी और 11 राज्यों ने अपनी प्राकृतिक संपत्तियों में गिरावट दर्ज की थी।

4.3 यह रिपोर्ट केंद्रित है- 1. प्राकृतिक (वन, कृषि भूमि, नदियों, वायुमंडल और महासागर) उपलब्धता, 2. मानव (योग्यता, शिक्षा, ज्ञान और कौशल) और 3. जीडीपी का उपयोग करने के विकल्प के रूप में समावेशी संपत्ति को मापने के लिए निर्मित (भवन, उपकरण, मशीनें और सड़कों) पूँजी आदि।

समावेशी धन और एसडीजी के बीच संबंध

5.1 यह रिपोर्ट समावेशी संपत्ति और एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) के बीच संबंधों को भी बताती है।

5.2 सरकारों को एसडीजी को पूरा करने के लिए किए गए आर्थिक उपायों की स्थिरता के लिए तथा इसके परीक्षण के लिए एक नीति आवश्यक है।

5.3 अगर एसडीजी लागू करने के रूप में समावेशी संपत्ति बढ़ती है, तो लक्ष्य स्थायी रहेगा, लेकिन यदि सरकारें एसडीजी पर ध्यान ने देकर सिर्फ लाभ की आशा रखती हैं तो लक्ष्य अस्थिर माना जाना चाहिए।

5.4 एसडीजी संबंधित मुद्दे हैं-1. कोई गरीब नहीं 2. स्वच्छ पानी और स्वच्छता 3. उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा 4. जलवायु कार्रवाई 5. भूमि पर स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवन 6. लक्ष्यों के लिए साझेदारी आदि।

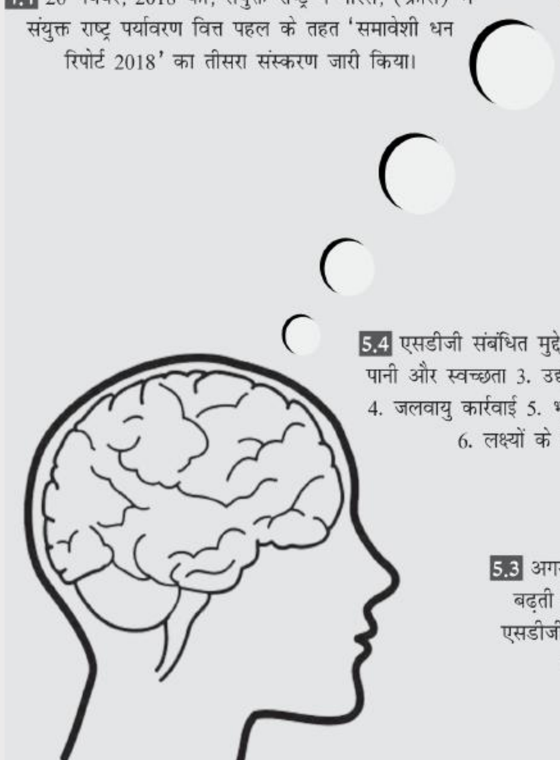

हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट

चर्चा का कारण

1.1 भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और कामयाबी अपने नाम कर ली है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने पीएसएलवी-सी 43 रॉकेट का प्रक्षेपण किया।

1.2 दरअसल, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट (हाइसिस) लॉन्च किया। इसके साथ इसरो ने अलग-अलग देशों के 29 सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं। इसरो द्वारा भेजे जा रहे है 29 सैटेलाइटों में से 23 सैटेलाइट अमेरिका के हैं।

1.3 पिछले 25 वर्षों में, इसरो ने 28 देशों से 52 भारतीय और 239 विदेशी उपग्रहों को लाँच किया है।

हिसिस के बारे में

2.1 इसे 'तेज आँख' के रूप में संबोधित किया जाता है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप पर तेज सतर्कता रखेगा और सतह की वस्तुओं को बहुत सटीक रूप से पहचानने में मदद करेगा।

2.2 यह एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो 380 किलो वजन का है। हाइसिस में दो पेलोड हैं- एक दृश्यमान अवरक्त में चित्र को कैप्चर करने के लिए जबकि दूसरा (वीएनआईआर) प्रकाश स्पेक्ट्रम की रेंज और शॉर्टवेव इन्फ्रारेड (एसडब्ल्यूआईआर) रेंज में चित्र को लेने के लिए।

2.3 यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त और शॉर्टवेव इन्फ्रारेड क्षेत्रों के निकट, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करेगा।

2.4 इसे 636 कि.मी. के सूर्य-सिंक्रोनस ध्रुवीय कक्षा में 97.957 डिग्री के झुकाव के साथ रखा जाएगा। यह उपग्रह 2023 तक पृथ्वी अवलोकन की सेवा प्रदान करेगा।

2.5 यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से जानकारी एकत्र करता है और संसाधित करता है। अंतरिक्ष से दृश्य के प्रत्येक पिक्सल के लिए स्पेक्ट्रम पढ़कर पृथ्वी पर वस्तुओं, सामग्री या प्रक्रियाओं की अलग पहचान को सक्षम बनाता है।

2.6 यह सुपर-तेज आँख वाला एक दुर्लभ उपग्रह है, और बहुत कम देशों ने स्वदेशी तकनीक द्वारा इसे बनाने में महारत हासिल की हैं।

2.7 कई देश अंतरिक्ष में ऐसे हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरे भेजने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके परिणामों की व्याख्या करना आसान नहीं है।

अनुप्रयोग

3.1 इसका उपयोग कृषि, वानिकी और तटीय क्षेत्रों के मूल्यांकन, अंतर्देशीय जल अध्ययन, मिट्टी सर्वेक्षण, पर्यावरण अध्ययन, उद्योगों से प्रदूषण का पता लगाने और अन्य भूगर्भीय वातावरण जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा।

3.2 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होने के अलावा, निगरानी के उद्देश्य से सेना द्वारा भी एचवाईएसआईएस का उपयोग किया जाएगा।

पृथ्वी निरीक्षण क्या है?

4.1 पृथ्वी अवलोकन रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना है।

4.2 प्राकृतिक अवलोकन और प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण की स्थिति की निगरानी और आकलन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

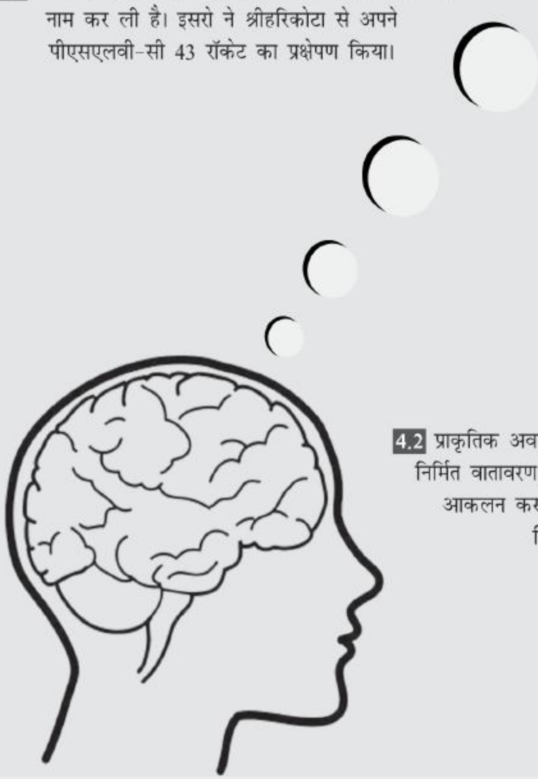

ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19

चर्चा का कारण

1.1 अतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार, प्रति घंटा मजदूरी के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को भारत में सबसे अधिक असमान रूप से वेतन दिया जाता है। भारतीय महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 34% कम मजदूरी प्राप्त होती है।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य

2.1 रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का लाभ दक्षिण एशियाई देशों के लोगों को मिला और उनके वेतन में अन्य क्षेत्रों के लोगों की तुलना में अच्छी वृद्धि हुई।

2.2 वर्ष 2008 की मंदी के बाद से 2017 तक भारत उन दक्षिण एशियाई देशों में सम्मिलित है, जहाँ लोगों का वेतन सबसे अधिक बढ़ा है।

2.3 रिपोर्ट के अनुसार, अच्छी औसत वेतन वृद्धि के मामले में भारत के अतिरिक्त चीन, थाईलैंड और वियतनाम भी अग्रणी देशों में शामिल हैं।

2.4 ILO के रिपोर्ट के अनुसार उभरते G-20 देशों में मैक्सिको को छोड़कर अन्य देशों में औसत वास्तविक वेतन वृद्धि सकारात्मक रही है।

2.5 कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आने के चलते रूस में 2015 में औसत वेतन बढ़ने की जगह घटा यानी विकास नकारात्मक रहा, परन्तु बाद में इसमें सुधार देखा गया। तुर्की में इस दौरान 1 प्रतिशत नकारात्मक विकास देखा गया।

एशिया

3.1 दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत में 2008 से लेकर 2017 के दौरान औसत वास्तविक वेतन वृद्धि रीजनल मीडियन (क्षेत्रीय औसत) 3.7% की तुलना में 5.5% रही।

3.2 इस दौरान नेपाल की 4.7%, श्रीलंका की 4%, बांग्लादेश की 3.4%, पाकिस्तान की 1.8% और ईरान की वेतन वृद्धि दर 0.4% रही।

3.3 रिपोर्ट ने इस तरफ भी ध्यान आकृष्ट किया है कि ज्यादातर देशों ने न्यूनतम मजदूरी को भी मजबूती देने की कोशिश की है ताकि कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

3.4 आईएलओ ने यह रिपोर्ट 136 देशों में वेतन की स्थिति के अध्ययन के बाद जारी की है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान उभरते जी-20 देशों में आर्थिक वृद्धि 3 गुना बढ़ा है, जबकि अग्रणी जी-20 देशों में केवल 9 फीसदी इजाफा हुआ है।

महिलाओं की स्थिति

4.1 रिपोर्ट में पहली बार जेंडर गैप का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों को मिलने वाली सैलरी महिलाओं की तुलना में 20 फीसदी ज्यादा है।

4.2 यह डाटा 70 देशों के अध्ययन के आधार पर लिया गया, जिसमें दुनियाभर के करीब 80 फीसदी कर्मचारी शामिल थे।

आगे की राह

5.1 जेंडर गैप को कम करने के लिए महिलाओं और पुरुषों के बराबर वेतन सुनिश्चित करने और महिलाओं के काम के अवमूल्यन को संबोधित करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

5.2 सभी देशों को अपने सामाजिक भागीदारों, सामाजिक और आर्थिक रूप से टिकाऊ मजदूरी के विकास को प्राप्त करने के तरीकों का पता लगाना चाहिए।

5.3 सभी देशों को अपनी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके मूल उद्देश्य क्या हैं और लिंग समानता की दिशा में प्रगति कैसे लायी जा सकती है।

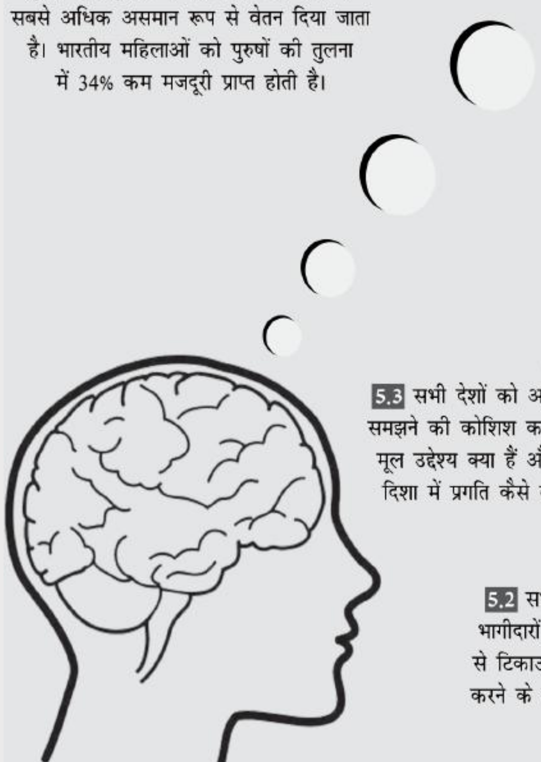

सतत ब्लू इकोनॉमी सम्मेलन

चर्चा का कारण

1.1 केन्या की राजधानी नैरोबी में पहला सतत ब्लू इकोनॉमी सम्मेलन आयोजित किया गया। यह केन्या द्वारा आयोजित किया गया था और जापान तथा कनाडा इसके उपसहभागी थे।

1.2 इस सम्मेलन का विषय 'ब्लू इकोनॉमी और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा' था।

सतत ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस

2.1 यह सम्मेलन सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा, पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2017 'कॉल टू एक्शन' की गति पर आयोजित किया गया था।

2.2 सम्मेलन में 184 देशों के 17,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

2.3 भारत का प्रतिनिधित्व नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया।

2.4 इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य दल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण, ओल्ड बैंक एएफआर एक्जिम बैंक महासागर फाउंडेशन एवं विश्व वन्यजीव निधि, आदि हैं।

पृष्ठभूमि

3.1 ब्लू इकोनॉमी वह आर्थिक लाभ और मूल्य है जो पृथ्वी के तटीय और समुद्री पर्यावरण से महसूस किया जाता है। यह स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, अक्षय ऊर्जा और परिपत्र सामग्री प्रवाह पर भी आधारित है।

3.2 सतत ब्लू इकोनॉमी समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था है जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करती है तथा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, उत्पादकता और लचीलापन को पुनर्स्थापित, संरक्षित और रखरखाव करती है।

3.3 भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का हिंद महासागरीय क्षेत्र (आईओआर) में रणनीतिक भागीदारी है और इस आधार पर, भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के ढांचे के माध्यम से टिकाऊ, समावेशी और मानव केंद्रित तरीके से ब्लू इकोनॉमी के विकास का समर्थन करता है।

3.4 भारत, महत्वाकांक्षी 'सागरमाला कार्यक्रम' के माध्यम से अपने समुद्री बुनियादी ढांचे के साथ-साथ इसके अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन का भी विकास कर रहा है जिसका उद्देश्य देश में समुद्री रसद और बंदरगाह के नेतृत्व में विकास को क्रांतिकारी बनाना है।

3.5 इस क्षेत्र के बारे में भारत का राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से 'सागर' शब्द में स्पष्ट है - आईओआर में सभी के लिए 'सुरक्षा और विकास भारत', का एक प्रमुख एजेंडा है।

लाभ

4.1 भारत-अफ्रीका सहयोग को मजबूत बनाने में सहायक एवं भारत के लिए महासागरीय क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

4.2 भारत के आर्थिक विकास के लिए बहुत लाभदायक है

4.3 इस क्षेत्र में बहुत अधिक नौकरी निर्माण की संभावना है।

आगे की राह

5.1 समुद्री पर्यावरण पर विद्यमान समझौते को बदलने के लिए अधिक जोरदार कूटनीति और समन्वय की आवश्यकता है।

5.2 ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया' जैसे प्रोग्राम को संरेखित किया जाय जिससे कि इस क्षेत्र में संपत्ति दोहन को सुनिश्चित किया जा सके।

5.3 तकनीकी गलियारे को जोड़ने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के साथ तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है।

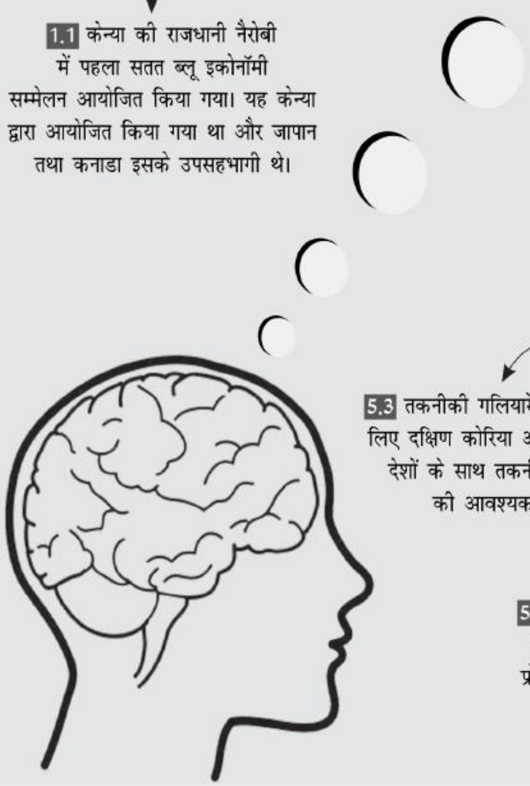

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. सीआरआईएसपीआर कैस 9

प्र. सीआरआईएसपीआर कैस 9 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि वह दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित बच्चों को पैदा किया है।
2. गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए (DNA) की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएँ, जो आनुवंशिक लक्षणों का धारणा कर एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी मे स्थानांतरण करती है, जीन (gene) कहलाती है।
3. सीआरआईएसपीआर (CRISPR), डीएनए के हिस्से हैं जबकि कैस-9 एक एंजाइम है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 1 व 3
(c) केवल 2 व 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में चीन के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि वह दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित बच्चों को पैदा किया है। इस तरह कथन 1 गलत है। इसके अलावा दिए गए दोनों कथन सही हैं। जीन संपादन एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग (अभियंता) है, जिसमें एक जीव के जीनोम में डीएनए डाला जाता है, नष्ट किया जाता है या बदल दिया जाता है। सीआरआईएसपीआर डीएनए (DNA) का हिस्सा है जबकि कैस-9 एक एंजाइम है। ■

2. थर्मल पावर परियोजना

प्र. थर्मल पावर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. जुलाई 2018 में भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय अधिकारिता समिति ने संकट में फंसे हुए थर्मल पावर परियोजनाओं पर अपनी रिपोर्ट जारी की है।
2. इस रिपोर्ट में 34 थर्मल पावर स्टेशनों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिनकी कुल क्षमता 40 गीगावाट तक है।
3. सौभाग्य योजना के तहत 40 मिलियन से अधिक ग्रामीण और शहरी परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए दिसम्बर 2018 तक का लक्ष्य रखा गया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 1 व 3
(c) केवल 2 व 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः जुलाई 2018 में भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय अधिकारिता समिति ने संकट में फंसे हुए थर्मल पावर परियोजनाओं पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 34 थर्मल पावर स्टेशनों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिनकी कुल क्षमता 40 गीगावाट है। उल्लेखनीय है कि सौभाग्य योजना के तहत 40 मिलियन से अधिक बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए दिसम्बर 2018 का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह दिए गए सभी कथन सत्य हैं। ■

3. स्ट्रैटोस्फेरिक एयरोसोल इंजेक्शन

प्र. नीचे दिए गये कथनों में गलत कथन का चयन करें-

1. स्ट्रैटोस्फेरिक एयरोसोल एक समृद्ध कण होते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल के समतापमंडल क्षेत्र में मौजूद होते हैं।
2. स्ट्रैटोस्फेरिक एयरोसोल इंजेक्शन, सूरज की रोशनी को अवरुद्ध करने के लिए वायुमंडल की ऊपरी परत में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे सल्फाइड गैसों के कणों की छिड़कने की प्रक्रिया है।

कूटः

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पृथ्वी के ऊपरी परत पर रसायन का छिड़काव किया जाय तो इससे वैश्विक तापवृद्धि धीमी हो जएगी और इस पर अगले 15 वर्षों में आने वाले खर्च भी 2.25 बिलियन डॉलर होगा जो कि बहुत कम है। इस संदर्भ में दिए गये दोनों कथन सत्य हैं। इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

4. समावेशी धन रिपोर्ट–2018

प्र. समावेशी धन रिपोर्ट के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें-

(a) समावेशी धन रिपोर्ट-2018, 140 देशों की प्रगति के आधार पर तैयार किया गया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था (56.84 ट्रिलियन डॉलर) और जनसंख्या (लगभग 7 अरब) में एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं।

(b) इस रिपोर्ट के अनुसार कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और माल्टा राष्ट्रों की संपत्ति वृद्धि के साथ सूची में ये उच्च स्थान पर हैं।

(c) रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग सभी राज्यों के लिए 2005-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि दर लगभग 12% थी और 18 राज्यों ने अपनी प्राकृतिक संपत्तियों में गिरावट दर्ज की थी।

(d) रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे उच्च आय वाले देशों में कार्बन क्षति अपेक्षाकृत ज्यादा है।

उत्तरः (c)

व्याख्याः समावेशी धन रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग सभी राज्यों के लिए 2005-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि दर लगभग 7.8% थी और 11 राज्यों ने अपनी प्राकृतिक संपत्तियों में गिरावट दर्ज की थी। इस तरह कथन (c) गलत है। इसके अलावा दिए गये सभी कथन सही हैं इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

5. हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट

प्र. निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करे-

(a) हाल ही में इसरो ने आन्ध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट लाँच किया।

(b) पिछले 25 वर्षो में इसरो ने 28 देशों से 52 भारतीय और 239 विदेशी उपग्रहों को लाँच किया है।

(c) यह उपग्रह 2030 तक इसरो को पृथ्वी अवलोकन की सेवा प्रदान करेगा।

(d) इसका उपयोग कृषि, वानिकी और तटीय क्षेत्रों के मूल्यांकन, अंतर्देशीय जल अध्ययन, मिट्टी सर्वेक्षण, पर्यावरण अध्ययन, उद्योगों से प्रदूषण का पता लगाने और अन्य भूगर्भीय वातावरण अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा।

उत्तरः (c)

व्याख्याः भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और कामयाबी अपने नाम कर ली है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी सी-43 रॉकेट का प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह 2023 तक इसरो को पृथ्वी अवलोकन की सेवा प्रदान करेगा। इस तरह कथन (c) गलत है। इसके अलावा दिए गये सभी कथन सत्य हैं। इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

6. ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 की मंदी के बाद से 2017 तक भारत उन दक्षिण एशियाई देशों में सम्मिलित है, जहाँ लोगों का वेतन सबसे कम बढ़ा है।
2. आईएलओ (ILO) के रिपोर्ट के अनुसार उभरते जी-20 देशों में मैक्सिको को छोड़कर अन्य देशों में औसत वास्तविक वेतन वृद्धि सकारात्मक रही है।
3. रिपोर्ट में पहली बार जेंडर गैप का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार पुरुषों को मिलने वाली सैलरी महिलाओं की तुलना में 20 फीसदी ज्यादा है।
4. रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 30% कम मजदूरी प्राप्त होती है।

कूटः

(a) केवल 1 व 4 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 की मंदी के बाद से 2017 तक भारत उन दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है, जहाँ लोगों का वेतन सबसे अधिक बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 34% कम मजदूरी प्राप्त होती है। इस तरह कथन 1 व 4 गलत है इसलिए उत्तर (a) होगा। ■

7. सतत ब्लू इकोनॉमी सम्मेलन

प्र. सतत ब्लू इकोनॉमी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. सतत ब्लू इकोनॉमी सम्मेलन 2018 का विषय 'ब्लू इकोनॉमी और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा' है।
2. इस सम्मेलन में 180 देशों के 2100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
3. यह सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया।
4. ब्लू इकोनॉमी वह आर्थिक लाभ और मूल्य है जो पृथ्वी के तटीय और समुद्री पर्यावरण से प्राप्त किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) केवल 1 व 4 (b) केवल 1, 2 व 4
(c) केवल 1 व 3 (d) केवल 2, 3 व 4

उत्तरः (a)

व्याख्याः केन्या की राजधानी नैरोबी में पहला सतत ब्लू इकोनॉमी सम्मेलन आयोजित किया गया। यह केन्या द्वारा आयोजित किया गया था और जापान तथा कनाडा इसके सहभागी राष्ट्र थे। इस तरह कथन 3 गलत है। इस सम्मेलन में 184 देशों के 17,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस तरह कथन 2 भी गलत है। अतः उत्तर (a) होगा। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. किस देश ने 'आधुनिक दासता' (Modern Slavery) के रूप में 'अनाथालय तस्करी' (Orphanage Trafficking) को पहचाना है?

   - ऑस्ट्रेलिया

2. रोहिंग्या मुद्दे पर हाल ही में किस वैश्विक नेता को एमनेस्टी इंटरनेशनल के सर्वोच्च सम्मान और पेरिस के स्वतंत्रता पुरस्कार से हटा दिया गया था?

   - ऑन्ग सॉन सू की

3. मैक्सिको के 58वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया?

   - एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर

4. अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन (आईएसएसएफ) की न्यायाधीश समिति के सात सदस्यों में से एक चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?

   - पवन सिंह

5. जनवरी 2019 से कौन सा देश 'किम्बरले प्रोसेस' की अध्यक्षता करेगा?

   - इंडिया

6. वर्ष 2017-18 के लिए प्रतिष्ठित 'स्वर्ण जयंती फैलोशिप फॉर वैज्ञानिक रिसर्च' किसने जीता?

   - डॉ. मयंक वत्सा

7. किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने अपना लक्ष्य 2050 तक 'कार्बन तटस्थ' (Carbon Neutral) होने का निर्धारित किया है?

   - यूरोपीय संघ

सात महत्वपूर्ण निर्णय

1. समलैंगिकता (धारा 377)

- सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ ने एकमत से यह फैसला सुनाया है। करीब 55 मिनट में सुनाए इस फैसले में 'धारा 377' को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अतार्किक और मनमानी बताते हुए कहा कि 'एलजीबीटी समुदाय' को भी समान अधिकार है। धारा 377 के जरिए एलजीबीटी की यौन प्राथमिकताओं को निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन प्राथमिकता बाइलोजिकल और प्राकृतिक है तथा अंतरंगता एवं निजता किसी की निजी पसंद है, इसमें राज्य को दखल नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह का भेदभाव मौलिक अधिकारों का हनन है। 'धारा 377' संविधान के समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का हनन करती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता कोई मानसिक विकार नहीं है और 'एलजीबीटी समुदाय' को कलंक न मानें तथा इसके लिए सरकार को प्रचार करना चाहिए।
- जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए यह काफी चिंतित करने वाली स्थिति है कि यहाँ यौन अल्पसंख्यक 'एलजीबीटी समुदाय' को छुपना पड़ रहा है। 'एलजीबीटी समुदाय' को भी दूसरों की तरह समान अधिकार है। यौन प्राथमिकताओं के अधिकार से इनकार करना निजता के अधिकार को देने से इनकार करना है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पहचान मिली है। भारत भी इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है कि, किसी नागरिक की निजता में घुसपैठ का राज्य को हक नहीं है।
- जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा इतिहास को 'एलजीबीटी समुदाय' से उनकी यातना के लिए माफी मांगनी चाहिए। एलजीबीटी समुदाय को बहुसंख्यकों द्वारा समलैंगिकता को पहचान न देने पर डर के साए में रहने को विवश किया गया।
- हालांकि असहमति या जबरन बनाए गए संबंध, इस धारा के तहत अपराध बने रहेंगे। साथ ही बच्चों और पशुओं के साथ यौनाचार भी अपराध की श्रेणी में रहेगा।
- समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करना और धारा 377 को खत्म करना इंसानियत और बराबरी के हक की बड़ी जीत है।
- सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 'एलजीबीटी समुदाय' काफी खुश है। उनका कहना है कि लंबी लड़ाई के बाद उनकी जीत हुई है।
- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि वो जांच करेंगे कि क्या जीने के मौलिक अधिकार में 'यौन आजादी का अधिकार' शामिल है, विशेष रूप से 9 न्यायाधीश बेंच के फैसले के बाद कि 'निजता का अधिकार' एक मौलिक अधिकार है।
- इससे पहले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने धारा-377 की वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए यह साफ किया था कि इस कानून को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि यह दो समलैंगिक वयस्कों द्वारा सहमति से बनाए गए यौन संबंध तक ही सीमित रहेगा। पीठ ने कहा कि अगर 'धारा-377' को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा तो आरजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम सिर्फ दो समलैंगिक वयस्कों द्वारा सहमति से बनाए गए यौन संबंध पर विचार कर रहे हैं। यहां सहमति ही अहम बिन्दु है।
- पहले याचिकाओं पर अपना जवाब देने के लिए कुछ और समय का अनुरोध करने वाली केन्द्र सरकार ने बाद में इस दंडात्मक प्रावधान की वैधता का मुद्दा अदालत के विवेक पर छोड़ दिया था।
- केन्द्र ने कहा था कि नाबालिगों और जानवरों के संबंध में दंडात्मक प्रावधान के अन्य पहलुओं को कानून में रहने दिया जाना चाहिए। धारा-377, 'अप्राकृतिक अपराधों' से संबंधित है जो किसी महिला, पुरुष या जानवरों के साथ अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने वाले को आजीवन कारावास या दस साल तक के कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। केन्द्र सरकार की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूँछा कि क्या प्रजनन के लिए किए जाने पर ही सेक्स 'प्राकृतिक' होता है?

2. आधर की वैधता

- सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2018 में दिए अपने फैसले में आधार की वैधता को बरकरार रखा किन्तु आधार अधिनियम की 'धारा-57' को रद्द कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि आधार संवैधानिक है लेकिन सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इसे अनिवार्य बनाना असंवैधानिक है। इसलिए, आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है, जबकि बैंक और दूरसंचार कंपनियां लोगों से अपने बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने के लिए नहीं कह सकती हैं, यह असंवैधानिक है।
- सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा किन्तु फैसला दिया कि यूआईडीएआई परियोजना को किसी भी सामाजिक कल्याण योजना के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है।

3. व्यभिचार (Adultery) अपराध नहीं

- सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से व्यभिचार से संबंधित दंडात्मक प्रावधान को असंवैधानिक करार देते हुए उसे मनमाना और महिलाओं की व्यक्तिकता को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए निरस्त कर दिया। मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा ने कहा, ''व्यभिचार अपराध नहीं हो सकता, यह निजता का मामला है और पति, पत्नी का मालिक नहीं है।''
- न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने भारतीय दंड संहिता की 'धारा-497' (व्याभिचार से संबंधित धारा) को असंवैधानिक बताते हुए इस दंडात्मक प्रावधान को निरस्त किया।
- केन्द्र सरकार ने व्यभिचार के संबंध में दंडात्मक कानून बनाए रखने का समर्थन किया और कहा कि यह सामाजिक तौर पर गलत है और इससे जीवनसाथी, बच्चे और परिवार मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते हैं।
- न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक पवित्रता एक मुद्दा है लेकिन व्यभिचार के लिए दंडात्मक प्रावधान अंततः संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
- केरल के निवासी 'जोसेफ शाइन' ने न्यायालय में याचिका दायर कर आईपीसी की 'धारा-497' की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। याचिका में शाइन ने कहा कि पहली नजर में 'धारा-497' असंवैधानिक है क्योंकि यह पुरूषों और महिलाओं में भेदभाव करती है तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है।

4. सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के जाने पर लगी पाबंदी हटी

- सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए केरल के 'सबरीमाला मंदिर' में महिलाओं के जाने पर लगी पाबंदी हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लिंग के आधार पर भेदभाव माना है। इसके पहले यहाँ 10 साल की बच्चियों से लेकर 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी थी। सबरीमाला मंदिर का संचालन करने वाला 'त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड', अब कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी में है।
- **क्यों थी मंदिर में महिलाओं के जाने पर पाबंदी?** केरल में शैव और वैष्णवों में बढ़ते वैमनस्य के कारण एक मध्य मार्ग की स्थापना की गई थी, जिसमें अय्यप्पा स्वामी का सबरीमाला मंदिर बनाया गया था। इसमें सभी पंथ के लोग आ सकते थे। दक्षिणी मान्यता के तहत भगवान अयप्पा स्वामी को ब्रह्मचारी माना गया है, इसी वजह से मंदिर में उन महिलाओं का प्रवेश वर्जित था जो रजस्वला (मासिक धर्म से संबंधित) हो सकती थीं।
- सबरीमाला मंदिर केरल के पतनमतिट्टा जिले में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी (भगवान विष्णु का अवतार) का पुत्र माना जाता है।
- केरल सरकार ने 1965 में कानूनी रूप से महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया था, इस नियम ने मासिक धर्म से युक्त महिलाओं (10 साल से 50 साल तक की आयु) को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से इस कानून को भी समाप्त कर दिया।
- बेंच ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के लिए सभी उम्र की महिलाओं को संविधान के तहत अनुमति दी जाती है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा कि धर्म जीवन का एक तरीका है जो गरिमा के साथ जीवन को जोड़ने के लिए है। भक्ति, लिंग भेदभाव के अधीन नहीं हो सकती है। सबरीमाला मंदिर में अभ्यास हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है जबकि इसे संविधान के अनुरूप होना चाहिए।
- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, जस्टिस रोहिंटन और जस्टिस चन्द्रचूड़ का मत फैसले के पक्ष में था, जबकि जस्टिस इंदुमल्होत्रा ने इस फैसले से असहमत थीं। उनके अनुसार, अदालतों को यह निर्धारित नहीं करना चाहिए कि कौन सी धार्मिक प्रथाओं खत्म करना है और किसे नहीं खत्म करना है।

5. केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार विवाद

- एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया कि दिल्ली के निर्वाचित सरकार के फैसले को लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) की सहमति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल फैसलों की सूचना देना ही पर्याप्त होगा। इस निर्णय में यह भी कहा गया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्तियां नहीं हैं।
- इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह माना था कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ कोई भी फैसला उप राज्यपाल की मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकता है। इसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। दिल्ली सरकार ने यह भी मांग की है कि उप राज्यपाल की मंजूरी लिए बिना जिन 400 फाइलों को उसने पास किया था, उनकी जांच रिपोर्ट पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाए। गौरतलब है कि इन फाइलों की जांच के लिए एलजी (उप राज्यपाल) ने 'शुंगलू कमेटी' बनाई थी, जो अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि राज्यपाल, मंत्रिपरिषद के निर्णयों से असंतुष्ट हैं तो उन्हें इससे संबंधित फाइलों को अंतिम निर्णय हेतु राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उप राज्यपाल की असहमति, सरकार के सुचारू कार्यन्वयन हेतु होनी चाहिए न कि गतिरोध पैदा करने के लिए। एलजी को मंत्रिपरिषद के साथ सुसंगत रूप से काम करने की जरूरत है। चर्चाओं के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए एक प्रयास किया जाना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए सभी निर्णयों को एलजी को सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी सहमति आवश्यक है।
- दिल्ली विधानसभा, समवर्ती सूची के तीन विषयों (सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि) को छोड़कर अन्य सभी पर कानून बना सकती है; इन तीनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है।

6. पैसिव यूथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छा मृत्यु)

- सुप्रीम कोर्ट ने 'पैसिव यूथेनेशिया' (निष्क्रिय इच्छा मृत्यु) को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और उसके इलाज की संभावना नहीं है तो वह इच्छा मृत्यु के लिए वसीयत (या लिविंग विल) लिख सकता है। कोर्ट ने 'लिविंग विल' के प्रावधान का दुरुपयोग रोकने के लिए शर्तें भी रखी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जीने की इच्छा नहीं रखने वाले व्यक्ति को निष्क्रिय अवस्था में शारीरिक पीड़ा सहने नहीं देना चाहिए। व्यक्ति को सम्मान के साथ अपनी मृत्यु का वरण करने का अधिकार है। कोर्ट के फैसले की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं-
  - सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को मान्यता दी कि असाध्य रोग से ग्रस्त मरीज इच्छा पत्र (या लिविंग विल) लिख सकता है जो चिकित्सकों को उसके जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति देता है।
  - शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जीने की इच्छा नहीं रखने वाले व्यक्ति को निष्क्रिय अवस्था में शारीरिक पीड़ा सहने नहीं देना चाहिए।
  - प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि निष्क्रिय अवस्था में इच्छा मृत्यु और अग्रिम इच्छा पत्र लिखने की अनुमति है।
  - संविधान पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून बनने तक फैसले में प्रतिपादित दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे।
  - पीठ ने अपने फैसले में कुछ दिशानिर्देश भी दिए हैं जिनमें कहा गया है कि कौन इस तरह के इच्छा पत्र का निष्पादन कर सकता है और किस तरह से मेडिकल बोर्ड इच्छा मृत्यु के लिये अपनी सहमति देगा।
  - शीर्ष अदालत ने कहा कि असाध्य बीमारी से ग्रस्त मरीजों के मामले में ऐसे मरीज के नजदीकी मित्र और रिश्तेदार इस तरह के अग्रिम निर्देश दे सकते हैं और 'इच्छा-पत्र' (या लिविंग विल) का निष्पादन कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल बोर्ड ऐसे 'इच्छा-पत्र' पर विचार करेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में अरुणा शानबाग के मामले में निष्क्रिय अवस्था में इच्छा मृत्यु को मान्यता देते हुए अपने फैसले में ऐसे मरीज के जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी थी जो एक सुविज्ञ निर्णय करने की स्थिति में नहीं थीं।
- केन्द्र सरकार ने 15 जनवरी, 2016 को न्यायालय को सूचित किया था कि विधि आयोग ने अपनी 241वीं रिपोर्ट में चुनिन्दा सुरक्षा उपायों के साथ निष्क्रिय अवस्था में इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की सिफारिश की थी।
- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपना इलाज कराने या ना कराने का अधिकार है। अब वो फैसला

कर सकता है कि उसे अपना इलाज किस लेवल तक कराना है और उसकी मौत को और अधिक समय तक टाला जाय या नही।

- केन्द्र सरकार ने इससे संबंधित एक ड्राफ्ट बिल 'मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टरमिनली इन पेशेंट (प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट एण्ड मेडिकल प्रेक्टिशनल) बिल, 2016' तैयार किया था। इसमें पैसिव यूथेनेसिया की बात तो थी लेकिन 'लिविंग विल' शब्द का उल्लेख नहीं था।
- पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति से इसके दुरूपयोग की आशंका प्रबल हो गई है।
- यूथेनेशिया (इच्छा मृत्यु) के मामले दो तरह के होते हैं- निष्क्रिय इच्छा मृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) और सक्रिय इच्छा मृत्यु (एक्टिव यूथेनेशिया)। अगर कोई मरीज वेंटिलेटर पर है यानि उसका शरीर खुद को जिंदा रखने में सक्षम नहीं है बल्कि मशीनों की मदद से उसे जिंदा रखा गया है, तो पैसिव यूथेनेशिया के माध्यम से धीरे-धीरे उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है और व्यक्ति की प्राकृतिक तरीके से मृत्यु हो जाती है। जब कोई मरीज ठीक स्थिति अर्थात् सचेत अवस्था में है लेकिन उसे लाइलाज बीमारी हो गई है जिससे मरीज बहुत परेशान हो चुका होता है तथा वह अपनी मरने की इच्छा भी जाहिर कर देता है तो डॉक्टर उसे जहरीला इंजेक्शन देकर मार देते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने 'एक्टिव यूथेनेशिया' पर सख्त प्रतिबन्ध लगा रखा है।

7. तीन तलाक

- सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन तलाक को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिमों में तीन तलाक के जरिए दिए जाने वाले तलाक की प्रथा 'अमान्य', 'अवैध' और 'असंवैधानिक' है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने '3:2' के मत से सुनाए गए फैसले में तीन तलाक को कुरान के मूल तत्व के खिलाफ बताया।
- इस्लामिक देशों में तीन तलाक खत्म किये जाने का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि स्वतंत्र भारत इससे निजात क्यों नहीं पा सकता?
- तीन तलाक, भारत में प्रचलित तलाक का एक रूप है, जिससे एक मुस्लिम व्यक्ति कानूनी तौर पर तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। ये मौखिक या लिखित हो सकता है। हाल के दिनों में टेलीफोन, एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी तीन तलाक दिया जा रहा है।
- इस निर्णय के पक्ष में विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित बातें कहीं-
    - सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है, इससे मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।
    - यह निर्णय, मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वाभिमानपूर्ण एवं समानता के एक नए युग की शुरुआत करेगा।
    - सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वर्ष 1986 में हुए शाह बानो केस की यादें ताजा हो गईं। जिसमें 70 वर्षीय महिला को उनके पति ने तीन तलाक बोल कर नाता तोड़ दिया था। मामला जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था। कोर्ट ने उस समय भी तीन तलाक को गैरकानूनी माना था। काश उस दौरान ही तीन तलाक के मामले में कानून बनाया गया होता तो आज अनेक मुस्लिम महिलाएं इसका दंश न झेलती।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं? भारत में इसके महत्व को बताते हुए, इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें।

2. हाल ही में सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना एवं रामायण सर्किट शुरू किया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसके शुरू करने के उद्देश्यों का जिक्र करते हुए बताइए कि क्या यह योजना भारत को पर्यटन के क्षेत्र में लाभ पहुँचा सकती है?

3. भारत में स्वच्छ ऊर्जा को लम्बे समय से महत्व दिया जाता रहा है। इस संदर्भ में हाल ही में शुरू किया गया सिटी गैस वितरण परियोजना कहाँ तक सार्थक साबित हो सकती है? चर्चा करें।

4. आर्थिक सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ''महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सशक्त करता है?'' अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

5. भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जिसकी अपनी 22 राष्ट्रीय भाषा, अनेकों क्षेत्रीय भाषा और बोलियाँ हैं, इसके बावजूद भारतीय एकता बनी हुई है, क्या भाषायी राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

6. दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? समाज में दिव्यांग जनों के हालातों का जिक्र करते हुए बताइए कि इस दिशा में सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ और सामाजिक नीतियाँ उन्हें सशक्त करने में कितना कारगर साबित हो सकती हैं?

7. सहकारी संघवाद क्या है? वे कौन से कारण हैं, जिस वजह से हाल के वर्षों में भारत द्वारा सहकारी संघवाद पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है?

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Dhyeya IAS has been writing success stories for one and a half decades. Once again Dhyeya IAS has scripted new saga of success with 120+ selections.

SHIVANI GOYAL AIR-15
GAURAV KUMAR AIR-34
VISHAL MISHRA AIR-49

AMOL SHRIVASTAVA AIR-83
PRATEEK JAIN AIR-86
SUNNY KUMAR SINGH AIR-91
PRIYANKA BOTHRA AIR-106
SURAJ KUMAR RAI AIR-117
DEEPANSHU KHURANA AIR-120
SAURABH SABHLOK AIR-124
ABHINAV CHOUKSEY AIR-143
ANIRUDH AIR-146
DESHMUKH YATISH VAJIRAO AIR159
SAURABH GUPTA AIR-192
SAI PRANEETH AIR-196
SHUBHAM AGGARWAL AIR-202
HARSH SINGH AIR-244
KATYAYANI BHATIA AIR-246
SHIV NARAYAN SHARMA AIR-278
SHAKTI MOHAN AWASTHY AIR-296
LAVANYA GUPTA AIR-298
BUDUMAJJI SATYA PRASAD AIR-313
GAURAV GARG AIR-315
SHAIKH SALMAN AIR-339
YOGNIK BHAGEL AIR-340
SAKSHI GARG AIR-350
AMIT KUMAR AIR-361
PUNEET SINGH AIR-383
ANUPAMA ANJALI AIR-386
VIJAY TANEJA AIR-388
NSR REDDY AIR-417
DHEERAJ AGARWAL AIR-423
VIKRANT SAHDEO MORE AIR-430
ADITYA JHA AIR-431
KIRTI GOYAL AIR-432
VIKAS SINGH AIR-438
FURQAN AKHTAR AIR-444
SHIVANI KAPUR AIR-469
P SAINATH AIR-480
JAGPRAVESH AIR-483
POOJA SHOKEEN AIR-516
ASHUTOSH SHUKLA AIR-548
LAKHAN SINGH YADAV AIR-565
VIKAS MEENA AIR-568
MONIKA RANA AIR-577
OMPRAKASH JAT AIR-582
SWAPNIL YADAV AIR-591
CHETAN KUMAR MEENA AIR-594
UTSAHA CHAUDHARY AIR-599
MALYAJ SINGH AIR-601
GANESH TENGALE AIR-614
AKSHAY KUMAR TEMRAWAL AIR-615
DINESH KUMAR AIR-638
VIJAYNDRA R AIR-666
J SONAL AIR-638
SHAHID T KOMATH AIR-693
SHINDE AMIT LAXMAN AIR-705
ANIL KUMAR VERMA AIR-732
NILESH TAMBE AIR-733
ANUPAM JAKHAR AIR-739
RATANDEEP GUPTA AIR-767
JAI KISHAN AIR-768
PANKAJ YADAV AIR-782
SHEERAT FATIMA AIR-810
MANOJ KUMAR RAWAT AIR-824
ARIF KHAN AIR-850
SANDEEP MEENA AIR-852
ABHINAV GOPAL AIR-865
SHIV SINGH MEENA AIR-909

& many more...

ध्येय IAS
most trusted since 2003

EDGE for IAS

Dhyeya Student Portal

FREE REGISTRATION

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST : VIDEOS: CURRENT AFFAIRS: DISCUSSION	DAILY Q & A CHECKING ARTICLE ANALYSIS ESSAY AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		**ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल**	**अन्य पोर्टल एवं साइट्स**
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓(कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓(कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और Ethics case study ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

UPPCS Mains Test Series 2018

Date	Test	Subject
02 Dec.	Test-1 - (12:00Noon-3:00pm)	Modern India, India After Independence, World History, History of Uttar Pradesh
09 Dec.	Test-2 - (12:00Noon-3:00pm)	Social Issues, Art & Culture , Uttar Pradesh (Social Issues, Art & Culture)
16 Dec.	Test-3 - (12:00Noon-3:00pm)	World Geography, Indian Geography, Geography of Uttar Pradesh
23 Dec.	Test-4 - (12:00Noon-3:00pm)	Indian Polity, Constitution, In special reference of Uttar Pradesh
30 Dec.	Test-5 - (12:00Noon-3:00pm)	Governance and Public Policy, International Relation In Special Reference of Uttar Pradesh
06 Jan.	Test-6 - (12:00Noon-3:00pm)	Indian Economy, Internal Security in Special Reference of Uttar Pradesh
13 Jan.	Test-7 - (12:00Noon-3:00pm)	Science & Tech., Disaster Management, Ecology & Environment
20 Jan.	Test-8 - (12:00Noon-3:00pm)	Ethics (Paper-I) Ethics and Human Interface, Attitude, E.I. and Thinkers with Case Study
27 Jan.	Test-9 - (12:00Noon-3:00pm)	Ethics (Paper-II) Aptitude and Value of Civil Services, Ethics in P.A., Probity in Govt. with Case Study
03 Feb.	Test-10 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-I) Full Test
	Test-11 - (3:30pm-6:30pm)	Hindi Full Test
10 Feb.	Test-12 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-II) Full Test
	Test-13 - (3:30pm-6:30pm)	Essay
17 Feb.	Test-14 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-III) Full Test
	Test-15 - (3:30pm-6:30pm)	Hindi Full Test
24 Feb.	Test-16 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-IV) Full Test
	Test-17 - (3:30pm-6:30pm)	Essay

635, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

011-49274400 | dhyeyaias.com

Registration Starts

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336039 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400